खण्ड-141, अंक-4
बुधवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(22 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 141 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसराइल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपा शंकर, श्री

कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती

चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम,श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बल्देव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुशमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह, श्री
मकसूद आलम, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाली लाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सम्रादत अली खाँ, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री

यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामबचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र बिशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
बिष्णुदयाल शर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास दीवान, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

यू० पी० इंडियन मेडिसिन बोर्ड के चुनाव में कठिनाइयां

*१–श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी नोटीफिकेशन दिनांक ६–२–५४, संख्या ६०५१ बी० आई०/५––१४६२–५३ के अनुसार यू०पी० इंडियन मेडिसिन बोर्ड का आगामी साधारण चुनाव फरवरी ५४ तक होना था ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)––जी हां ।

*२––श्री मलखान सिंह––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त चुनाव अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––एलेक्टोरल रोल की तैयारी में कुछ कानूनी कठिनाइयां थीं जिनपर अब निर्णय हो गया है । अब शीघ्र ही चुनाव होगा ।

श्री मलखान सिंह––क्या सरकार से यह आशा की जा सकती है कि १५ अक्तूबर, तक यह चुनाव हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––१५ अक्तूबर तक आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन अगले आने वाले जाड़ों में यह चुनाव हो जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां उपस्थित हुयी थीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के जो रजिस्ट्रार हैं, वे ही रिटर्निग आफिसर भी हैं । जब सरकार ने एक नोटीफिकेशन निकाला कि चुनाव कर दिये जायं तो रिटर्निंग आफिसर की तरफ से कई चिट्ठियां आयीं और उन्होंने ये कानूनी दिक्कतें उनमें बतलायीं कि जो बोर्ड के रजिस्टर्ड वैद्य और हकीम हैं और उत्तर प्रदेश से बाहर रहते हैं क्या वे भी वोटर हो सकते हैं या नहीं ? दूसरी आपत्ति यह थी कि अध्यापकों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह से हो, कुछ आनरेरी अध्यापक हैं और कुछ अल्प समय वाले अध्यापक हैं, तो क्या उनको भी वोट देने का अधिकार होगा । तीसरी आपत्ति यह थी कि जिला बोर्डों के सदस्य हैं, वे भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं पर क्या सब बोर्डों के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं ।

और एक आपत्ति यह थी कि जो सुपरसीड बोर्ड्स हैं उनके सदस्य भी इस चुनाव में भाग ले सकते हैं या नहीं। जब सरकार के पास रिटर्निंग आफिसर की चिट्ठियां आयीं तो सरकार ने कानून बिभाग से इस सम्बन्ध में राय ली और अब वह राय सरकार को मिल चुकी है और अब चुनाव की वह सूची तैयार की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन चार कानूनी कठिनाइयों का अब क्या हल निकला है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--वह मैंने बताया कि अब हल निकल गया है। कि चुनाव करा दिये जायं।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सामने यह कानूनी कठिनाइयां कितने दिनों से थीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--यह तो जब चुनाव का प्रश्न उठा तभी ये दिक्कतें सरकार के सामने आयीं।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछला चुनाव कब हुआ था और नया चुनाव कब होना चाहिये था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--बोर्ड की मियाद तीन वर्ष की होती है और १५ फरवरी, ५४ को उसकी मियाद समाप्त हो गयी है और फरवरी में ही दूसरा चुनाव हो जाना चाहिये था।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इसकी मतदाता सूची कब प्रकाशित की गयी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जैसा कि मैंने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने में ही दिक्कतें थीं। अब वे दिक्कतें दूर हो गयी हैं। अब करीब-करीब मतदाता सूची तैयार हो गयी है।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने के नियम

*३--श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधाओं की बाबत बने नियमों में संशोधन करने जा रही है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां।

*४--श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में ३००) माहवार तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये कितने (authorised medical attendants) नियुक्त किये गये हैं। क्या इन कर्मचारियों की स्त्रियों के लिये कोई स्त्री डाक्टर भी नियत की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--असिस्टेंट सर्जन, लखनऊ अथवा सुपरिन्टेन्डेन्ट, डफरिन अस्पताल, लखनऊ इस श्रेणी के कर्मचारियों तथा उनके स्त्री-बच्चों के लिये निर्धारित चकित्सक हैं ।

श्री तेजप्रताप सिंह--यह जो संशोधन करने का विचार है सरकार का यह कब तक हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ये संशोधन जल्दी से जल्दी कर दिये जायं । इन संशोधनों को करने के लिये विभाग ने वित्त विभाग से बातचीत की है । कुछ और बातों पर बातचीत करनी शेष है । जब यह चीज पूरी हो जायगी तो उसके बाद ये संशोधन जल्दी से जल्दी कर दिये जायेंगे ।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से क्या मेडिकल अटेंडेंट्स की तादाद बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां । सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि जो सरकारी कर्मचारी कमला नेहरू हास्पिटल, इलाहाबाद में अपना इलाज कराते हैं उनको सरकार रुपया अपने एकाउन्ट से रिएम्बर्स नहीं करती ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता है । कमला नेहरू हास्पिटल का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सरकारी कर्मचारियों को कीमती दवायें नहीं मिला करती हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--यह सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो तीन सौ रुपये से कम के कर्मचारी हैं उनकी फैमिलीज़ को भी इस प्रकार की मेडिकल एड दी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--१०० से ऊपर और तीन सौ तक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है, उनके लिये मेडिकल अटेंडेंट्स की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की स्त्रियों की सुविधा के लिये एक लेडी डाक्टर को नियुक्त कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि डफरिन हास्पिटल जो लेडीज के ट्रीटमेंट के लिये है उसकी जो लेडी डाक्टर हैं वह स्त्रियों का इलाज करती हैं ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से बाहर जो सरकारी कर्मचारी तीन सौ से कम पाते हैं उन्हें भी कोई ऐसी सहायता दी जायगी ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक स्थान पर जो लखनऊ में सुविधा है वही सुविधा उन स्थानों पर भी दी जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार मेडिकल मैनुअल के पैरा ९४ के खंड ३ और पैरा ९३ के खंड १ के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की फैमिलीज को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---सरकारी कर्मचारियों की फैमिलीज को भी सरकार की ओर से ट्रीटमेंट मिलता है ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३०० रुपये से ऊंचे और ३०० रुपये से नीचे पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को जो मेडिकल सुविधायें दी जाती हैं इन दोनों की सुविधाओं में क्या कुछ अन्तर भी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो ३०० रुपये से अधिक तनख्वाह पाते हैं और जो ३०० रुपये से कम तनख्वाह पाते हैं उनको सिर्फ वार्ड्स इत्यादि के मिलने में अन्तर है और दवाई इत्यादि के सम्बन्ध में जो सुभीता सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को मिलता है उसमें कोई अन्तर नहीं रक्खा गया है ।

श्री तेज प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो पैरा ९४ के खंड ३ और पैरा ९३ के खंड १ में सुविधायें दी गई हैं उसके अनुसार निर्धारित चिकित्सक केवल सरकारी कर्मचारी को ही विजिट करने के लिये घर बुलाया जा सकता है या फैमिलीज के लिये भी ?

श्री अध्यक्ष---जवाब दिया जा चुका है ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि ५०० रुपये और ५०० के ऊपर ४,००० रुपये तक पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार की मेडिकल सहायता न दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसा कोई विचार सरकार के सामने उपस्थित नहीं ।

हथियारों के लाइसेंस देने के लिए विधान सभा के सदस्यों के चाल-चलन की जांच

*५---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार ने जिलाधीशों को हथियारों (आग्नेय अस्त्र) के लाइसेंस देने में विधान सभा के सदस्यों के चाल-चलन की जांच कराने के लिये आदेश दिया है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी नहीं, सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है ।

श्री गेंदा सिंह---सरकार ने तो आदेश नहीं दिया, लेकिन सरकार को क्वा इस बात की खबर है कि जो मेम्बर साहबान दरख्वास्त जिला मैजिस्ट्रेट को देते हैं वे महीनों उनके चालचलन की जांच पुलिस से करवाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---साधारण तौर से मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक आध जगह से शिकायतें आई हैं । इसलिये ७ सितम्बर को एक सर्कुलर भेज दिया गया है कि इस तरह की कोई तकलीफ उनको न होने पाये ।

श्री गेंदा सिंह--यह शिकायत कहां कहां की आयी है और क्या माननीय रामजी, सहाय, देवरिया, की भी शिकायत इस क़िस्म की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरे सामने केवल राम जी सहाय की शिकायत थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या रामजी सहाय की दरख्वास्त देने के ४, ५ महीने बाद उनको लाइसेंस मिल सका ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी सूचना पूरे तौर से नहीं मिली कि कितने दिन तक दरख्वास्त रुकी रही लेकिन कुछ तकलीफ जरूर हुई ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जो ७ सितम्बर का राजकीय आदेश भेजा गया है क्या माननीय गृह मंत्री उसे पढ़ कर सुनायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आदेश तो बहुत लम्बा है लेकिन जो आवश्यक अंश है उसे मैं पढ़े देता हूं--" Such enquiries are to be conducted in accordance with the instructions contained in rule 135 of the U. P. Arms Rules. According to this rule enquiries are to be ordered only when considered necessary, and not as a matter of routine. This rule also enjoins that enquiries should not involve annoyance to the applicant. I am therefore to request that these instructions may be carefully followed when dealing with such applications in future particularly when the applicant is a member of the legislature.

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि किन किन लोगों के चालचलन की जांच करने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं । मैं समझता हूं कि उसमें सब बातें तो साफ आ गई हैं ।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पार्लियामेंट में आर्म्स ऐक्ट को बदलने के अन्तर्गत पार्लियामेंट और धारा सभा के सदस्यों को इस प्रकार के आर्म्स रखने के लिये पूरा अधिकार दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसके लिये यहां पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ?

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार के पास ऐसी सूचना आयी है जिससे कि पार्लियामेंट में धारा सभा के सदस्यों और पार्लियामेंट के सदस्यों को आर्म्स रखने के लिये स्वीकृति दी जा रही है और उसी के अन्तर्गत यहां के सदस्यों को भी आर्म्स रखने का अधिकार देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, एसी सूचना नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार की तरफ से जिला-अधिकारियों के पास कोई ऐसा आदेश गया है जिससे, पिस्टल और रिवाल्वर के लाइसेंस देने का जो उनका अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रश्न का संबंध तो विधान सभा के सदस्यों से था तो जहां तक विधान सभा के सदस्यों की बात है ऐसा कोई आदेश नहीं गया है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलायेंगे कि क्या इस ७ सितम्बर के राज्यादेश के बाद जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार रह जाता है कि वह विधान सभा के सदस्यों को आर्म्स के लाइसेंस देने के सम्बन्ध में चालचलन की जांच करायें ?

श्री अध्यक्ष--यह तो पढ़ कर सुना दिया गया। उसका अर्थ बिलकुल स्पष्ट है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के सदस्यों को पिस्टल और रिवाल्वर का लाइसेंस देन का अधिकार किन अधिकारियों को है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह अधिकार उनको ही है जिनको पहिले भी पिस्टल और रिवाल्वर का लाइसेंस देने का अधिकार था।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह जो हिदायत जिला मैजिस्ट्रेटों को विधान सभा के सदस्यों को हथियार देने के बारे में दी गयी है वह इस बात के लिये दी गयी है कि भविष्य में सभी विधान सभा के सदस्य नेक चलन समझे जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक हमारा ताल्लुक है हमारे लिये तो सभी नेकचलन हैं। वह क्या था उसकी अंग्रेजी मैंने आपके सामने पढ़ दी तो हर आदमी अपनी अक्ल के मुताबिक उसका इन्टरप्रिटेशन कर सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि श्री रामजी सहाय ने अपने पत्र में यह शिकायत लिखी है कि अच्छे और विशिष्ट व्यक्तियों को लाइसेंस न दे कर जिलाधीश ने देवरिया में बुरे-बुरे लोगों को लाइसेंस दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री रामजी सहाय का पत्र मेरे सामने नहीं है। जहां तक आप के अच्छे और बुरे शब्दों का सवाल है वह तो एक राय का सवाल हो सकता है।

शोहरतगढ़, जिला बस्ती में जन संघ तथा मुसलमानों के बीच तनातनी

*६--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को शोहरतगढ़ (जिला बस्ती) में घटित दंगे की कोई सूचना मिली है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसका विवरण बताने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, । जन संघ की ओर से गो बध निरोधक सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में १६--८--५४ को शोहरतगढ़ में एक सभा हुई जिसके बाद २५-३० आदमियों का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस जब एक मस्जिद के पास पहुंचा तो मुसलमानों के रोकने पर वह वापिस हो गया। १८-८-५४ को फिर वैसा ही एक जुलूस निकाला गया और उसी मस्जिद पर कुछ मुसलमानों ने उस जुलूस को रोक लिया। मुसलमान लाठी, बल्लम और तलवार लिये हुये थे। सूचना पा कर पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंच गयी और शांति भंग होने की संभावना देख कर २८ व्यक्तियों को पकड़ लिया और स्थिति पर काबू कर लिया। इस सम्बन्ध में धारा १०७-११७ द० वि० सं० के अन्तर्गत ४३ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

*७-८--श्री भगवान सहाय--[२९ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया जिले के प्रमुख कम्युनिस्टों की कथित गिरफ्तारी

*९-- श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में सभी प्रमुख कम्युनिस्टों की आम गिरफ्तारी (general round up) हुई है? अगर हां, तो क्या सरकार इसका कारण विवरण देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*१०-११--श्री मलखान सिंह--[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बिजनौर जिले के जलाबदीपुर गांव की कुछ स्त्रियों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

*१२--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५४ को थाना अम्हेडा, जिला बिजनौर के ग्राम जलाबदीपुर में कुछ स्त्रियों को पुलिस द्वारा पीटा गया और गिरफ्तार करने के बाद थाने में पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी शिकायत आई थी।

*१३--शिवकुमार शर्मा--क्या यह सही है कि उसमें से एक स्त्री के डेढ़ वर्ष के बच्चे को चोट आयी और अगले दिन मर गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय सारे मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है।

*१४--श्री शिवकुमार शर्मा--क्या यह सही है कि पुलिस के किसी भी कर्मचारी को अभी तक किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच की रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

शिवकुमार शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत स्पष्ट रुप से यह हुई थी कि रेप किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

शिवकुमार शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि १० स्त्रियों को थाने में गिरफ्तार कर के ले जाया गया और उन पर अत्याचार किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, यह कहा गया है कि १० स्त्रियों को थाने में ले जाया गया और उन में से कुछ पर रेप किया गया।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत कब आयी थी और कब तक इसकी जांच खत्म हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शिकायत १७ अप्रैल को आयी थी। सी० आई० डी० को यह ताकीद की गयी है कि वह इसकी जांच शीघ्र खत्म करे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन सब-इन्सपेक्टर तथा पुलिस के अधिकारियों की बाबत रेप की शिकायत है वे अपनी जगह पर ही काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

श्री रतनलाल जैन---क्या इसकी जांच के लिये माननीय उपमंत्री श्री मुजफ्फर हुसेन जी भी गये थे, उन्होंने जांच के बाद क्या पाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, वे जांच के लिये गये थे, उनकी जांच के बाद ही इस बात का पता लगा कि शायद इस किस्म की चीज हुई है और पुलिस कुछ बातों को छिपाना चाहती है, इसलिये यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द किया गया ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---(जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत है उनका उसी थाने में रहना जांच में बाधक हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस बात को हमने सी० आई० डी० पर ही छोड़ दिया है कि वह अगर यह देखे कि उन अधिकारियों के रहने से जांच में बाधा पड़ रही है तो उनको वहां से हटा दिया जायगा अन्यथा उनके हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि शिकायत में यह भी कहा गया है कि क्वारी लड़की---

श्री अध्यक्ष---आप ज्यादा डिटेल में न जायं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---(जिला आगरा)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि डिप्टी मिनिस्टर साहब की रिपोर्ट के बाद भी उन कर्मचारियों को सस्पेन्ड करने की बात सरकार ने न सोची ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---मैंने हटाने की बात नहीं पूछी, मैंने सस्पेंशन के बारे में पूछा है ।

श्री अध्यक्ष---सस्पेंशन हटाने से भी ज्यादा तेज है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन की भी कोई रिपोर्ट आयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सिलसिले में सिविल सर्जन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिवकुमार शर्मा जी ने इसके सम्बन्ध में कोई लिखित पत्र दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उनका पत्र आया है ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि स्त्रियों और पुरुषों के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनके मकानों को भी लूटा गया, शिकायत में इसका वर्णन भी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, शिकायत में यह भी है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन घरों के पुरुष पकड़े गये उन्हीं घरों की स्त्रियों को बाद में पकड़ा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत इसी क़िस्म की है।

श्री राजनारायण---जब पुरुष पकड़ कर चले गये और स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया तो क्या उस समय गांव के भी कुछ लोग थे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप एस्पर्शन कर रहे हैं। आप शिकायत के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण---क्या शिकायत में यह भी है कि जब पुरुष गिरफ्तार हो कर चले गये और पुलिस स्त्रियों को गिरफ्तार करने गयी तो वहां गांव के और लोग भी मौजूद थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस गांव में जरूर गयी और उसने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ स्त्रियों को भी गिरफ्तार किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यदि सिविल सर्जन की रिपोर्ट नहीं है तो किसी भी डाक्टर की रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री या उनके विभाग को प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। इत्तफाक की बात यह है कि स्त्रियों की तरफ से कोई खास बात नहीं की गयी। मेडिकल जांच के लिये और जिस वक्त शिकायत की गयी उस वक्त मेडिकल जांच के लिये टू लेट था।

देवरिया जिले की बाढ़ के सम्बन्ध में सरकारी कार्यवाही

*१५---श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि श्री जगन्नाथ मल्ल तथा श्री गेंदा सिंह सदस्य विधान सभा तथा राजस्व मंत्री के बीच बाढ़ व जिले के अधिकारियों के कार्य की ढिलाई के सम्बन्ध में तार व पत्र, व्यवहार हुआ है.? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---जी हां, श्री जगन्नाथ मल्ल तथा श्री गेंदा सिंह ने तार तथा पत्र द्वारा इस प्रकार की शिकायत की थी। सरकार ने बनारस, गोरखपुर डिवीजन के कमिश्नर को देवरिया में बाढ़ की स्थिति तथा जिला अधिकारियों के कार्य की जांच के लिये भेजा। कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में जिला-अधिकारियों के कार्य की सराहना की गयी है।

*१६---श्री राजनारायण---यह क्या सच है कि गोरखपुर, बनारस डिवीजन के कमिश्नर की कोई रिपोर्ट उक्त सदस्यों की शिकायतों तथा देवरिया के बाढ़ की स्थिति और सहायता कार्य की सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, कमिश्नर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट करीब ४० पृष्ठों की है, और इसकी प्रतिलिपियां बनाने में और जरूरी कार्यों को अस्त-व्यस्त करना पड़ेगा। अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस रिपोर्ट को मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कमिश्नर साहब, देवरिया किस तारीख को जांच करने गये थे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---१७ सितम्बर को सबेरे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि जिस समय कमिश्नर साहब देवरिया गये थे उस समय श्री जगन्नाथ मल्ल देवरिया में थे कि नहीं ?

श्री चरण सिंह--यह मुझे नहीं मालूम है। इतना मुझे मालूम है कि देवरिया स्टार्ट होने के पूर्व उन्होंने इत्तला दी थी। २५ आदमियों की मीटिंग हुई थी। २५ आदमी नानआफिशियल थे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि कमिश्नर साहब ने माननीय गेंदा सिंह और माननीय जगन्नाथ मल्ल के बारे में क्या लिखा है ?

श्री चरण सिंह--उस मीटिंग में तो माननीय गेंदा सिंह जी मौजूद थे। २५ आदमियों की फेहरिस्त व मीटिंग की सारी कार्यवाही मौजूद है। उन्होंने यह लिखा है कि मीटिंग जो १७ तारीख को डेढ़ बजे तक हुई उसमें उन्होंने ने यह एनाउंस किया कि मैं बाढ़ पीड़ित इलाके का मुआयना करने जाऊंगा। यदि कोई सज्जन चलना चाहें तो मुझे खुशी होगी। "आई उड वेलकम इट" ये उनके अल्फाज हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरे प्रश्न माननीय गेंदा सिंह व माननीय जगन्नाथ मल्ल के बारे में थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब ने माननीय जगन्नाथ मल्ल के बारे में पार्टिकुलरली कुछ लिखा है ?

श्री चरण सिंह--श्री जगन्नाथ मल्ल के बारे में पार्टिकुलरली कहा ही नहीं गया कि वे गये या नहीं गये।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी से इस प्रकार की शिकायत की गयी है कि जो कमिश्नर साहब ने माननीय जगन्नाथ मल्ल व माननीय गेंदा सिंह के बारे में लिखा है, वह गलत है ?

श्री चरण सिंह--माननीय जगन्नाथ मल्ल की बाबत कमिश्नर महोदय ने कुछ नहीं लिखा है। माननीय गेंदा सिंह की बाबत यह लिखा है कि जब वे १९ तारीख को नरवाजोत गांव में तरैयासुजान इलाके में मुआयना करने के लिये गये थे तो उस वक्त वे उनके साथ नहीं गये थे। जब नरवाजोत से लौट रहे थे तो रास्ते में माननीय गेंदा सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई।

श्री गेंदा सिंह--क्या कमिश्नर साहब ने यह भी लिखा है कि जब मैंने माननीय गेंदा सिंह व माननीय जगन्नाथ मल्ल, इन दोनों आदमियों को अपने साथ चलने के लिये आफर किया तो वे दोनों साहबान नहीं गये ?

श्री अध्यक्ष--श्री जगन्नाथ मल्ल को आप अलग कर दें। उनकी बाबत तो जवाब दे चुके हैं कि वे नहीं थे। आप अपने बारे में प्रश्न पूछें।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में उन्होंने विधान परिषद् में कहा था कि उनको साथ में चलने के लिये आफर किया गया लेकिन वे नहीं गये, वे कौन थे ?

श्री चरण सिंह--जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने किसी दो सदस्य का नाम नहीं लिया।

श्री गेंदा सिंह--तो मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि मेहरबानी करके माननीय राजस्व मंत्री जी यह याद कर के बतला सकते हैं कि कमिश्नर साहब ने किन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में लिखा है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप विवाद कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि रिपोर्ट ज्यादा लम्बी है इसलिये छपाने में ज्यादा खर्च पड़ेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी यदि कोई अपने खर्चे से उसे छपवाना चाहे तो उसकी इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह छपाई का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि माननीय जगन्नाथ मल्ल और माननीय गेंदा सिंह ने जो शिकायत सरकार के पास भेजी थी उसके सम्बन्ध में कमिश्नर ने पूछताछ नहीं की ?

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, जहां तक माननीय गेंदा सिंह का यह कहना है कि काम काफी नहीं हो रहा था तो उसके सम्बन्ध में तो मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर रोजाना दो बार, एक बार रात को और एक बार दिन में टेलीफोन या तार से बाढ़ के बारे में पूरी इत्तला देता था और जितना अच्छा काम वह कर सकते थे किया जा रहा था । जब गेंदा सिंह जी का तार आया और जगन्नाथ मल्ल जी का पत्र फिर आया तो हमने कमिश्नर से कहा कि तुम जा कर मौके पर देखो कि कैसा काम हो रहा है और कलेक्टर ठीक काम कर रहा है या नहीं और आप क्या सुझाव दे रहे हैं। इस पर वह वहां गये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी। उन्होंने वहां एक मीटिंग भी की जिसमें श्री गेंदा सिंह जी मौजूद थे लेकिन शायद जगन्नाथ मल्ल जी उस में नहीं थे और उन्होंने लिखा है साफ तौर से कि उन्होंने आफर किया कि जो सज्जन मौके पर चलना चाहें वह चलें और वह खुद बाढ़ पीड़ित इलाकों में गये थे । उन्होंने यह भी लिखा है कि जाते में गेंदा सिंह जी नहीं थे लेकिन वह लौटते वक्त उनको मिले रास्ते में । उसमें श्री जगन्नाथ मल्ल जी का जिक्र नहीं है। गेंदा सिंह जी ने कार्यवाही में भाग लिया इसका भी जिक्र है। मैंने विधान परिषद् में यह कहा था कि जो शिकायत करने वाले सज्जन थे वह कमिश्नर के साथ नहीं थे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को कमिश्नर की रिपोर्ट की सत्यता के बारे में मेरा पत्र मिला है ?

श्री चरण सिंह--मुमकिन है उन्होंने खत भेजा हो लेकिन मैंने उसको अभी देखा नहीं है क्योंकि मुझे इधर काम में लग जाने से फुर्सत नहीं मिली।

तारांकित प्रश्न

जिला आगरा के कस्बा पिनहट में ऐलोपैथिक दवाखाना खोलने का विचार

*१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार कस्बा पिनहट, जिला आगरा में एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी (Alopathic Dispensary) बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां ।

*२--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को विदित है कि पिनहट के आसपास १०-१२ मील तक कोई अस्पताल नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह अस्पताल कब तक बन जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस पर सरकार अगले साल के बजट में विचार करेगी।

*३-४---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---[स्थगित किये गये।]

बांदा म्युनिसिपल बोर्ड में बिजली की रोशनी का अभाव

*५---श्री लक्ष्मणराव कदम---(जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा म्युनिसिपल बोर्ड ने अपने यहां बिजली के खम्भे व तार कब लगवाये थे उनके फलस्वरूप शहर में लगी हुई लालटेनें कब उखड़वा दी थीं ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)---सन् १९५१ में । परन्तु इसके फलस्वरूप नगर की कोई भी लालटेन नहीं उखाड़ी गई।

*६---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या यह सही है कि बिजली की रोशनी का ठेका अभी तक नहीं हुआ और उक्त समय से बिजली की रोशनी जारी न होने तथा लालटेनों के उखड़वा दिये जाने से शहर में अंधेरा रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृपाशंकर---यह सही है कि वहां बिजली की रोशनी का ठेका अभी तक नहीं दिया गया है, परन्तु ऐसा नहीं है कि इस कारण से पुराने लैम्प हटा दिये गये और शहर में अन्धेरा है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खम्बे और तार लगे हुये ४ साल हो गये फिर भी अभी तक ठेका क्यों नहीं हुआ ?

श्री कृपाशंकर---पहले जो ठेका दिया गया था उसमें कुछ शर्तें थीं और वह शर्तें पूरी नहीं की गयीं । वह शर्त यह थी कि जो पहले २ जेनरेटर थे वह पुराने थे और काम करने के लायक नहीं थे, इसलिये दूसरा जेनरेटर लगाने की शर्त थी । उन्होंने अब दरख्वास्त दी है कि कुछ रियायत कर दी जाय । इसलिये अगर अब जेनरेटर और लग जाय तो इजाजत दी जाय और तभी कुछ प्रबन्ध हो सकेगा और काम शुरू हो सकेगा।

*७---९---श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---[स्थगित किये गये।]

*१०-११---श्री रामचन्द्र विकल---[स्थगित किये गये।]

*१२-१३---श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)---[स्थगित किये गये।]

शक्कर के भाव कोगिराने की आवश्यकता

*१४---श्री जोरावरवर्मा---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शक्कर का भाव बाजार में लगभग १ रु० सेर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---शक्कर का फुटकर औसत भाव साढ़े तेरह आना प्रति सेर है और यह मूल्य भारत सरकार के वर्तमान विक्रय दर को देखते हुए उचित जान पड़ता है।

*१५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को याद है कि दिनांक २३ अप्रैल, १९५४ के अल्पसूचित प्रश्न संख्या ११ तथा उसके पूरक प्रश्न के उत्तर में उसने कहा था कि शीघ्र ही बाजार में सवा बारह आना प्रति सेर के हिसाब से कुछ कन्ट्रोल की दूकानों पर शक्कर मिला करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—२३ अप्रैल, १९५४ को यह सूचित किया गया था कि यदि १,५०० टन शक्कर भारत सरकार से प्राप्त हो गई तो भविष्य में भी सवा बारह आना सेर की दर से शक्कर बांटी जायगी। पर वह शक्कर न प्राप्त हो सकने के कारण योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।

*१६—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये दूकानें जहां कन्ट्रोल से शक्कर मिलने को कहा गया था खुली या नहीं ? यदि हां, तो कहां कहां और कब से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि शक्कर का भाव अब भी बाजार में १४ आने से लेकर एक रुपये सेर तक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, कभी-कभी ऐसा सुनने में आता है कि भाव १४ आने से ले कर १५ आने के बीच में हो जाता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका कोई निश्चित रेट तय करने के लिये कोई उपाय वह सोच रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक शक्कर के नियंत्रण का सम्बन्ध है वह नियंत्रण तो अब रहा नहीं। और केन्द्रीय सरकार स्वयं अब बाहर से शक्कर मंगा कर अपने ढंग से दरों में कमी लाने के लिये समय-समय पर उचित कार्यवाही करती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो शक्कर के तेज भाव हैं उसके क्या-क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका मुख्य कारण तो यह है कि शक्कर जहां तक अपने प्रदेश और देश में बनती है वह उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी कि आवश्यकतायें रोजमर्रा बढ़ती जाती हैं। केन्द्रीय सरकार बाहर के देशों से मंगा कर इस कमी को पूरा करती है और वह उसका वितरण अपनी सरकार द्वारा प्रदेशों में कराने का प्रयत्न करती है। कभी-कभी उस वितरण के सम्बन्ध में यह होता है कि शक्कर का स्टाक प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार नहीं पहुंच पाता है और इस लिये आर्टिफिशल स्केयरसिटी कुछ समय के लिये जब तक स्टाक नहीं पहुंचता पैदा हो जाती है और इस कारण व्यवसायीगण कभी-कभी जब इस तरह से शक्कर के स्टाक में कमी हो जाती है दाम में वृद्धि कर देते हैं, चूंकि शक्कर की मांग अधिक रहती है।

श्री गेंदा सिंह—क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपने ढंग पर शक्कर वितरित करने के लिये कोई पत्र-व्यवहार किया है और किया है तो उसका क्या उत्तर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि वितरण शकर की बोरियां प्रदेशीय सरकार की तहत में भेजी जायं और उनका वितरण सरकार के द्वारा हो जैसा कि पहले हुआ करता था, परन्तु जो केन्द्रीय सरकार ने नीति इस विषय में निर्धारित कर रखी थी उसके तहत में इस प्रकार से वितरण आता नहीं था और इसलिये केन्द्रीय सरकार से बोरियां प्रदेशीय सरकार के द्वारा वितरण के लिये प्राप्त नहीं हुईं।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या यह सही है कि इस समय केवल फारेन शक्कर का एलाटमेंट होता है और देशी शक्कर का एलाटमेंट नहीं होता है, जिससे महंगाई बढ़ रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ रुकावटें तो केन्द्रीय सरकार ने लगा दी हैं। मिलों में जो शक्कर थी उसका २५ प्रतिशत रोक रखा गया था और केन्द्रीय सरकार इस २५ प्रतिशत शक्कर को अपने आदेशों के अनुसार बंटवाती है और इस तरह से देशी शक्कर का भी एलाटमेंट होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने चीनी के जखीरेबाजी करनेवाले होल्डर्स को कुछ सजा दी है या उनका स्टाक जब्त किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो जखीरे रखते हैं शक्कर के उनके ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है और अखबारों में मैंने अवश्य पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में कदाचित कुछ स्टाक्स जो स्टाकिस्ट्स के पास थे, उनको फ्रीज किया है और कदाचित् बम्बई में भी वह ऐसा कर रही है। परन्तु अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे स्टाकिस्ट्स का स्टाक फ्रीज किया गया है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के बसने वालों को जितनी चीनी की आवश्यकता होती है उतनी यहां की चीनी की मिलों में पैदा नहीं होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश की मिलों में चीनी काफी पैदा होती है और अन्य प्रदेशों में भेजी भी जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या केंद्रीय सरकार की चीनी के दाम को संतुलित करने की नयी नीति के अनुसार प्रदेशीय सरकार को भी कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई है? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार इस वितरण के विषय में कहीं जगह रखती नहीं है जहां तक मौजूदा केन्द्रीय सरकार के वितरण की नीति है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि देहातों में शक्कर का भाव डेढ़ रुपये से दो रुपये सेर तक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इस बात की सूचना मुझे नहीं है लेकिन मैं इस बात का अनुमान कर सकता हूं कि कहीं-कहीं, जहां स्टाक शक्कर का पहुंच नहीं पाता है, वहां अवश्य दाम बढ़ जाते होंगे।

मिर्जापुर जिले में 'दखिनहिया' या 'सवाई' रोग की रोकथाम के उपाय

*१७—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी तथा कैमूर पर्वत के नीचे के भाग में लगभग २० प्रतिशत जन संख्या "दखिनहिया" या "सवाई" रोग से पीड़ित रहा करती है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति का हाथ-पैर सड़ जाता है, अथवा अंग मारा जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस इलाके में यह बीमारी होती है।

*१८—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि बुढ्ढी के सरकारी अस्पताल के मेडिकल अफसर ने इस रोग की चिकित्सा से सम्बन्धित कुछ तथ्य तथा आंकड़े एकत्रित किये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जांच की जा रही है।

*१९—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उक्त क्षेत्र में इस रोग के इलाज के लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सन् ४७ में ठक्कर बापा की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूयेन्ट असेम्बली के सदस्यों की जो एक कमेटी नियुक्त हुई थी उसके सामने बयान देते हुए वहां के आदमियों ने यह बयान दिया है, कि ६७ प्रतिशत आदमी इस रोग से वहां पीड़ित हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, कोई कमेटी आयी होगी और उसके सामने लोगों ने अपने बयान भी दिये होंगे, उसकी सूचना मुझे नहीं है लेकिन यह ठीक है कि वहां यह बीमारी अधिक मात्रा में है और उसकी जांच हो रही है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनकी वजह से यह बीमारी वहां अधिक होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां यह बीमारी तो ज्यादातर मक्खियां इत्यादि अधिक मात्रा में उस स्थान पर रहने के कारण होती है और जहां मक्खियों से जो बीमारी फैलती है उसमें रुकावट नहीं पड़ पाती है, अशिक्षा के कारण। अशिक्षा के कारण भी वहां यह बीमारी अधिक मात्रा में फैल जाती है तो सरकार की तरफ से वहां के लोगों को बीमारी के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिये और जो प्रयोग और दवाइयां इस बीमारी को रोकने लिए सरकार की तरफ से बतायी जाती हैं उनके सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रसार करने का प्रबन्ध सरकार की ओर से जारी है। और काम भी इस संबंध में किये जा रहे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस क्षेत्र में विशेष तौर से इस रोग की दवा करने के लिये कोई चिकित्सालय खोलेगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जैसा उत्तर में बता दिया गया था कि वहां मेडिक आफिसर आफ हेल्थ और उसकी मातहत में जितने काम करते हैं वही इस रोग से लोगों को बचाने के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इस रोग की रोकथाम का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रोग कब प्रकाश मे आया सरकार के ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—समय तो ठीक नहीं मालूम है लेकिन डेढ़, दो वर्ष से इस विषय के ऊपर और इस बीमारी के ऊपर अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करने की चेष्टा की जा रही है और इस में हमारे डाक्टर और मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ इस बीमारी को रफा और अधिक से अधिक रोकने के कार्य में लगे हुए हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे क इस बीमारी की जांच खास तरीके पर कब से शुरू की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डेढ़ वर्ष से अधिक तेजी के साथ इस काम को प्रारम्भ किया गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजकल की सूचना के आधार पर यह रोग बढ़ाव पर है या उतार पर ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो आजकल की सूचना है और जो आंकड़े उन लोगों के समय-समय पर आते हैं उनसे मालूम पड़ता है कि इसकी रोकथाम में काफी उन्नति हुई है।

श्री धनुषधारी पांडे (जिला बस्ती)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बीमारी कितने वर्ग मील में है और इसकी रोकथाम के लिये कितने डाक्टर भेजे गये हैं।

श्री बलदेवसिंह आर्य---दुद्धी के एरिया में और उसके बाद कैमूर रेंज है, उसी एरिया में अधिक है और इसके लिये वहां पर एक मेडिकल आफिसर भेजा गया है और कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं से मिल करके इस बीमारी की जांच कर रहे हैं और इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या मंत्री जी] बतायेंगे कि यह बीमारी किस श्रेणी के लोगों में ज्यादातर पायी जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---गरीब लोगों में जिनके अच्छे मकान नहीं हैं, साफ-सुथरे नहीं रहते हैं, उन्हीं लोगों में यह बीमारी अधिक मात्रा में पायी जाती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि बीमारी को देखते हुए वहां दवा बहुत कम है और २३ मई के बाद वहां दवा नहीं भेजी गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहां के सिविल सर्जन के डिस्पोजल पर ५,५०० रुपया रखा गया है, जो सिर्फ एक्विपमेंट और मैडीसन्स में खर्च होंगे। वह इन औषधियों को लोगों में वितरण कर सकता है और उनका इलाज कर सकता है।

हायर सेकेन्डरी स्कूलों को बन्द करने का कथित सरकारी आदेश

*२०---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश के समस्त म्युनिसिपल बोर्डों को यह आदेश दिये हैं कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूलों को १ जुलाई, १९५४ से बन्द कर दें ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जी नहीं ।

*२१---श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राजाज्ञा द्वारा कितने स्कूल बन्द हो जावेंगे, और उनके कितने अध्यापक बेरोजगार हो जावेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के नेवादा क्षेत्र के अदालती पंचों का निलम्बन

*२२---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अदालती पंचायत नेवादा क्षेत्र महाराजगंज जिला आजमगढ़ के कितने पंच कितने दिनों से निलम्बित हैं ?

श्री कृपाशंकर---२ पंच ४ वर्ष २ माह २६ दिन से तथा ५ पंच २ वर्ष ६ माह १८ दिन से निलम्बित हैं।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी कृपा कर बताने की कोशिश करेंगे कि इनके विरुद्ध आरोपों की जांच किसने की है और उनकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री कृपाशंकर---दो पंच ४ वर्ष २ माह २६ दिन से जो मुअत्तल हैं इनके विरुद्ध जांच नहीं हुई, क्योंकि इंडियन पेनल कोड की धारा १६१ के अनुसार इनके विरुद्ध घूसखोरी का मुकदमा चल रहा था, इसलिये मुअत्तल कर दिये गये थे। और ५ पंच २ साल ६ माह १८ दिन से मुअत्तल हैं इनक खिलाफ यह चार्ज था कि यह फैसला लिखने पंच परिवर्तन करते हैं और एक ही मुकद्दमे में दो-दो फैसले दे दिये। इस प्रकार के चार्ज उनके खिलाफ थे इसलिये मुअत्तल किये गये हैं।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या किसी सरपंच के विरुद्ध यह शिकायत है कि उसने किसी वादी या प्रतिवादी के पास चिट्ठी लिखकर घूस मांगा है ?

श्री कृपाशंकर---यह तो मैंने बताया कि दो पंचों के खिलाफ मुकदमा सिगरी के हाकिम परगना के यहां चल रहा था। सरकार के यहां शिकायत आने की कोई बात नहीं थी। मुकदमा दायर था इसलिये वह सस्पेंड कर दिये गये।

जिला बोर्डों को अनुदान एवं ऋण

*२३-श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के अन्दर प्रत्येक जिला बोर्ड को अनुदान तथा लोन (कर्ज) के रूप में कितना-कितना धन दिया गया है ?

श्री कृपाशंकर---सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में प्रत्येक जिला बोर्ड को दिये गये अनुदानों तथा ऋणों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८३-३८४ पर)

श्री रामहेत सिंह---क्या यह सही है कि कई डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को बराबर मांग करने पर भी उनके आवश्यकतानुसार कर्ज या अनुदान न मिलने से आज भी वह कर्जदार हैं ?

श्री कृपाशंकर---हां, यह तो सही है कि बोर्डों को आर्थिक कठिनाई है।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि अधिकतर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की खराब हालत को देखते हुए और पिछले दो साल के अनुदानों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का अनुदान विशेष रूप से बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री कृपाशंकर---इस पर अभी विचार नहीं हो सका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार लोकल बाडीज फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुमायूं, टेहरी-गढ़वाल और देहरादून के जिलों को कुछ बढ़ी हुई ग्रान्ट देने जा रही है ?

श्री कृपाशंकर---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिला बोर्डों को दी जाने वाली ग्रान्ट म्युनिसिपल बोर्डों को दी जाने वाली ग्रान्ट के अनुपात में आधे से भी कम है ?

श्री कृपाशंकर---यह तो हिसाब लगाकर बताया जा सकता है।

गाजियाबाद के जल-कल (water works) के कार्य में रुकावट

*२४—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजियाबाद का जल-कल (Water works) तीन चार महीने से बिल्कुल तैयार है परन्तु बिजली न मिलने के कारण काम नहीं कर रहा है? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजली कबतक मिल जायेगी?

श्री कृपाशंकर—गाजियाबाद की जल वितरण योजना जिसमें चार नलकूप (Tubewell) हैं, बन कर बिल्कुल तैयार हैं। इनमें से एक नलकूप को चलाने के लिये बिजली भी मिल गई है, जिससे सार्वजनिक स्टैंडपोस्टों द्वारा पानी दिया भी जा रहा है। यह सही नहीं है कि केवल बिजली न मिलने के कारण वहां के जलकल का शेष काम बन्द है। इसका मुख्य कारण यह है कि बोर्ड ने अभीतक अपने जलकल तथा जल वितरण के नियम नहीं बनाये हैं।

वर्तमान आवश्यकता के लिये बिजली आंशिक रूप में मिल ही रही है। शेष बिजली भी निकट भविष्य में ही मिल सकेगी।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो निकट भविष्य शब्द है, उसमें कितना समय लगेगा?

श्री कृपाशंकर—इसी दिसम्बर के अन्त तक।

श्री तेजा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि, जो दूसरा कारण बतलाया गया है कि रूल्स नहीं बने हैं तो रूल्स बनाने के लिये विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई है और उसमें क्या प्रगति हुई है?

श्री कृपाशंकर—बोर्ड को कई बार जिलाधीश द्वारा कहा गया कि वह नियम बना डाले और अभी हाल में फिर विभाग की ओर से जिलाधीश को लिखा गया है कि उनको ताकीद कर दें कि वह इस प्रकार नियम बनाकर सरकार को भेजें।

उर्सिला हार्समैन अस्पताल कानपुर में नर्सों की ट्रेनिंग

*२५—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि कानपुर उर्सिला हार्समैन अस्पताल में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

श्री हमीद खां—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उर्सिला हास्पीटल में कब से नर्सिंग ट्रेनिंग आरम्भ होगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नर्सेज की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में ६ केन्द्र हैं। २४ तारीख को डायरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से पूछा गया है कि जहां एकोमोडेशन कम हो वहां के बारे में रिपोर्ट दें ताकि ट्रेनिंग उन स्थानों में रखी जाय जहां कि एकोमोडेशन की समुचित व्यवस्था हो।

श्री हमीद खां—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में उर्सिला और लाजपतराय अस्पतालों में अबतक कितनी नर्सेज ने ट्रेनिंग पाई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, उसमें कहा गया है कि उर्सला अस्पताल के बजाय लाजपतराय अस्पताल में ट्रेनिंग होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी मुझे तो इसकी सूचना नहीं है। मुझे माननीय सदस्य ने बतलाया था। लेकिन यहां से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं गये हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितनी नर्सेज ट्रेनिंग पा रही हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे संख्या याद नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं बतला दूंगा।

ग्राम-सभा अधासी, जिला इटावा के प्रधान का चुनाव

*२६—**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० को ग्राम सभा अधासी, पो० फफूंद, जिला इटावा में जो प्रधान पद का उपचुनाव हुआ था उसमें कुल कितने उम्मेदवारों ने भाग लिया था ?

श्री कृपाशंकर—दो उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

*२७—**श्री विष्णुदयाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त उप-चुनाव में कौन उम्मीदवार विजयी घोषित किया गया था ?

श्री कृपाशंकर—श्री रामदयाल को विजयी घोषित किया गया था।

*२८—**श्री विष्णुदयाल वर्मा**—क्या यह सच है कि उक्त ग्राम सभा में विजयी घोषित प्रधान को ग्राम सभा का अभी तक चार्ज नहीं मिला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृपाशंकर—जी हां। क्योंकि उक्त चुनाव अनियमित घोषित कर दिया गया है।

श्री विणुदयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस चुनाव के अवैध घोषित होने के क्या कारण थे ?

श्री कृपाशंकर—जो चुनाव की तारीख मुकर्रर की गई थी उसमें यह घोषित किया गया था कि १० बजे नामीनेशन लिये जायंगे और दो बजे से चुनाव होगा, लेकिन जो चुनाव अधिकारी वहां गये थे उन्होंने १० बजे से ११ बजे तक नामीनेशन टाइम रखा और ११ बजे से चुनाव शुरू कर दिया और कायदे के मुताबिक, नियमों के अनुसार चार घंटे बाद चुनाव होना चाहिये था, इसलिये यह नियम विरुद्ध हुआ और इसको अनियमित घोषित कर दिया गया।

हरिद्वार यूनियन की लकड़ी पर कथित कन्ट्रोल

*२९—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने पिछले तीन वर्षों में हरिद्वार यूनियन की कितने हजार मन लकड़ी कंट्रोल में ली थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हरिद्वार यूनियन की कोई लकड़ी कंट्रोल में नहीं ली गई।

*३०—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कंट्रोल की लकड़ी में से कितनी लकड़ी सरकार ने खरीदी या बेची और कितनी बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न नहीं उठता।

*३१— श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि लकड़ी का दाम बाजार में कंट्रोल की दर से कम है ? यदि उत्तर हां में हो, तो क्या सरकार लकड़ी पर से कंट्रोल उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लकड़ी के दाम अधिकतर बाजारों में कंट्रोल की दर से बहुत अधिक हैं। इसलिये कंट्रोल उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

*३२-३४—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

फतेहपुर के जिला बोर्ड में रिक्त स्थानों तथा उनकी पूर्ति

*३५—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या स्वशासन मंत्री को यह विदित है कि जिला बोर्ड फतेहपुर के दो सदस्यों के पाकिस्तान चले जाने और एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण तीन सदस्यों के स्थान बोर्ड में रिक्त हो चुके हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*३६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर हां, तो क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तीनों स्थान वैधानिक रूप से रिक्त होने की घोषणा सरकार द्वारा हो चुकी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। सरकार ने इस प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिये समस्त अधिकार जिलाधीश को दे रक्खे हैं। इन स्थानों को वैधानिक रूप से रिक्त घोषित करने के लिये बोर्ड का अनुरोध जिलाधीश को केवल विगत मास के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है, और अब वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

मानिकपुर-प्रतापगढ़ टाउन एरिया को आर्थिक सहायता

*३७—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने धन की सहायता टाउन एरिया मानिकपुर-प्रतापगढ़ को सड़क बनवाने के लिये दी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला प्रतापगढ़ की टाउन एरिया कमेटी मानिकपुर को १९५२-५३ में सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिये १,५१४ रुपये का ऋण दिया गया था।

*३८—श्री रामनरेश शुक्ल— यदि हां, तो कितनी ?

श्री मोहनलाल गौतम—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये १,५१४ रुपय का ऋण दिया गया था।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया।]

समाचार-पत्रों में कार्यवाही ग़लत छपने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न सुबह उठाया था, उसकी खबर आज के दोनों अखबारों, में, 'पाईनियर' और 'नेशनल हेराल्ड' में बिल्कुल गलत छपी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके जरिये से कि दोनों अखबार या तो उसे दुरुस्त करें, क्योंकि जो कुछ खबर छपी है उससे गलत भ्रम लोगों में पैदा हो सकता है...

श्री अध्यक्ष––अगर अखबार के बारे में बात हुई तो उसे मेरे पास भेज देना चाहिये था। यहां प्रश्न रखने की क्या जरूरत थी? मुझसे मेरे कमरे में आप बात कर लेते।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––मैंने यहां इसलिए उठा दिया कि देर न हो जाय।

श्री अध्यक्ष––क्या आप प्रिविलेज का सवाल उठा रहे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय––मैं चाहता हूं कि करेक्शन हो जाय।

श्री अध्यक्ष––उसके लिये तो देर का कोई प्रश्न नहीं। मैं समझता हूं कि व काफी जिम्मेदार लोग हैं। मेरे पास इसी प्रकार की एक शिकायत और आयी थी, शायद माननीय रामेश्वरलाल जी ने की थी और मैंने उसके बारे में यहां के प्रेस प्रतिनिधियों से कहा था। उन्होंने इस प्रकार का प्रतिवाद छाप दिया कि यह गलत बात गलती से छप गयी। तो मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों के साथ पत्रकारों का सम्बन्ध ऐसा है कि अगर उनसे रिपोर्ट करने में गलती हो जाय तो वह सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिये यकायक ऐसा प्रश्न फिर सदन में न उठाया जाय।

१९५४–५५ के अनुपूरक अनुदानों पर मतदान के लिए समय–विभाजन

श्री अध्यक्ष––अब पूरक अनुदानों पर मत लिये जायंगे कि कौन से अनुदान किस क्रम में लिये जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि २६–२७ अनुदान हैं, अगर एक-एक करके उनको लिया जायगा तो पेश भी नहीं हो सकेंगे और काम भी नहीं हो सकेगा। इसलिये एक-एक मंत्री के साथ जितने-जितने अनुदान हैं वह सब एक साथ ले लिये जायं और हमारी ओर से एक ही कटमोशन हो जायगा। इस तरह से सब अनुदानों पर ठीक तरह से बहस हो सकेगी।

अब मेरा सुझाव यह है कि माल मंत्री की अनुदान संख्या २, २१, २२, ३३, ३४ एक साथ ले लिये जायं और उनके लिए समय ४० मिनट रखा जाय। इसी तरह से सूचना मंत्री की अनुदान एक साथ ले ली जायं और ३० मिनट रखे जायं।

श्री अध्यक्ष––पहले मैं इस सुझाव के बारे में सदन से पूछ लूं। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है कि एक-एक मंत्रीगण के लिये जितने अनुदान हैं वह एक साथ पेश हो जायं और उनके ऊपर एक साथ बहस हो जाय। वे खत्म हो जाने के बाद दूसरे मंत्री जी के सब अनुदान ले लिये जायं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––मुझे कोई आपत्ति नहीं है चाहे मेरे ही लिये सारा दिन रख लिया जाय और बाद में गिलोटिन हो जाय।

श्री अध्यक्ष--अब उसके लिये समय निर्धारण होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मेरा प्रस्ताव है कि बहुत बड़ा विषय है। कुछ ऐसे विषय हैं जो बिना विवाद पास हो सकते हैं। तो जो मुख्य-मुख्य विषय हैं उनको ले लिया जाय। अगर सदन की राय हो तो मैं समय निर्धारित कर दूं?

मेरा सुझाव यह है कि सवा बजे तक पुलिस विभाग ले लिया जाय, एक घंटा सिंचाई तथा प्लानिंग, पौन घंटा शिक्षा और बैकवर्ड क्लास का डेवलपमेंट, एक घंटा यानी ४ बजे से ५ बजे तक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन। इसमें करीब-करीब कुल कवर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं कि सब मंत्रियों के विभाग न लिये जायं, तीन-चार मंत्रियों के लिये जायं। तो अब आप अपना सुझाव इस प्रकार रख दीजिये कि जिन अनुदानों के लिए शिवनारायण जी चाहते हैं कि विवाद हो उनके लिये समय इतना मिल जाय जिसमें उन पर विवाद हो सकें?

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि माल मंत्री जी के लिये ४० मिनट, सूचना मंत्री के लिये ३० मिनट, मुख्य मंत्री के लिये ३० मिनट, गृह मंत्री के लिये ४० मिनट, शिक्षा मंत्री के लिये ३० मिनट, स्वास्थ्य मंत्री के लिये २० मिनट, वित्त मंत्री ५ मिनट, उद्योग मंत्री १० मिनट, निर्माण मंत्री ३० मिनट और स्वायत्त शासन मंत्री ५ मिनट।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसीको आपत्ति तो नहीं है?

श्री शिवनारायण--श्रीमन्, विरोधी पक्ष की ओर से जो सुझाव आया है अगर वह माना गया तो केवल मंत्री बोलेंगे और एक सदस्य विरोधी पक्ष के बोल लेंगे, दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी-किसी में उन्होंने ५ मिनट ही रखा है।

श्री अध्यक्ष--जिसमें ५ मिनट समय दिया गया है उसमें तो मंत्री जी यह कह कर खत्म कर देंगे कि हम प्रस्ताव करते हैं और बैठ जायंगे और दूसरे लोग कुछ बोलेंगे नहीं।

श्री शिवनारायण--आप सदन से राय ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष--आखिर विरोधी दल को आलोचना करनी है उसे तो हम रोक नहीं सकते।

माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ कहना है इसके बारे में?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैंने नकल मंगाई है उसको जरा देख लूं?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जबतक इसके ऊपर विचार होता है तबतक कार्य जारी हो जाय, क्योंकि राजस्व मंत्री जी के अनुदान के बारे में तो आपने कह ही दिया कि वे उपस्थित पहिले करें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––श्रीमन्, इसमें भी टाइम बांध दीजिये तो अच्छा हो कि मंत्री जी कितनी देर बोलेंगे और दूसरे सदस्य कितनी देर बोलेंगे, नहीं तो सारा समय कहीं मंत्रीगण ही न ले लें।

श्री अध्यक्ष––यह आप उम्मीद करें कि बहुत जिम्मेदारी के साथ वह काम करेंगे।

१९५४–५५ के अनुपूरक अनुदानों पर मतदान अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी अनुदान संख्या २१––लेखा शीर्षक ४०––कृषि संबंधी विकास और खोज, अनुदान संख्या २२––लेखा- शीर्षक ४०––कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन अनुदान संख्या ३३––लेखा शीर्षक ४१ ––पशु-चिकत्सा तथा अनुदान संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५४––दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–२––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी के अन्तर्गत २९,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१ लेखा शीर्षक ४०––कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमान्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२––लेखा शीर्षक ४०––कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३––लेखा शीर्षक ४१––पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४–लेखा शीर्षक ५४––दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ५५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय–वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष––भाषणों के लिये मैं यह समझता हूं कि कोई भाषण जो पहले विरोध में दिया जाय वह ७ मिनट से ज्यादा का न हो और बाकी लोगों को ५, ५ मिनट दिये जायं और दो ही तीन सदस्य इस प्रकार बोल सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। जब कि अनुदान के लिये ४० मिनट हों तो ४ ही मिनट सदस्यों के भाषण को दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। दशांश समय बाकी लोगों के लिये रखा है और पंचमांश समय विरोध के भाषण के लिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द–– श्रीमन्, मिनिस्टर के लिये कितना समय रखा?

श्री अध्यक्ष––उनके लिये कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है।

मालमंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--यह तो स्पष्ट हो जाता कि किस मंत्री का किस समय पर अनुदान आयेगा। इतनी जल्दी-जल्दी कह गये कि समझ में नहीं आया। और न हम लोग नोट कर पाये।

श्री अध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री जी उसको देख रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने अगर फेहरिस्त देख ली हो तो आप बतला दें कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं जनाबवाला, अपनी एक नालायकी जाहिर करता हूं कि मैं अभी समझा ही नहीं कि क्या कहा। मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मिल जाय, लेकिन मिला नहीं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको बता देता हूं। इसमें यह है कि माननीय मंत्रीगण के जो संबंधित अनुदान हैं एक-एक मंत्री के सभी अनुदान एक साथ ले लिये जायं और उसके ऊपर विचार होकर सदन का मत ले लिया जाय। फिर दूसरा मंत्री और फिर तीसरा मंत्री, इस तरह से सब मंत्रियों के लिए समय निर्धारित कर दिया है। जैसे राजस्व मंत्री के पांच अनुदान हैं। उन सब पर चालीस मिनट वाद-विवाद होगा। और मैंने मूवर के लिए कह दिया कि पांचवां हिस्सा यानी आठ मिनट दिये जायंगे और बाकी को चार-चार मिनट दे दिये जायंगे ताकि तीन-चार भाषण हो जायेंगे। जवाब के लिए मैं निर्धारित कर दूंगा कि मंत्री कब बोलें। मंत्री जी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। किसी मंत्री के अनुदानों के लिये कितना समय देना चाहते हैं यह उन्होंने सजेस्ट किया है। राजस्व मंत्री के लिए चालीस मिनट, गृह मंत्री के लिए चालीस मिनट बाकी मंत्रियों के अनुदानों का समय फेहरिस्त में है जिसे श्री रामनरेश शुक्ल जी ने शायद लिख लिया होगा। उनसे आप फेहरिस्त लेकर कृपा करके देख लें। नहीं, तो आप (श्री जगन्नाथ मल्ल से) फिर से पढ़ कर सुना दीजिये। और जरा धीरे-धीरे आप सुनाइये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माल मंत्री जी के लिए ४० मिनट, सूचना मंत्री जी के लिए ३० मिनट, मुख्य मंत्री जी के लिए ३० मिनट, गृह मंत्री जी के लिए ४० मिनट, शिक्षा मंत्री जी के लिए ३० मिनट, स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए २० मिनट, वित्त मंत्री जी के लिये ५ मिनट, उद्योग मंत्री जी के लिये १० मिनट, निर्माण मंत्री जी के लिए ३० मिनट, स्वायत्तशासन मंत्री जी के लिए ५ मिनट और इसी क्रम से माननीय मंत्रियों के अनुदान लिये जायं।

श्री अध्यक्ष (वित्त मंत्री से)--इसी क्रम से और इतना ही टाइम रखा जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो अब कार्य के लिये समय शुरू होता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के सभी अनुदानों पर अनुदान संख्या २, २१, २२, ३३ और ३४ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तो हमें समय बरबाद करने की जरूरत नहीं मालूम होती कि मैं यह कहूं कि फलां आइटम जो है वह नियमित है या अनियमित है क्योंकि न किसी अनुदान को यह सदन नामंजूर करेगा और न उससे कोई लाभ होने वाला है। इसलिए उस अंश को तो मैं छोड़ देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो लोग कानून के पहलू को ज्यादा समझते हैं लेकिन मैं कुछ उन अनुदानों से संबंध रखने वाले विभागों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो मैं मालगुजारी विभाग से यह कहना चाहता हूं कि वह जरा अपने उत्तरदायित्व को समझने की कोशिश करें। उसके ऊपर समुचित देश की तरक्की और तनज्जुली निर्भर करती है लेकिन मैं यह दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिस पटावरी मनोवृत्ति से हम बहुत नफरत करते हैं वही पटावरी मनोवृत्ति इस मंत्रालय में कार्य कर रही है और इसके माने साफ यह है कि जो चीज सही हो उसे गलत बतलायेंगे। यह मनोवृत्ति दूर हो जाय तो इससे बहुत उपकार देश का होगा। इस संबंध में दो एक बातें मैं राजस्व मंत्री की खिदमत में पेश कर दूं। अभी इसी सत्र में जमींदारी उन्मूलन कोष के संबंध में उन्होंने बतलाया था एक सोमवार को कि बिना सनद की रकम ३,११,८८,३६७ रुपये हैं और दूसरे सोमवार को बतलाया कि वह रकम १,५९,१२,९९८ रुपये हैं। दोनों बातें राजस्व मंत्री ने ही बतलाई। अब यह डेढ करोड़ रुपये की जो गड़बड़ माननीय राजस्व मंत्री के दफतर में है वह गबन है या माननीय राजस्व मंत्री ने जानबूझ कर गलत हिसाब दिया, जो भी बात हो वही बतला सकते हैं।

दूसरी बात यह कि मालगुजारी मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ के सिलसिले में जो सूचना भेजी है जिसका उत्तर कल माननीय राजस्व मंत्री ने दिया था और जब विधान परिषद में बहस हुई तो वहां १७ आदमी की मृत्यु बतलाई और यहां ९ आदमी के मरने की चर्चा की लेकिन इन दोनों की सूचना केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजी। जब पूछा गया तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने ऐसा उत्तर दिया कि हम कुछ समझ ही न सके, शायद भुलाने के लिये दिया गया हो।

तहसीलों में जो गबन के बोलबाले हैं उसको एक जिले में स्वीकार किया जाता है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां जमींदारी एबालीशन कोष का हिसाब नहीं मिला। जितना रुपया बकाया पड़ा हुआ है और जिसकी सनदें नहीं दी गई हैं अगर माननीय राजस्व मंत्री को उसे वापस करना पड़े तो राजस्व मंत्री जी का भंडाफोड़ हो जायगा और मालूम हो जायगा कि कितनी रकम गड़बड़ में पड़ी हुई है और इस १ करोड़ ५२ लाख का उत्तर दें कि वह कहां है।

मालगुजारी की वसूली के संबंध में कहना है, यहां कहा जाता है कि बहुत आसानी से और बड़े आराम से लोगों ने मालगुजारी दे दी, कोई सख्ती नहीं करनी पड़ी। मेरा यह कहना है कि सरकार के पास जो खबरें आती हैं वे गलत होती हैं। वारन्ट जारी किये जाते हैं और कुर्की की जाती है, ये दोनों काम किये जाते हैं किन्तु तहरीर नहीं किये जाते। गिरफतारियां की जाती हैं, मवेशी कुर्क किये जाते हैं लेकिन उसको तहरीर नहीं किया जाता। इसलिये सूचना नहीं मिलती। क्या इसकी जांच कराई जायगी। सूचना मैं दे सकता हूं और उसकी मंत्री जी जांच करा लें और सिद्ध करा लें।

कागज दुरुस्ती के बारे में यह कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने इसके लिये १५ अगस्त से १५ अक्तूबर तक का मौका दिया है अगर मेमोरेंडम को पढ़ कर देखें तो इसमें नवम्बर से बाद तक कागज दुरुस्ती के लिये बहुत अच्छा समय माना गया है लेकिन उन्होंने १५ अगस्त से १५ अक्तूबर तक का समय दिया है जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी गांव में बरसात में पहुंच कर काम न कर सके। वह लोगों को इकट्ठा न कर पायें, वह तमाम कामों को न कर पायें लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या वह इस बात पर सोचने के लिये तैयार नहीं हैं कि यह कितनी भारी गलती हो रही है, इतनी भारी गड़बड़ हो रही है कि आज अधिवासी को अख्तियार देकर उसको आप दूर करना चाहते हैं लेकिन वह दूर नहीं हो सकती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अधिवासी

[श्री गेंदा सिंह]

को अगर यह हक देना मंजूर था तो उसके पहले यह जरूरी था कि यह कागजात दुरुस्ती करा ली जाती। इस कागज की दुरुस्ती के न होने की वजह से, जोकि अधिवासी सीरदार का हक पा रहे हैं उनका नाम दर्ज नहीं हो पायेगा और जो मजबूत आदमी होंगे वे उनके नाम को कटवाकर अधिवासी जो दर्ज हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहेंगे। यह दिक्कत होगी। यह जरूर भूल हुयी है। थोड़ी सी चाहे इसमें देर हो जाती लेकिन यह बेहतर होता कि वह अधिकार देने के पहले इस काम को शुरू कर देते। मैं कहता हूं कि इस काम को सख्ती के साथ करना चाहिये ताकि कोई कागज की गड़बड़ी न हो। मुझे माननीय मौर्य के जिले के एक गांव की खबर मिली है कि वहां पर एक लेखपाल ने एक दिन में १९ हजार रुपया कमाया। भगवान जाने कि यह कहां तक सही है। तकावी के संबंध में यह जरूर कह देना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी के पास बैठनेवाले लोगों से तकावी वसूल करने में जरा वह तेज रहे। मैं जानता हूं कि उनके पास बैठनेवाले तकावी के नादेहन्द हैं मैंने कई बार पूछा है कि २ हजार, ४ हजार, ५ हजार रुपया उनके करीब बैठनेवाले तकावी लेते हैं और ५ वर्ष, ७ वर्ष और १० वर्ष तक उसको मुल्तवी कराते रहते हैं। अगर वह चाहेंगे तो मैं उनको नाम भी बता दूंगा लेकिन मैं यह समझता हूं कि उनके नाम ऐसे हैं जो उनको अप्रिय लगेंगे। खैर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। इसलिये वे जिद न करें कि मैं उनका नाम न रखूं।

दुर्भिक्ष के संबंध में मैं फिर यह कहूंगा कि पटवारियों की मनोवृत्ति झूठी बात लिखने की मनोवृत्ति है और उसी तरह से वह सब काम करते हैं। उसी बात को वह सिद्ध करने के लिये तैयार रहते हैं। हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री को जानकारी हो। जहां पर यह नेचुरल क्लेमिटी आती है वहां की रिपोर्ट सरकार के पास गलत आती है। इस रिपोर्ट के बारे मे मेरी शिकायत है कि सरकार उस पर विश्वास करती है और उन अधिकारियों को गलत लिखने के लिये प्रोत्साहन देती है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने कम समय में बहुत कम कहा जा सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कि जो कुछ भी हो सके कहा जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान लेखपालों के जो कृत्य हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि पटवारी की और इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये आजकल के जो लेखपाल हैं यह तो उनसे बहुत आगे बढ़ गये हैं। अगर इनसे कोई खसरे की नकल मांगता है तो उनसे जान बूझकर घूस का सवाल करते हैं। पहले पटवारी किसी कागज को बदलने के संबंध में या किसी नकल को देने के लिये १६ आने का सवाल करता था और इतने में वह काम हो जाता था लेकिन आज के जो लेखपाल हैं वह २५, २५ और ३०, ३० रुपये का सवाल करते हैं। इन लोगों से कोई भी काम बिना घूस दिये नहीं लिया जा सकता है। यह लेखपाल तो ऐसे हैं कि उनके लिये जो कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा है। मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान विशेष रूप से इस तरफ खींचना चाहता हूं कि वह इस तरफ मेहरबानी करके ध्यान दें। यह लेखपाल तो जो तीर्थ के पंडे होते हैं उनसे भी आगे बढ़ गये हैं। अगर कोई आदमी प्रतिकर लेने के लिये जाता है तो उसको भी ५ रुपये तक इनको देना पड़ता है। और अगर कोई आदमी वहां पर घूस नहीं देता है तो उसका परिणाम यही होता है कि उसके लिये टाइम बढ़ा दिया जाता है। वहां पर प्रतिकर अधिकारी मौजूद रहते हैं। उनको उस अदालत से बाहर कर दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि अदालत में आज अफसर विद्यमान नहीं हैं और उनके लिये दूसरी तारीख रख दी जाती है।

दुरुस्ती के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज तहसीलों में बड़ी गड़बड़ है। केवल हमारी फैजाबाद जिले की एक तहसील में इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं और यही नहीं बल्कि जो आदमी दुरुस्ती के लिये जाते हैं उनको वापस होकर मुकदमा छोड़ देना

*माननीय वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पड़ता है या वकीलों को इतना रुपया देना पड़ता है कि घर के जेवर तक बिक जाते हैं। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी कुछ इस समुदाय के साथ किया है, वह समुदाय नगण्य नहीं है, उसकी तादाद २२ लाख है, उनसे अब भी प्रतिकर के बारे में घूस ली जाती है, परेशान किया जाता है, तरह-तरह के कष्ट पहुंचाये जाते हैं। जो रूल्स बनते हैं वे कई-कई बार पब्लिक डेट आफिस में आते हैं और वापिस जाते हैं, कभी यह गलती रह जाती है और कभी वह। मेरी समझ में नहीं आता क्या बात है या तो अधिकारियों में लगन नहीं है या वे अपना काम ही नहीं करना चाहते, माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि यह उनकी किंकर्त्तव्यविमूढता क्यों है? शायद वे यह समझते हों कि इनका ऐसा दुर्भाग्य कि इनके साथ कुछ अन्याय भी हो जायगा तो कोई पूछने वाला नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि उनकी तरफ कोई उंगली उठाये। श्रीमन्, मैं ऐसे बहुत से जमींदारों को जनता हूं और ऐसी बहुत सी बेवा औरतें भी हैं कि जिन्होंने कभी कचेहरी की तरफ कदम भी नहीं उठाया, उनके साथ भी अन्याय और अत्याचार किया जाता है। जो रुपया वे अपने साथ लाते हैं वह कचहरी में ही खर्च हो जाता है और घर लौटने के लिये उनके पास कुछ नहीं रहता। मुआविजे के लिये ऐसी तारीख रक्खी जाती है कि एक दो महीने के बाद कहीं मौका आ पाता है। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि कितने ही ऐसे छोटे जमींदार हैं जो प्रतिकर अधिकारियों के कष्ट के भय से अपना प्रतिकर भी नहीं ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अब कोई सिद्धांतों का झगड़ा तो रहा नहीं है, उसूलों के लिये कोई शिकायत करने का अवसर नहीं है, जो कुछ भी प्रतिकर उनको दिया जा रहा है, जो आश्वासन उनको दिये गये हैं, उनमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं करना चाहिये। आज पब्लिक डेट आफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होने के कारण लोगों की दिक्कतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यही नहीं डेट तक में ६–६ महीने लग जाते हैं। इन थोड़ी सी बातों पर माननीय मंत्री जी यदि ध्यान नहीं देंगे तो उसका दुष्परिणाम यह होगा यद्यपि सरकार के कोष में कुछ रुपया बच जायेगा, लेकिन प्रदेश के लोगों के प्रति एक महान अन्याय होगा।

*श्री शकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यों एक प्रकार से पटवारियों के चले जाने पर सुख हुआ लेकिन उनकी जगह जो लेखपाल नियुक्त हुये हैं उनके कारण देहातों की स्थिति वास्तव में बड़ी गम्भीर हो गयी है। जो पुराने पटवारी थे उनसे रुपया बोस आने में ही काम हो जाता था लेकिन लेखपाल लोग मामूली-मामूली इंतखाब के लिये भी १०–१० रुपया ले लेते हैं। इसके अलावा पड़ताल के सिलसिले में भी लेखपालों ने बड़ी धांधली मचा रक्खी है। वे इस मामले में मनमाना तरीका अख्तियार कर रहे हैं। अगर किसी से कुछ पा जाते हैं तो किसी के भी खेत को दूसरे के नाम पड़ताल कर देते हैं। अभी-अभी अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता चला है कि हमारे गोरखपुर जिले में बहुत से ऐसे लेखपाल हैं जिन्होंने पुराने पटवारियों को अपने खसरे उठा कर दे दिये हैं, जो बैठे-बैठे पड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को रख लिया है जो मनमाने तरीके से काश्तकारों से पैसे वसूल करते हैं और खुद पड़ताल कर रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जहां तक उनकी जानकारी हासिल है, वास्तव में जितनी धांधली लेखपाल कर रहे हैं उतनी धांधली पहले जमाने के पटवारियों के समय में भी नहीं थी। इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सके इस मामले में कड़ाई से काम लें नहीं तो जहां पर वे काश्तकारों की दशा सुधारने की सोच रहे हैं वहां उनकी दशा और बदतर हो जायगी। जहां तक फसलों के पड़ताल करने की बात है अगर किसी काश्तकार से उनको मनमाने तरीके से पैसे नहीं मिलते हैं तो केवल परेशान करने के लिये वे खेत दूसरे के नाम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनीक्षण नहीं किया।

[श्री शुकदेव प्रसाद]

लिख देते हैं। मैं खुद अपनी बीती आपको सुनाना चाहता हूं कि हमारे यहां के लेखपाल चन्द्रदेव सिंह हैं जिन्होंने एक पुराने पटवारी को जो इस्तीफा देकर चला गया था हमारे गांव की पड़ताल का काम देकर चले गये। मैंने इसका विरोध किया और उनसे कहा कि यह बात गलत है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पड़ताल के सिलसिले में मेरे चार नम्बर के खेत को जिसको हम बराबर से बोते जोतते आते थे, उन्होंने दूसरे के नाम पड़ताल कर दिया। इस संबंध में मैंने जिला अधिकारियों को लिखा है। अब देखें वे पता लगा कर क्या करते हैं। किसी शख्स ने खेत बोया हो और किसी के नाम पड़ताल हो जाय तो ऐसी सूरत में मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि, अगर इस तरह से धांधली बढ़ती जायगी और इसको संभाला नहीं गया तो उससे वास्तव में देश का बहुत बड़ा अहित होगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, सचमुच पटवारियों को अलग तो इसलिये किया गया था कि शायद उनको अलग करके किसानों को, लोगों को, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। जैसी पटवारियों की मनोवृत्ति थी वैसी ही प्रवृत्ति अब लेखपालों की हो गयी है कि किसी के नाम खेत होता है और वे किसी के नाम लिख देते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई लगान दे रहा है, और कोई किसी खेत में खेती कर रहा है। पता नहीं आखिर यह समस्या कब तक चलती रहेगी? यह अन्धेर राज्य कब तक बना रहेगा? अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां तक इन्तखाब की बात है उसके लिये १ रु० से ५० रु० तक लेते हैं। जहां तक कलेक्शन की बात है हमारी सरकार ने अभी हाल ही में १८ प्रतिशत हरिजनों के लिये रिजर्वेशन किया है। कलेक्शन विभाग को चाहिये था कि इसमें हरिजनों को अधिक से अधिक नौकरी देता। इसके संबंध में कहने पर कहा जाता है कि हरिजन लोग बहुत ही अयोग्य हैं, नालायक हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि मैं यह पूछूं कि क्या जो मामूली चौकीदार या उनके साथ में चपरासी रहते हैं, क्या इतनी योग्यता भी उनमें नहीं है कि वे उन जगहों पर काम कर सकें? क्या उनको सर्विस न देने का यह एक बहाना मात्र है? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस ओर ध्यान देने की विशेष कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पड़ताल की बात है पटवारी या लेखपाल हर गांव में जाकर किसी बड़े आदमी के चौपाल में जाकर बैठ जाते हैं और वहां बैठ कर तमाम खेत का हाल लिख लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो वास्तव में खेती करते हैं उनका नाम नहीं लिखा जाता है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बल्कि जिसमें कभी खेती नहीं होती है उसमें लिख दिया जाता है कि फलां अनाज इसमें बोया गया है और जिसमें खेती की जाती है उसके लिये लिख दिया जाता है कि न जाने कब से वह खेत परती पड़ा हुआ है। तो इस तरह की धांधले-बाजियां आपके विभाग में चल रही हैं। आशा है कि माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से बड़ी मेहनत करके जमींदारी एबालिशन और भूमि व्यवस्था अधिनियम को बना सकें उसी प्रकार से इसको भी लागू करने की कृपा करेंगे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं विस्तारपूर्वक तो माननीय राजस्व मंत्री जी के विभाग के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन दो चार खास बातों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। पिछली बार जब अमीनों का चुनाव हर जिले में हुआ तो उस वक्त कुछ तहसीलदारों ने खुल्लमखुल्ला पैसा कमाने का उद्योग समझ कर ऐसा काम किया कि एक एक अमीन की नियुक्ति में सौ सौ और दो दो सौ रुपया वसूल किया और ऐसे लोगों को अमीन रखा जो उस काम के लिये बिलकुल ही अयोग्य थे और उनकी जगह पर उन उम्मीदवारों को जो हर तरह से योग्य थे, नहीं रखा क्योंकि उनसे उनको पैसा नहीं मिला। इसके बारे में शिकायत भी की गई और इंक्वायरी करने के लिये भी कहा गया और मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के सभासचिव से शिकायत की, लेकिन

जांच की आजतक कोई सूचना नहीं मिली। ऐसे ऐसे उम्मीदवार जो दो दो साल तक काम कर चुके थे और जो हाई स्कूल तक पास थे नहीं रखे गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां वह हरिजनों के लिये १८ परसेंट की बात कहते हैं, वहां इस विभाग में हमारे हरिजन एक परसेंट भी नहीं हैं। उन्होंने पुराने अनुभव की क्वालिफिकेशन ऐसी लगा रखी है कि जिस के कारण से कोई हरिजन नहीं आ पाता है। इस तरह की रोक हरिजनों के लिये लगा रखी है कि जो पहले इसमें काम कर चुके हैं उन्हीं को लिया जायगा। अच्छा हो कि ऐसा प्रतिबन्ध हटा दिया जाय, इस समय उनमें कोई भी उम्मेदवार ऐसा नहीं है कि जिस ने पहले उगाही का या इस तरह का काम किया हो। अगर यह प्रतिबन्ध उनके लिये न लगाया जाय तो परसेंटेज किसी हद तक पूरा हो सकता है और जो योग्य और पढे लिखे हरिजन लोग हैं और बेकार हैं वह भी काम में लग जायेंगे।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ४० मिनट में से बहुत सा समय तो लेख पालों पर ही व्यतीत हो गया। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज पटवारियों की जगह चाहे लेखपाल रखे जायं या लेखपालों की जगह सुखपाल रखे जायं, लेकिन जब तक हमारा यह मौजूदा एकनामिक स्ट्रक्चर चला आता तब तक कोई वास्तविक तब्दीली नहीं हो सकती। जब तक यह वातावरण मौजूद है और मौजूद है एकनामिक स्ट्रक्चर है तब तक हमेशा इसी तरह के करप्शन की बात सुनने में आती रहेंगी। केवल आदमियों या नामों के तब्दील करने से काम नहीं चलेगा। बगैर वातावरण के तब्दील हुये कोई चेंज होने वाला नहीं है। जब पटवारी बरखास्त हुये थे तब यह विश्वास था कि अब सुधार माल विभाग में हो जायगा। पुलिस विभाग के संबंध में भी यही बात है लेकिन जब तक मौजूदा एकनामिक स्ट्रक्चर कायम है, जो जर्जरित हो चुका है, तब तक सुधार की कोई आशा नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो अनुदान रखे गये हैं, उनमें बहुत सी विशेषतायें हैं और उनमें से एक मांग जो कृषि के इम्पलीमेंट्स के बारे में और उन की तरक्की के लिये मांग है वह विशेषता और महत्ता रखती है। अब तक इस ओर ध्यान कम दिया गया था और ट्रैक्टर्स आदि का आयात दूसरे देशों से होता था और उनकी दुरुस्ती तक का ठीक प्रबन्ध यहां नहीं था। अब बहुत सा रुपया विदेशों में जाने के बाद माननीय राजस्व मंत्री जी को ध्यान आया है और उन्होंने एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स के लिये यह मांग रखी है।

श्री चरण सिंह—मेरे जमाने में एक भी ट्रैक्टर नहीं आया है।

श्री केशव गुप्त—तकावी के रूप में रुपया लोगों को दिया गया है और उन्होंने उनको मंगाया है। उस देश में जहां मैन पावर भरी पड़ी हो और लोग बेकार रहते हों, वह ट्रैक्टर्स के लिये तकावी देना अनुपयुक्त है और ऐसा न होना चाहिये। हमें वह तरीके इस्तेमाल करने चाहिये जिनसे हमारी मैन पावर का उपयोग हो सके और अनएम्प्लायमेंट दूर हो सके। यह बहुत उचित अनुदान है और हमें सहर्ष इसे स्वीकार करना चाहिये।

दूसरे अमीनों के ट्रेनिंग के संबंध में जो मांग है वह भी अपनी जगह पर उपयुक्त मांग है और हमें और उस को भी स्वीकार करना चाहिये। जब तक उन को ट्रेनिंग ठीक से न दी जायगी, उन का काम ठीक से न हो सकेगा और न पैमाइश का काम ही ठीक हो सकता है, इसलिये यह मांग भी अपनी जगह पर बहुत मुनासिब है। और जो कालोनाइजेशन के संबंध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

में और कांस इरैडिकेशन के संबंध में मांग रखी है वह भी उपयुक्त है। बहुत सी ऐसी जमीन हमारी पड़ी हुई है जिन्हें हमें कल्टीवेशन में लाना है और उन्हें उपजाऊ बनाना है। इसलिये उनके लिये जो मांग की है वह ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि कांस इरैडिकेशन में जो उन्नति करनी है उनमें जो ट्रैक्टर्स व्यर्थ पड़े हुये हैं उनका इस्तेमाल करें। मुझे पता लगा है कि बावजूद इसके कि एक डिपार्टमेंट सिफारिश करता है कि हमारे यहां ढाई सौ ट्रैक्टर्स पड़े हुये हैं, बावजूद उसके एक डिपार्टमेंट ने कई लाख के ट्रैक्टर्स नये मंगाये, लेकिन यह मंगाये गये हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, जिससे हम पूछते हैं, वह कहता है कि हमें पता नहीं है। लेकिन वह आये और हमारे कोष से उनके लिये रुपया दिया जा चुका है। मुझको कहना है कि जो मांगें आपकी हैं वह अपनी जगह पर ठीक है, सही हैं लेकिन जो मांग वह उन्हीं अनुदानों तक ही संबंधित रहे तो बेहतर हो क्योंकि सामान्य बातों को कहने के लिये तो जनरल बजट का समय होता है। बस मुझे इतना ही इस समय कहना है।

*श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, लेखपालों की जितनी शिकायतें यहां सुनाई गई, उनमें कुछ और शिकायतें जोड़कर मैं भवन का समय नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि श्रीमन् जिस समय पटवारियों ने इस्तीफा दिया था, इस भवन में बहुत कम ऐसे थे जो उससे खुश न हुये हों। परन्तु उसके बाद जब लेखपाल रखे गये तो हमारा अनुभव यह कहता है कि उन्होंने तो पटवारियों के भी कान काट लिये। श्रीमन्, जितने एम० एल० एज० हैं, सबका यह अनुभव है कि लेखपाल पटवारियों से बहुत बदतर निकले काम करने में और घूस लेने में। लेकिन प्रश्न यह है कि पटवारी भी भारतीय हैं और लेखपाल भी भारतीय हैं और और कोई साहब भी रख दिये जायं, वह भी अपने ही आदमी होंगे और सरकार को तो काम लेना ही होगा। सवाल यह है कि जब तक नैतिक स्तर हमारे देश का नहीं उठता तब तक कोई भी पाल रखेंगे, हर वक्त यही सवाल उठेगा कि वह घूस अधिक लेते हैं। परन्तु सरकार तो जब तक नैतिक स्तर ऊंचा न हो तब तक तो रुक नहीं सकती इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से और सरकार से कहूंगा कि कम से कम अपने अपने विभाग को और उसके अफसरों को यह ताकीद अवश्य करें कि अब जरा सख्ती बरतने-का वक्त आ गया है। मैं यह जानता हूं कि हम प्रजातंत्रवादी प्रथा के नीचे काम कर रहे हैं। उसमें समरी प्रोसीडिंग्ज तो नहीं हो सकतीं, एकदम से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऊपर से सख्ती हो, ढिलाई न हो, तो काम बन सकता है और मैं तो कहूंगा कि आज गवर्नमेंट के तीन "पकार" के त्रिकोण में हमारी कृषक जनता पिस रही है और वह तीन "पकार" हैं "पुलिस" "प्रधान" और पटवारी,

*श्री रामसुन्दर पांडेय---(जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, लेखपालों के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो राय प्रकट की है उससे मैं समझता हूं कि हम लोगों का भार हलका हो गया है। पटवारियों के संबंध में, जिस समय माननीय राजस्व मंत्री जी ने तलवार पटवारियों के खिलाफ उठाई थी, उसी समय हमारी ओर से कहा गया था कि तरीका गलत अपनाया जा रहा है लेकिन आज लेखपालों के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि लेखपाल, जो कागजात पटवारियों ने ठीक किये थे, उनको भी बिलकुल बिगाड़ रहे हैं और एक शब्द में यदि कहूं तो पेटपाल और सरकारपाल तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी के संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब भूतपूर्व जमींदार थे उस वक्त भी मालगुजारी इतनी बेरहमी के साथ वसूल नहीं की जाती थी जितनी बेरहमी से आज की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वक्त तो बहुत हैं कम लेकिन मेरे पास एक दो सबूत है और जिनको कि मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट है जिसमें एक केशव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तिवारी जी है जो हमारे क्षेत्र के तिनहरी गांव के हैं और वह फतेहपुर मंडल कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं, उनके संबंध में जो शिकायतें थीं उसको पंडित अवधबिहारी पांडेय जो जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं।.....

श्री अध्यक्ष––जो लोग यहां मौजूद नहीं है, आप उनका नाम ले ले कर भाषण दे रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष––आप शिकायत के तौर पर भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो यहां पर उपस्थित न हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय––यह कोई शिकायत नहीं है बल्कि उनकी तरफ से जो पत्र लिखा गया है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने सरकार के पास रिपोर्ट की कि केशव तिवारी को मालगुजारी वसूल करने के लिये बहुत परेशान किया, बेइज्जत किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट को अवधबिहारी पांडेय जी द्वारा सरकार के पास भेज देने के बाद भी, अब तक उसकी जांच नहीं हुई। हमारी बात माननीय राजस्व मंत्री मानें या न मानें लेकिन उधर के बैठे हुये जो सदस्य हैं और जिन पर सरकार कायम है उनकी बातों को तो राजस्व मंत्री को ख्याल करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में खुद राजस्व मंत्री जी को मालूम है नायब तहसीलदार गया और लोगों को घंटों तक बांध रखा और राजस्व मंत्री जी को मालूम हो गया कि उसने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी वह राजस्व मंत्री जी को देखरेख में काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहतां हूं कि दुर्भिक्ष के संबंध में कहा जाता है कि सफलता प्राप्त हुई लेकिन कोई सफलता, कोई कामयाबी सरकार को इन तीन चार सालों के अन्दर, हमारी समझ से, हासिल नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष है और हम को मान लेना चाहिये। आपके जरिये मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे पास कई मजदूरों की चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यहां का जो काम कराने वाला आदमी है वह बहुत बेरहमी के साथ हम लोगों से काम लेता है, रात को छुट्टी देता है और फिर तीन चार नालों को पार करके हम लोगों को घर जाना पड़ता है। फिर १०, १० दिन तक मजदूरी नहीं मिलती है। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी कार्यवाही उनको करनी चाहिये। लेखपालों आदि के संबंध में उनको पुनः विचार करके पटवारियों के लिये कोई ठोस विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री चरण सिंह––श्रीमान्, मैं तो यह समझता रहा था कि तारीफ करना मुश्किल है, बुराई करना ज्यादा प्यारा लगता है, शायद यह बात आम लोगों के लिये सही होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन मैं तो यहां यह देख रहा हूं कि अनमेजर्ड टर्म्स में, १० आदमियों ने गलती की होगी, २० ने गलती की होगी, लेकिन बिना तहकीकात किये और जिसे कहना चाहिये कि अनब्रिडिल्ड लैंग्वेज (बेलगाम बातें) लेखपालों के सिलसिले में कही गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इंकार नहीं करता कि लेखपालों ने गल्तियां नहीं की है, लेते होंगे रिश्वत कुछ, लेकिन यह कहना कि पटारियों से यह बदतर साबित हुये हैं, अध्यक्ष महोदय, इससे मुझे शिकायत है। कारण यह कि लेखपालों को कोई अख्तियारात हमने दिये नहीं हैं गलत इंदराज करने के, जो कि पटवारियों को हासिल थे। अध्यक्ष महोदय इस तरह की चर्चा मेरे कानों में भी आयी थी कि लेखपाल पटवारियों से बदतर साबित हुये हैं तो मैंने यह बहुत तफसील से कोई १५, २० सफे का एक नोट लिखवाया–देन एन्ड नाऊ–पहले पटवारियों के क्या अख्तियारात थे, क्या फरायज थे, किस तरह से

[श्री चरण सिंह]

बदउन्मानी करने की गुन्जाइश थी और अब कैसे नहीं रही। कोई भी अख्तियारात उसको नहीं रहे और यह हिन्दी और अंग्रेजी में जैसे भी प्रेस से आ जायगा, मैं माननीय सदस्यों की मेज पर रख दूंगा और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा, मैं आपके जरिये इसकी दरख्वास्त अभी से करना चाहता हूं कि उसके लिये और क्या किया जा सकता है, एक दिन सिर्फ इसी पर विवाद के लिये रख दिया जाय और उस दिन सारे मेम्बर्स इसके बारे में अपने-अपने सजेशंस दें।

(अपोजीशन की तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद की आवाजें)

यह जितने अख्तियारात पटवारियों के हाथ में उस वक्त थे, पावर्स आफ हिज टाइम, वह हैं power of making corrections in village records उसमें मैंने यह किया है कि बायें साइड में पावर लिखी है और दाहिने साइड में आपको सब के सामने मिलेगा no such powers now exist, no such powers now exist. सब पर यह लिखा हुआ है। जितने भी गलत इंदराज करने के अख्तियारात थे, कोई उसको नहीं हैं। आज वह कोई इंदराज कर ही नहीं सकता है, बिना अदालत के हुकुम के। केवल पड़ताल के वक्त खसरे कैफियत के खाने में कब्जा लिखता है। पड़ताल के माने यह हैं कि असली खाने में।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सदस्यगण मुझे सुनने का कष्ट करें। खसरे या खतौनी के असली खाने में कोई इन्दराज ही नहीं कर सकता है, खतौनी के कैफियत के खाने में कोई इंदराज नहीं करेगा। खसरे के कैफियत के खाने में जिसका नाम पहले से खाते में लिखा आता है और उस पर ऐक्चुअली दूसरे का कब्जा पाता है तो वह कब्जा लिखता है, कब्जे की नौइयत नहीं लिखता है, जैसे केसेज पहले होते थे, और इस तरह के इन्दराज की नकल कानूनगो और गांव प्रधान के पास भेजता है और वह शख्स जिसका खाता है, जिसका कब्जा पाता है उनके पास भेजता है और भेजने के सबूत के लिये लाजिमी है कि उनके दस्तखत कराये कि हमने पाया। जो सारे कैसेज डिसप्यूट के हों वह सारे तहसीलदार और एस० डी० ओ० के पास भेजे। उसका कब्जा लिखने का कोई कानूनी असर नहीं है जब तक कि ऊपर से अदालत या कोई हायर रेवेन्यू आफिसर बाकायदा इन्क्वायरी करके उस खाने की ऐन्ट्रीज को, उसी साल या अगले साल, हुक्म नहीं देता है कि यह असली खाने में चली जायं। जब तक यह हुक्म न हो जाय तब तक कैफियत के खाने में कुछ लिख लेना कोई असर नहीं रखता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मुझसे लोगों ने कहा कि लेखपाल खसरे की नकल दे देता है। अभी हमने कई महीने हुये, यह अहकाम जारी कर दिये हैं कि जब तक तुमको अदालत न बुलाये और इंदराज की नकल तुमसे तलब न करे, तुम किसी को नकल न दो। मैं फिर दोहराता हूं कि कैफियत के खाने के इंदराज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक अदालत का हुक्म न हो जाय। जैसा मौके पर पाता था लिखता था, उसकी भी नकल देने को मना कर दिया है, जब तक कि अदालत तलब न करे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि लेखपाल कैसे रिश्वत ले सकता है। बात यह है कि जमीन के सिलसिले में लोगों के अख्तियार और हकूक हमेशा के लिये तय होने जा रहे हैं इसलिये हर आदमी की भाग दौड़ है कि लेखपाल को रिश्वत देकर उसका नाम दर्ज हो जाय। मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे कोई कितनी ही रिश्वत दे, लेखपाल के हाथ में कोई अख्तियारात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अगर लेखपाल बेईमान है तो किसका कसूर है। पुराने पटवारी तो घिसे हुये थे, बहुत चालाक थे, लेकिन लेखपाल तो घिसे हुये भी नहीं हैं, साल भर केवल नौकरी किये हुये हुआ है। पहले पटवारियों को अख्तियारात बहुत थे, स्याह सफेद कर सकते थे, वह सब अख्तियारात हमने ले लिये, एक नहीं छोड़ा। फिर भी अगर बेईमानी करता है तो किसका कसूर है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—सरकार का।

श्री चरण सिंह––जो आपकी और हमारी औलाद है, उसका कसूर है। सब की आदत सी हो गई है कि रिश्वत देकर काम करा लें। मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस सिलसिले में क्या कर सकती है। मैं जिस जिले में गया, वहां के डिप्टी कलेक्टर्स और कलेक्टर से यही बात की और पूछा कि तुमने अपने जिले में कितने लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही की है। बरेली में ३३ लेखपाल वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कलेक्शन ड्राइव में बरखास्त किये हैं और अब जो सरक्यूलर किया गया है उसमें बरेली के कलेक्टर की मिसाल रखी है। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है जैसा सुरेशप्रकाश जी ने कहा कि गवर्नमेंट को अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी हो तो बाकायदा जाब्ते की कार्यवाही की जा सकती है, तब जा कर आदमी अलग किया जा सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसकी तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि लेखपाल तो दो साल के प्रोबेशन पर ही अभी रखे गये हैं। जिलाधीशों को आर्डर हमारा यह है कि अगर तुमको इखलाकी यकीन हो जाय कि कोई आदमी रिश्वत लेता है, लीगल प्रूफ भी तुम्हारे पास न हो, केवल तुम्हारे पास तुम्हारी सरटेंटी हो, तुम्हारा यकीन हो तो एक महीने की तनख्वाह देकर अलाहिदा कर दो, क्योंकि सब प्रोबेशन पर हैं और इसीलिये हमने किसी को परमानेंट नहीं किया है। हमारा कुछ दस बीस हजार रुपया ही तो ज्यादा खर्च हो जायगा, लेकिन एक महीने की नोटिस देकर अलाहिदा कर दो। तो इस तरह की समरी प्रोसीजर इन लेखपालों के खिलाफ होती है। मैं इंकार नहीं करता कि वह रिश्वत नहीं लेते हैं, लेते होंगे, लेकिन हम लोगों की एक आदत है कि हम जनरलाइज कर देते हैं हर चीज को। माननीय सुखदेव प्रसाद जी ने, या माननीय सुरेशप्रकाश जी ने यहां कहा इसके लिये। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी वह कोई स्पेसिफिक केस मेरी नोटिस में लाये? अगर कोई स्पेसिफिक केस वह लाये हों, और कोई कार्यवाही न की गई हो तो तब गवर्नमेंट की शिकायत हो सकती है। कोई स्पेसिफिक केस अगर आता है तो फौरन उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, बहुत से केसेज में टेलीग्राफिक आर्डर्स दिये जाते हैं कि पहले सस्पेंड कर दो, फिर कोई और बात करो। लेकिन एक आम हवा फैलाना भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब भी हमारे और आपके यहां बहुत से लोग राजकर्मचारी चाहे जितनी ईमानदारी से काम करता हो, लेकिन वह यही समझते हैं कि जब तक उसको पांच रुपया देंगे नहीं तब तक वह काम होगा ही नहीं। दोष दिया जाता है कायदे कानून और गवर्नमेंट का। मैं यह अर्ज करता हूं, जैसा कि माननीय केशव गुप्त ने कहा कि आज एक बड़ा विशस एटमास्फेयर है जिसमें कि हमारी सारी सोसाइटी है। अध्यक्ष महोदय, इस हमारी गुलामी के जमाने में देश के माल की लूट हुई जिससे देश गरीब हुआ, बहुत लूट हुई, लेकिन वह जो माल की लूट हुई वह तो दस बीस साल में या दो चार पीढ़ियों में पूरी हो जायगी। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ गुलामी के जमाने में, वह यह कि हमारे चरित्र की बहुत लूट हुई। हमारी दर्जनों पीढ़ियां गुलामी में कटीं। हमारे बाप दादे झूठ बोलकर, रिश्वत देकर, दूसरों को ओवररिच करके अपना काम निकालते रहे और इसी तरह अपनी जिन्दगी काटते रहे। उनकी औलाद ये सारे राजकर्मचारी हैं और हम सब हैं। मैं पूछता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते हैं कि करप्शन हो रहा है, और उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि उसके लिये सुपरिंटेंडेंट पुलिस बैठा दिया, जाय, आप यह चाहते हैं कि उसके लिये हर कचहरी में एक सुपरिंटेंडेंट क्युकरंर कर दिया जाय, हर दफ्तर में। नहीं, यह हो नहीं सकता। इस तरीके से स्टेट चल नहीं सकती। वह पुलिस स्टेट बिलकुल हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे चरित्र में शुद्धि का काम है वह बड़ी देर में होता है, कई पीढ़ियां लगती हैं।

श्री गेंदा सिंह––पहले आप से शुरू होना चाहिये।

श्री चरण सिंह––मैं अपने आपको आपसे अलाहिदा नहीं कर रहा हूं । मैं अपने आपको बरी नहीं कर रहा हूं । लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई हो जिस वातावरण में हम पले हैं, उसमें ऐसी बातों को प्रोत्साहन मिलता है और यह चीज इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकती, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है ।

श्री राजनारायण––इसको रिमूव करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह––मैं कह रहा हूं कि वह आप बतलायेंगे कि क्या करना चाहिये, जब यह आपके सामने आयेगा उस समय आप बतलायेंगे ।

माननीय गेंदासिंह ने कुछ बातें कहीं कि पटवारी मनोवृत्ति को छोड़ा जाय । मैं कहता हूं कि क्या मेम्बर्स जब कोई बात कहे तो उनके लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह हिसाब लगा लें या तहकीकात कर लें । यह कहां तक सही बात हो सकती है कि जो बात समझ में न आवे उसकी बेसिस पर यह सरेआम इल्जाम लगा देवें । जो आंकड़े दिये गये थे, मैंने उसी रोज सप्लीमेंटरी के जवाब में बता दिया था कि २९ करोड़ ९७ लाख की सनद दी गई । दो करोड़ रुपया औसतन उन तीन जिलों को बैठता है जिनके आंकड़े उस रोज उपलब्ध नहीं थे, इस तरह से ३२ करोड़ का जोड़ बैठता है । ३३ करोड़ ८० लाख की सनद होनी चाहिये । एक करोड़ ८० लाख का हिसाब इस तरह से आता है । उस दिन बाद में जो आंकड़े दिये गये थे उसके हिसाब से १ करोड़ ५९ लाख बचता है । तो उसमें तीन जिलों का शामिल नहीं था । अध्यक्ष महोदय, उसी में नोट लिखा हुआ है कि तीन जिलों के आंकड़े नहीं हैं । तो मैं यह कहूंगा कि जब भी कोई सज्जन बोलने के लिये खड़े हों तो पहले अपनी बात को देख लेवें और तौल लेवें और बजाय इसके कि आप उसको जनरलाइज करें जितनी आपकी नालिज में बात आई हो, उसको महदूद तरीके पर कहें तो वह सही भी रहती है और सुनने वाले की भी इम्दाद होती है, लेकिन यह कहना कि सब लेखपाल बेइमान हैं, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उन अनुदानों को जिनको मैं प्रस्तुत कर चुका हूं फिर सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या '२––मालगुजारी–लेखा शीर्षक ७–मालगुजारी' के अन्तर्गत २९,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१–कृषि संबंधी विकास और खोज–लेखा शीर्षक ४०–कृषि के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२–कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन, लेखा शीर्षक ४०–कृषि के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३–पशु चिकित्सा–लेखा शीर्षक ४१–पशु चिकित्सा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९५४–५५ के अनुपूरक अनुदानों पर मतदान, अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७– ३३५ मालगुजारी, अनुदान संख्या २१––लेखा शीर्षक ४०––कृषि सम्बन्धी विकास और खोज, अनुदान संख्या २२––लेखा शीर्षक ४०––कृषि इंजिनियरिंग और उपनिवेशन, अनुदान संख्या ३३––लेखा शीर्षक ४१–– पशु चिकित्सा तथा अनुदान संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५४––दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४––दुर्भिक्ष सहायता––लेखा शीर्षक ५४–दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ५५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)––अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले को अधिकार हो कि वह जवाब दे, चाहे आप समय कम कर लें । मंत्री जी के जवाब दे लेने, के बाद कटौती के प्रस्तावक को जवाब देने के लिये वक्त दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि आपने जो इच्छा प्रगट की है कि तीसरा आदमी भी बोलें, लेकिन समय इतना कम है कि इतने समय में तीसरा आदमी क्या बोलेगा । आप ही इसे पेश करेंगे और आप ही जवाब देंगे यह कहां तक ठीक होगा ?

श्री गेंदा सिंह––अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब नहीं मिला । मैं उत्तर देना चाहता था जो हिसाब-किताब वाली बात थी उसमें वह गलतफहमी में पड़े हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष––मैं फिर मौका दे दूंगा ।

अनुदान संख्या ९––लेखा शीर्षक १७, १८, १९–ख, राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर), अनुदान संख्या १०––लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ –– सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४२––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मान्यवर, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)-लेखा शीर्षक १७, १८, १९–ख के अन्तर्गत ९३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०––सिंचाई स्थापना पर व्यय––लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत २२,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२–राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक ६८–सिंचाई नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ६,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ९,१० और ४२ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपके लिये ५ मिनट हैं, क्योंकि इन अनुदानों के लिये केवल २० मिनट निर्धारित हैं।

श्री उमाशंकर--अध्यक्ष महोदय, जब कमलापति जी सिंचाई तथा सूचना मंत्री हुये तो हमार पूर्वी जिले के लोगों को एक खास आशा हो गयी कि वह अपने पूर्वजों के नाम के अनुसार जनहित कार्य करेंगे। उनके पूर्वजों का नाम इस प्रदेश में विख्यात था, जो अब पुराना हो चला था उसको फिर से स्थापित करेंगे। आज गांव के बूढे और जवान लोग जो ताजगी चाहते थे, उससे अब निराश हो रहे हैं। माननीय कमलापति जी केवल सूचना मंत्री नहीं हैं, सौभाग्य से सिंचाई मंत्री भी हैं उनसे एक ठोस सहायता की उम्मीद थी, मगर उन्होंने बराबर अपने सूचना मंत्री होने का दुरुपयोग किया है। पिछली बार उन्होंने अपने सूचना मंत्री के पद से बराबर, नहर रेट सत्याग्रह कांग्रेस की राजनीति को सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट को कांग्रेस की राजनीति को या किसी भी पार्टी की राजनीति को सपोर्ट नहीं करना चाहिये, ऐसा मेरा ख्याल है। सरकार को पार्टी-राजनीति से दूर हटकर सबकी बात सुनना समझना चाहिये। अब माननीय सूचना मंत्री को यह जरूर मालूम हो गया होगा कि लोकतंत्र में सत्याग्रह का स्थान है। जबसे पं० जवाहरलाल जी ने यह कह दिया कि लोकतंत्र में सत्याग्रह का स्थान है तब से कोई आवाज ऐसी सुनने में नहीं आई, अच्छे लक्षण हैं।

श्री अध्यक्ष--सत्याग्रह के ऊपर विश्लेषण न करें वरना सभी भाषण सत्याग्रह पर ही होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय कमलापति जी तो मानते हैं कि सत्याग्रह को स्थान है।

श्री उमाशंकर--माननीय सूचना मंत्री जी को यह सब बातें मालूम हैं। वह जानते थे कि सरकार में होते हुये उन्होंने सरकारी कागज पर लेख लिखे और सरकारी लेखन सामग्री को एक राजनीतिक पार्टी को दबाने के लिये इस्तेमाल किया, बेजा तरीके से। जिस पद के जिम्मेदार वह हैं, उसके लिये उन्होंने क्या किया है? हम लोग जानते हैं कि आज कांग्रेस की सरकार दूसरे सूबों में भी कायम है। "भारत" अखबार में निकला है, उसमें यह खबर छपी है कि केवल एक जांजगीर तहसील, जो मध्यप्रदेश के बिलासपुर जिले की है, वहां के लिये सरकार ने २ लाख १८ हजार रुपया दिया है कि वहां जो पुराने तालाब हैं उनकी मरम्मत की जाय और ठीक किया जाय और हमारी सरकार के कान पर लिखने पढने से भी जूं तक नहीं रेंगती, कोई खयाल नहीं किया गया। हां, थोड़ा सा पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल का इन्तजाम हो रहा है, लेकिन वह केवल कागज में हो रहा है। लाभ से पचासों, सैकड़ों गुना कागज छाप करके ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन जब जमीन पर जाइये, उन देहातों में जाइये, जहां के लिये कहा जा रहा है कि ६ ट्यूबवेल बन रहे हैं तो वहां सूखा पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि पूर्वी जिलों को एक रत्ती भी पानी नहीं मिला, बाढ ही के पानी का भरोसा है।

श्री अध्यक्ष--बाढ़ का पानी भरा होगा वहां।

श्री उमाशंकर--पूर्वी जिलों को एक रत्ती भी पानी नहीं मिला है। यह मैं अपने जिले की बात बता रहा हूं। गाजीपुर जिले और बनारस जिले में भी शायद सूखा पड़ा है, उसमें भी कोई पानी नहीं मिला है। उस दिन कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि कई टैक्स नहीं लगाया, इसलिए कि सिंचाई शुरू नहीं हुई। आपकी यह पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है। कहीं तो माननीय मंत्री जी को मंत्रिपद मिलने पर लोगों की

सहानुभूति मिली थी, सबको आशा बंधी, उसके बदले में उन लोगों को क्या मिला? नहर रेट की बढ़ोत्तरी, जिस पर ऐतिहासिक सत्याग्रह हो गया। मंत्री जी, सूचना मंत्री होने के नाते उसको सपोर्ट करने लग गये। यह भी उनके शान के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि सरकार को कोई व्यापार नहीं करना चाहिये। सरकार को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह लोगों को कितनी सुविधा पहुंचायेगी। वह सुविधा व्यापार के लिहाज से नहीं, बग़ैर इस खयाल के पहुंचाई जानी चाहिए कि बदले में हमें क्या मिलेगा, बग़ैर इसकी चिन्ता किये सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करे, न कि मुनाफा कमाये। मगर आज हमारे सिंचाई मंत्री जी ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया और उस काम का इतना दुरुपयोग किया। एक तो अपने सूचना मंत्री होने के नाते प्रचार करना शुरू किया और दूसरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस्तेमाल करके, गरीब लोगों को टैक्स वसूल करने के बहाने बहुत तंग किया। ऐसे अवसर पर पं० कमलापति जी अड़ गये होते तो उनकी तथा पूर्वी जिलों की शान बढ़ गयी होती।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मुझे इस थोड़े से समय में विशेष कर माननीय मंत्री जी का ध्यान फैजाबाद जिले की ओर आकर्षित करना है। श्रीमन्, मंत्री महोदय ने हर जिले में ट्यूबवेल विभाग के उच्च प्राधिकारी तथा एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० की एक इर्रीगेशन कमेटी बनायी है। फैजाबाद जिले में उनका यह आदेश गये हुये एक साल से अधिक हो रहा है और इस बीच में केवल एक मर्तबा यह मीटिंग बुलायी गयी है और केवल दो महीने हुये जब बुलायी गयी थी। उस आदेश में यह भी स्पष्ट है कि हर दो महीने में यह कमेटी बुलायी जाय। श्रीमन्, जब मैंने जिला मैजिस्ट्रेट का ध्यान उस आदेश की ओर आकर्षित किया तो उनको यह भी पता नहीं था कि कोई ऐसे आदेश मंत्री महोदय की ओर से आये हुये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें।

ट्यूबवेल्स के बारे में, मेरे जिले में एक साइट नम्बर १४ पर ट्यूबवेल बनाया गया। श्रीमन्, उसके बनने के बाद न कोई बाढ़ आयी न कोई दैवी प्रकोप आया लेकिन इस वर्ष वह पूरी इमारत ढह गयी है और पुनः बनायी जा रही है। यदि इस तरीके से इस विभाग के धन का दुरुपयोग किया जायगा, तो बहुत ही हानिकारक होगा।

श्रीमन्, जापानी ढंग से खेती करना जिसकी सरकार भूरि-भूरि प्रशंसा करती रही और जिसको बहुत महत्त्व दिया गया, हमारे फैजाबाद जिले में बीकापुर तहसील में जापानी ढंग से लगायी गयी बीड़ें उखाड़ कर बैलों और मवेशियों को खिला दी गयीं क्योंकि ट्यूबवेल द्वारा पानी नहीं दिया जा सका। मंत्री महोदय इसकी जांच करा लें। कहीं माननीय मंत्री को माननीय चरणसिंह की तरह यह शिकायत न हो कि आप जनरल वे में ऐसा दोषारोपण कर रहे हैं जिसका प्रत्युत्तर देना मेरी समझ में नहीं आता, इसीलिये मैं जानबूझ कर स्पेसिफिक इंसटान्सेज दे रहा हूं ताकि वह उनकी जांच करवा सकें।

श्री अध्यक्ष--अब माननीय शिवनारायण जी बाद में बोलेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सवा दो बजे बैठने पर आपने जो मुझे बोलने की महती कृपा की, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपके द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग, वह विभाग है जो हमारी सरकार के असली कार्य दिखायी देते हैं प्रान्त भर में, जिस गोशे में जाइये वहां आपको ट्यूबवेल दिखायी दे रहे हैं। खट-खट की आवाज, इंजन की आवाज, सारा किसान खुश है। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय उमाशंकर जी ने ऐसी एक बात कह दी। जैसे कहा--नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं। माननीय उमाशंकर जी ने अपने स्वभाव के अनुसार बिल्कुल ठीक ही कहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय त्रिपाठी जी को कहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उनके पुरखों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। जो बुजुर्ग घर पर हैं, कुछ लोग स्वर्ग में हैं उनको भी उन्होंने घसीटा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बाढ़ के मारे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और माननीय उमाशंकर जी कहते हैं कि पानी की कमी है। हमारे पूर्वी जिलों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दस हाथ खोदने से ही पानी मिल जाता है और पं० उमाशंकर जी कहते हैं कि पानी नहीं दिखाई देता। मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की हरैया तहसील के उस हिस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर बालू है, खुश्की है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हरैया तहसील के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ट्यूबवेल की स्कीम लागू करने की कृपा करें। मैं आपका ध्यान गौड़ स्टेशन के उत्तर की तरफ, हलुआ का जो इलाका है उसकी तरफ भी दिलाना चाहता हूं। वह बिल्कुल शून्य है और गोंडा और बस्ती दोनों की सरहद पर है। उसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद मैं खलीलाबाद दक्षिण तथा मेंहदावल की बखेरा झील, जिसको पंडित जी स्वयं देख आये हैं, बखेरा झील में पानी ज्यादा है और जो नहर बन रही है उसमें तेजी की जरूरत है। गोरखपुर के लोगों की शिकायत है कि बांध बनवाने से उनको नुकसान है लेकिन उनके गांवों को भी फायदा हुआ है और हमारे गांवों को भी फायदा है। हम सरकार के अहसानमन्द हैं इसके लिए दूसरे मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि ट्रांस राप्ती एरिया में, डुमरियागंज नदी के उस पार जो पोर्शन है, वहां पर ट्यूबवेल नहीं है।

मैंने कल भी जिक्र किया था और आज भी करना चाहता हूं। इसके बाद बांसी में जो नहर बनवा दी है उसके लिये ऋणी हूं, वहां पानी की कमी नहीं है।

थोड़े से सुझाव मैं देना चाहता हूं। ट्यूबवेल यह विभाग बना रहा है लिहाजा बिजली का विभाग भी इस विभाग में मिला दिया जाय, इससे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुभीता होगा।

इसके साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाऊं कि चीन में सरकार ने ८० दिन के अन्दर बाढ़ रोकने के लिये बांध बनवा दिये। यह ठीक है कि वहां की जनता ने सहयोग किया है, तो हम भी अपने देश की जनता से सहयोग करायेंगे। जनता तत्पर है और हम श्रमदान में सहायता देंगे। मैं सिंचाई मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि हमको भी चमड़े के बेग मिलने चाहिये, जिसमें हम कागज-पत्तर रख सकें और सिंचाई विभाग को उचित ढंग से सूचना देते रहें और हम वहां से सही सूचना इकट्ठा करके ला सकें। मैं माननीय उमाशंकर जी से पुनः कहना चाहता हूं कि आवेश में आकर कोई बात न कहनी चाहिये। "बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय"।

श्री रतनलाल जैन--(जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्रांत में बहुत कुछ सिंचाई का कार्य किया है। मैं उनका ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारे जिले बिजनौर में दो बड़ी नदियां हैं। गंगा नदी बिजनौर जिले के तीन तरफ बह रही है लेकिन उसमें से नहर एक भी नहीं निकाली गई। जितनी नहरें निकली भी हैं वे सब मेरठ या मुजफ्फरनगर जिले में जा रही हैं, जिससे हमारे जिले को पानी जरा भी नहीं मिल रहा है। दूसरी नदी रामगंगा है उससे एक नहर निकली है लेकिन लाभ दूसरे जिले को ही हो रहा है। दो छोटी नदियां और हैं जिनसे आबपाशी नाम मात्र को हो पाती है। इस तरह से मेरे जिले में आबपाशी के साधन बहुत कम हैं; कुछ ट्यूबवेल्स जरूर हैं। अब रामगंगा पर एक डैम बनने जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट निकली है उससे मालूम होता है कि बहुत थोड़ी सिंचाई हमारे जिले में होगी, शेष पानी दूसरे जिलों को दिया जायगा। मैं यह अपील करना चाहता हूं कि जिन जिलों में ये नदियां बहती हैं उनको उनसे लाभ पहुंचना चाहिये।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जिले में कुछ ट्यूबवेल्स अवश्य हैं, लेकिन नजीबाबाद, बढ़ापुर, अफजलगढ़ परगने ऐसे हैं, जहां एक भी ट्यूबवेल नहीं हैं। ये ट्यूबवेल्स थोड़े से हिस्से में हैं। यह भ्रम न होना चाहिये कि ये नदियां पश्चिमी जिलों में बहती हैं, इसलिये वहां आबपाशी होती है, यह गलत है। जहां अब तक कोई ट्यूबवेल नहीं है, वहां ट्यूबवेल का प्रबन्ध होना चाहिये। रामगंगा डैम बनने जा रहा है, उससे जो सिंचाई हो उसका सब से अधिक लाभ हमारे जिले को पहुंचना चाहिये। यह चीज मैं खास तौर से उनकी दृष्टि में लाना चाहता हूं। यदि उन्होंने उपरोक्त सुझाव के अनुसार किया तो उस जिले को लाभ होगा वरना नहीं। अब हमारे जिले को इन दोनों नदियों की बाढ़ से नुकसान पहुंच रहा है और उनसे लाभ नहीं हो रहा है। यह मैं उनके हृदय में अंकित कर देना चाहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी-- मान्यवर, यह जो विवाद इस मांग पर हुआ है उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिसका बहुत उत्तर देने की आवश्यकता हो। हमारे माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसमें बहुत सी बातें सही हैं। ज्यादातर यह मांग हुई है कि वहां पर ट्यूबवेल बनाये जायं। यह बात सही है कि बहुत सी जगहों पर ऐसी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करना है क्योंकि हमारे सूबे का बहुत बड़ा एरिया है, जहां पर पानी का प्रबन्ध नहीं है। हमारे भाई उमाशंकर जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। वह आजमगढ़ जिले के एक उज्ज्वल रत्न हैं और जो कुछ उन्होंने कहा, वह उन्होंने ठीक ही कहा। मुझे तकलीफ इस बात को सुनकर हुई जब उन्होंने यह कहा कि एक रत्ती पानी भी पूर्वी जिलों को नहीं मिला। उनकी बगल में मैं देखता हूं कि इस समय श्री गेंदा सिंह जी वहां पर नहीं हैं लेकिन उनको मालूम होगा कि अभी मैं देवरिया जिले में गया था वहां पर ट्यूबवेल पानी देते हुये मौजूद हैं। ईख के खेतों के बारे में वहां पर श्री गेंदासिंह ने कहा कि जहां पर ट्यूबवेल का पानी ईख के खेतों को मिला है, वहां पर ईख की फसल बहुत अच्छी हुई है। एक जगह हम लोग जा रहे थे, तो गेंदासिंह जी ने दिखाया कि इस ईख के खेत में ट्यूबवेल का पानी मिला है तो उससे अच्छी फसल हो रही है। मगर उमाशंकर जी को वहां पर एक रत्ती पानी भी दिखाई नहीं पड़ा।

खुद आजमगढ़ जिले की मेरी रिपोर्ट यह है कि ४० के करीब कुयें वहां पर चल रहे हैं और भी जिन-जिन पूर्वी इलाकों में जितने कुयें चल रहे हैं --वैसे बनाने को तो वहां पर सैकड़ों हैं, लेकिन जो चल रहे हैं--उनकी सूची मेरे पास है। उसमें अगर आप

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

गोंडा में देखें, तो ३०, फैजाबाद में ११६, आजमगढ़ में ३८, गोरखपुर में ३५, देवरिया में ५५, बस्ती में ७५। यह कुयें मार्च, सन् १९५४ में शुरू किये गये हैं, मगर उमाशंकर जी को वहां पर एक बूंद पानी भी दिखाई नहीं दिया, इसका मुझे दुःख है। यह तो केवल कहने की बात थी, इसलिये उन्होंने कह दी। वह हृदय से समझते होंगे कि यह कहां तक सत्य है, किन्तु इज्जतवालों के लिये तो इतना ही पानी काफी है। श्री अवधेशप्रताप सिंह जी ने फैजाबाद के बारे में कहा, वहां पर भी २५० कुयें सन् १९५६ तक बनाने हैं। १२५ तो वहां पर बन चुके हैं और १२० वहां पर बनने जा रहे हैं। हमको अपने सूबे के पूर्वी हिस्से के २,००० कुयें १९५६ तक बनाने हैं, उसी के अनुसार यह काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुयें वहां पर बनाये गये हैं उनमें बिजली तो लगी है लेकिन वह काम नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी संस्कृति के अनुसार थोड़ी बहुत कृतज्ञता तो स्वीकार की जाय। एकदम से थोड़ी बहुत कृतज्ञता भी यदि प्रकाशित न की जाय तो यह भारतीय सभ्यता के विरुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि कोई कुआं गिर पड़ा। यह हो सकता है कि ऐसा हुआ हो क्योंकि बहुत से कुयें बनाने हैं और वहां पर स्ट्रैटा दिखाई न पड़ा हो। ऐसा होता है कि सैकड़ों फीट नीचे जाने पर भी बालू नहीं आता है और पानी नजर नहीं आता है, तो हम अनुभव करते हैं कि उसमें कहीं-कहीं यह होता है कि पानी न मिला हो। उसमें पैसा भी वेस्ट होता है। सिवाय इसके कि बोरिंग करते जायं और वहां पर बालू अगर फाइन आ जाता है तो वहां पर भी कुआं बनाना पड़ता है और यदि वहां पर ऐसा होता है कि वह बालू गिर पड़ता है तो कुआं भी गिर पड़ता है। बहरहाल, मैं उसकी जांच करा लूंगा।

रतनलाल जी का जो कहना है, वह भी सही है, लेकिन बिजनौर में भी २२३ कुएं इस वक्त हैं और १०–२० कुएं अभी बनने को हैं। नहर का पानी जरूर वहां नहीं है। बिजनौर के तालाब में पानी नहीं है उसका भी कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जायगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ कुएं और बनाये जा रहे हैं। जिन इलाकों में पानी की आवश्यकता है उसमें बिजनौर है, पूर्वी कुछ जिले हैं, कुछ पहाड़ी इलाका है। माननीय शिवनारायण जी ने खलीलाबाद आदि के बारे में कहा। बस्ती में १८० कुएं और नरैया तहसील में ३० कुएं, इस प्रकार से बस्ती में २१० कुएं बन रहे हैं। बस्ती में बानगंगा केनाल भी निकल रही है। ट्रांसराप्ती नहर भी चालू होने वाली है। इसके साथ ही साथ झील का भी काम चालू हो रहा है? उसमें गांव वालों की वजह से कुछ दिक्कत हुई। उन गांव वालों ने जिनकी जमीन जा रही थी, इसका विरोध किया। कुछ लोग उभारने वाले भी वहां पहुंच गये उन्होंने भी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन अब काम शुरू हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि बस्ती की उपेक्षा ही हो रही हो। यह जरूर है कि इसके बाद भी ऐसा इलाका जरूर है जिसमें पानी की आवश्यकता है। अन्त में, माननीय उमाशंकर जी, जिन्होंने आजमगढ़ का उलाहना दिया कि आजमगढ़ में एक बूंद पानी नहीं है, से मैं फिर कहूंगा कि वहां जो ताल हैं, उन से पानी लेकर डुहरी, टांगा, रताई, सलोन आदि में सिंचाई होती है। वहां के तालों में काफी पानी दिखाई देता है। अगर वहां भी उनको पानी न दिखाई दे तो वे केनाल के पास चले जायं, उनको वहां पानी मिल जायगा। आपके द्वारा मैं आदरणीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस मांग को स्वीकार करें।

श्री उमाशंकर––उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मैं माननीय कमलापति जी को बहुत ही श्रद्धा की नजर से देखता हूं इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर मैं अविश्वास नहीं कर सकता, लेकिन ३–४ दिन हुए एक सवाल के उत्तर में उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि आजमगढ़ में कोई कुआ नहीं चला है। यह जरूर है कि मैंने कुओं को बनते देखा है और बनते वक्त जो पानी निकला उससे कुछ सिंचाई हुई। इतनी

गलती मैंने और कर दी कि जो नहर काम कर रही है उसका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि रेवेन्यू विभाग और सिंचाई विभाग की ओर से बहुत से बांध हमारे जिले में बनाये गये, जिसका पैसा मैं समझता हूं कि जाया गया। हमारा दुर्भाग्य है कि उनसे हमें एक बूंद भी पानी नहीं मिला। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस बांध से ६० एकड़ की सिंचाई होती, मगर बदमाशों ने काट दिया। इस प्रकार जनता पर बिना सबूत कलंक लगाना ठीक नहीं है। उसको किसी ने नहीं काटा बल्कि वह बंधियां गलत तरीके से बनाई गई थीं। वे बंधियां ऐसी बनीं कि एक बूंद भी पानी नहीं दे रही हैं और ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने उत्तर दिया था कि अभी वहां एक भी कुआं काम नहीं कर रहा है, इसलिये सिंचाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बिना पर मैंने यह कहा कि एक बूंद पानी हमको नहीं मिलता है। बहुत सारे कुएं बन रहे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन जब हम इस दृष्टि से देखते हैं कि कितनी मात्रा में जनता की समस्या हल हुई है, उस तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो मुझे बहुत अफसोस होता है और यही कहना पड़ता है कि और लोगों के हाथ में सिंचाई विभाग होता, तब तो मुझे उतना अफसोस नहीं होता जितना कि माननीय कमलापति जी के हाथ में होने से है, तब और भी अफसोस है जब वे नाकामयाब होते जा रहे हैं। जहां पर मुझे बहुत अफसोस होता है वहां पर मैं उम्मीद भी करता हूं कि आयन्दा आप खुद इसको देखेंगे। एक बांध की दशा तो मैंने खुद आपको दिखलायी थी जहां ४ महीने तक एक ७५ रु० का कर्मचारी उसे बंधवाता रहा। ७५ रु० में ही वह बांध बना, वह ७५ रु० भी चला गया और उस कर्मचारी का ४ महीने तक समय भी बरबाद होता रहा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)--लेखा शीर्षक : १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत ९३,५०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्य १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक : १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत २२,६०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक : ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ६,००,२०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२-- लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ४१-- लेखा शीर्षक ६३-क-युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख- सामुदायिक योजनाएं

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १७,५०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग का ब्योरा जो कि यह अनुपूरक मांग के सम्बन्ध में सूचना की किताब बांटी गयी है उसमें दिया गया है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल के लिये यह रुपया चाहिये। यह स्कूल जो अब शुरू अक्टूबर से कायम करना है उस पर करीब-करीब कुल २८ हजार रुपया खर्च होगा जिसमें से दस या साढ़े दस हजार रुपया बजट में मौजूद है। १७,५०० रु० की और जरूरत होगी। जब बजट बना था उस वक्त इस स्कूल को चालू करने का खर्चा उसमें नहीं रखा गया था बल्कि उसे जिस तरह से कि वहां उसको आगे काम करने के लिये कायम रखने की जरूरत थी उसी तरह से उसमें खर्चा रखा था.....

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी शायद भूल गये, इसके साथ ही प्लानिंग विभाग की भी मांग मूव कर देते तो अच्छा था।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--उस बारे में एक दो लफ्ज कह कर अभी मैं उसको पेश कर दूंगा।

इस बारे में जो रुपया रखा गया था वह रुपया सिर्फ इसलिये था कि जो बिल्डिंग बनी थी उसकी रखवाली के लिये जो कम से कम रुपया चाहिये था वही रखा गया था। लेकिन अब स्कूल खुलने जा रहा है और उसका काम पूरे तौर से होगा इसलिये उसका खर्च बढ़ना लाजिमी है। इस तरह से कुल २७ हजार का खर्च है। दस हजार पहले से बजट में मौजूद है और १७ हजार की और जरूरत है। इस स्कूल के बारे में ज्यादा बात इस वक्त मैं नहीं कहना चाहता और यह मामला पहले सदन के सामने आ चुका है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक : "६३ क- युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख--सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत ४०,०९,६०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

इसकी ५-६ मदें हैं जिनसे कि यह रकम बनती है। इसमें मुख्यतः ४५ लाख रुपया कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक्स हैं उनके इरिगेशन और रिक्लेमेशन के लिये है। जो रुपया उसमें पहले से है वह लोन के खाते में रखा था अब लोन देने के बदले सरकार उसको खुद करेगी। इसलिए उस का खाता बदलना है और यह एक केवल जाब्ते की बात है रुपया बजट में है लेकिन वह एक खाते से दूसरे खाते में जायगा और जो खास मदें इसकी हैं वह एक तो एक्टन और राकफिलर इन्सटीट्यूट खुला है उसके बारे में कुछ रकम है। इसके अलावा कुछ दूसरी रकमें हैं कुछ इसमें जो कि प्लानिंग के बारे में जो नई योजना बनाई गई हैं जिनका मैंने जिक्र किया उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ मदें हैं। यह सब चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई दो राय नहीं होंगी। कुछ थोड़ी सी रकम इसमें गोरखपुर में जो डिफेन्स की बैरेक्स थीं जो अब प्लानिंग के काम में आ रही हैं उनको खरीदने के लिये रुपया सरकार को देना है वह इसमें शामिल है। कुछ रुपया जो सड़कें श्रमदान से बनी हैं उनको पक्का करने के लिये उसमें रखा गया है और मेन रकम जैसा कि मैंने बताया वह इसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में इरिगेशन और रिक्लेमेशन के कामों के लिये है। इसमें ३५ लाख रुपया की सब से ज्यादा रकम है छोटी रकमों का ब्योरा देना मैं जरूरी नहीं समझता। प्लानिंग रिसर्च और एक्शन कमिश्नर नई चीज हैं क्योंकि प्लानिंग का काम बढ़ रहा है और वह खूबी के साथ बढ़ रहा है और उसको बढ़ाना हमारे लिये कल्याणकारी है। मुझे खुशी है कि प्लानिंग के कार्य का जो कार्यक्रम बना था उसका संचालन ठीक तौर से हो रहा है बल्कि यह कहना आवश्यक है कि जितना समय हमने निर्धारित किया था उससे पहले ही सम्भवतः हम उसे पूरा कर लेंगे और उसके अलावा कई काम और भी कर लेंगे गो कि हमें कितनी भी बाधाओं का मुकाबला करना पड़ता है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि सदन इन दोनों मांगों को स्वीकार करेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला० अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १२ तथा ४१ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मंत्री से और उनके विभाग से एक सबसे बड़ी शिकायत इस बात की है कि इस लेजिस्लेचर की एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है जो कि प्लानिंग विभाग को सलाह दिया करती है। लेकिन अप्रैल से आज तक एक भी मीटिंग उस स्टैंडिंग कमेटी की नहीं हो पाई वरना हमारा थोड़ा काम हल्का हो जाता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मीटिंग होनी चाहिये लेकिन एक भी मीटिंग नहीं हुई। प्लानिंग भी हमारे प्रान्त में ऐसा है जिस पर काफी खर्च हो रहा है और होना चाहिये लेकिन उसको एक भी कमेटी की मीटिंग न होने से जो काम पूरा होना चाहिये था वह नहीं हो सका। जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि प्लानिंग का काम बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे जितने प्रोजेक्ट थे उनमें काम का जो हमारा टारगेट था वह उससे पहले पूरा हो जायगा। मैं आशा करता था कि हो जाना चाहिये था और होता लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की बात को छोड़ कर और जितनी इरीगेशन के और सड़कों का काम हो रहा है और हर विभाग में जो काम हो रहा है वह प्लानिंग से सम्बन्धित है लेकिन जो प्लानिंग और कोआर्डिनेशन विभाग में काम है उसी को सिर्फ ले लीजिये तो ५० लाख रुपया इस विभाग के लिये रखा गया है लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो सारे प्रान्त के अन्दर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियां हैं उनके पर्सनल लेजर में १ अप्रैल को ९० लाख ४६ हजार १०४ रुपये थे और आज की तारीख में १ करोड़ ३० लाख ५३ हजार ६३४ रुपया उनके परसनल लेजर एकाउंट्स में पड़ा हुआ है। यह ब्लाक पड़े हुये हैं। अगर यह रुपये प्लानिंग कमेटियां नहीं खर्च कर सकती हैं तो दूसरी मदों में दी जा सकती हैं नहीं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको खर्च करने का कोई न कोई रास्ता निकाला जाय। यह नहीं कि फिजूल खर्च किया जाय लेकिन जहां जरूरत है और खर्च नहीं हो रहा है वहां खर्च किया जाय। मुझे खुशी है कि हमारे यहां जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उन्होंने एक हिदायत जारी की है कि जिस जिले में रुपया पड़ा हुआ है और जिस जिले में कोटा पड़ा हुआ है उसको नहीं दिया जायगा इससे मैं समझता हूं कि कुछ तो कार्य होने लगेगा। लेकिन बहुत ही दुख है कि वह कार्य होता क्यों नहीं और वह रुपया क्यों नहीं खर्च हो रहा है। बहुत सी टेकनिकल डिफीकल्टीज हैं अगर मैं उनका हवाला दूं तो सारा समय नष्ट हो जायेगा।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

यह सब बातें स्टैंडिंग कमेटीज के सामने आ सकती हैं। एक बात सरकार ने बहुत अच्छी की है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स में इर्रीगेशन वर्क्स का काम सरकार अब स्वयं चलाने लगी है इसलिये सरकार उनके लिये बधाई की पात्र है। उन इलाकों में अब कार्य हो सकेगा परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना अवश्य करूंगा कि जैसा लोगों ने कल कहा कि इस सारे प्रदेश में कांग्रेस का राज्य है और सारे प्रदेश में उनकी ही राय है तो उनको एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिये कोई नीति निर्धारित करना चाहिये, एक प्रायरिटी फिक्स कर दें कौन बैकवर्ड इलाके हैं। आज अल्मोड़ा जिले का हाल यह है कि अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ का इलाका है, चम्पावत का इलाका है और श.र का इलाका है। मेरे इलाके को छोड़ दीजिये वहां किसी की कृपा कभी होगी तो खुल ही जायगा लेकिन एक ही इलाके के अन्दर दो-दो एन० ई० एस० ब्लाक्स का खुलना यह समझा जा सकता है कि यह क्या प्लानिंग हो रही है या अप्लानिंग हो रही है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने इस बात को लाना चाहता हूं कि कमेटी में, भी लाना चाहता था और लाऊंगा कि इसको फिक्स अब हो जाना चाहिये था। उनका कहना था कि १९६१ तक एन० ई० एस० ब्लाक्स सारे प्रान्त भर में खुल जायेंगे। ठीक है, १९६१ तक अगर खुले तो खुलते ही रहेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पी० डब्लू० डी० का सहयोग बहुत कम प्राप्त होता है। हमारे जिले में ३ लाख ३७ हजार रुपया पी० डब्लू० डी० के पर्सनल रिजर्व फंड में पड़ा हुआ है, लेकिन लोग श्रमदान में काम करते हैं और उनको ठीक से मजदूरी नहीं मिलती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर कहूंगा कि डिपार्टमेंट का कोआर्डिनेशन किया गया है लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगर वह सारे डिपार्टमेंट को कोआर्डिनेट कर सकें तो हमारे डेवलपमेंट के लिये वाकई हमारा प्लानिंग का काम जरा अच्छी तरह से चल सकता है। समय कम है इसलिये मैं ज्यादा न अर्ज कर इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे आशा है कि मेरे इन सुझावों की ओर ध्यान देंगे।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक दो बात माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि इस विभाग में, मुख्य मंत्री की सुपुर्दगी में होने के बावजूद भी कोआर्डिनेशन बहुत कम है और कोई योजना सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें लोग सहयोग न दें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस तरफ अवश्य दिलाना चाहता हूं कि जैसे आपकी सेल्फ हेल्प योजना है कुछ क्षेत्रों के लिये, स्वावलम्बी योजना है उसमें भी रुपया लोगों को नहीं दिया जाता है, इसका कारण यह है कि यहां मिनिस्ट्री लेविल पर तो यह बात कही जाती है कि कोआपरेशन हो लेकिन उनके विभाग में आपस में पूर्ण सहयोग नहीं है। जनता श्रमदान करती है, लोग काम करते हैं और इस सेल्फ हेल्प योजना के मातहत जो उनको मिलना चाहिये था उसका इस्टीमेट पी० डब्लू० डी० द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन वह इस्टीमेट तैयार करने में टालमटोल करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि जानबूझ कर इस्टीमेट कम बनाया जाता है और इसका कारण तो वह खुद ही जानते होंगे तो इसका अर्थ यह होता है कि यहां से सरकार कोआर्डिनेशन की स्कीम तैयार करती है, जनता के सामने रखती है लेकिन जनता को वास्तविक रूप में कोई कोआर्डिनेशन नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक स्कीम शिक्षा में रिओरियेन्टेशन की है इसके अनुसार स्कूलों के पास जमीन होनी चाहिये। पर्वती इलाकों में जमीन के लिये यह आदेश हुए सरकार के कि जंगलात विभाग यह जमीन स्कूलों के लिये दे दे। लेकिन मैं जानता हूं हालांकि यह स्कीम मुख्य मंत्री जी की ह और जंगलात विभाग भी मुख्य मंत्री जी की सुपुर्दगी में ही है जिसको उन्होंने दूसरे डिप्टी मिनिस्टर साहब के सिपुर्द कर रखा है लेकिन वह उनके मातहत होता हुआ भी इसमें सहयोग नहीं दे रहा है और जानबूझ कर स्कूलों के जमीनें देने में बहुत सी

शासकीय अड़चनें पैदा की जा रही हैं जिससे यह कहने को हो जाता है कि शिक्षा विभाग में और जंगलात विभाग में कोआपरेशन नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी स्कीम आप बनाइये लेकिन जब तक उसको पूरा करने के लिये नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग पूर्ण सहयोग न देंगे, वह कामयाब नहीं हो सकती। मिनिस्ट्री लेविल पर आप चाहें कुछ करें लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो सरकारी कर्मचारी हैं वह जब तक पूरा सहयोग नहीं देते, कोआपरेशन नहीं देते, तब तक पूरी स्कीम सफल नहीं हो सकती। इन बातों की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं कि कम से कम इन पर ध्यान दिया जाय। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल हमारे उत्तर काशी में एक सड़क पर काम हुआ। जिन लोगों ने श्रमदान में काम किया उनको आज तक पैसा नहीं दिया गया इसलिये कि पी० डब्लू० डी० का इस्टीमेट तैयार नहीं हो सका है।

श्री सीताराम शुक्ल—(जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस अनुदान के पेश करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। सामान्य प्रशासन के सिलसिले में जो प्रयाग में आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है वह बहुत अच्छा है। पहले ही जरूरत थी कि अफसरों को ट्रेनिंग दी जाय, उन्हें शिक्षा दी जाय और अब तो और भी जरूरी हो गया है कि उनको ट्रेनिंग दे करके काम पर भेजा जाय। कालेज में, स्कूलों में, पोलीटिकल पार्टीज बच्चों के दिमाग पर अपना असर डालने की कोशिश करते हैं। बच्चों का दिमाग वहां बिल्कुल स्वच्छ होता है और वह कोशिश करते हैं कि लड़के हमारे विचार के हो जायं और उनसे फायदा उठायें तो उन अफसरों को यह बतलाना सख्त जरूरी है कि वे असाम्प्रदायिक रहें जैसी कि हमारी सरकार है, वही विचार उनके भी होने चाहिये। सिर्फ सरक्यूलर भेजने से काम नहीं चलेगा। जहां हमारी सरकार का विचार है कि मन्दिर मस्जिद, गिर्जाघर सब बराबर हैं। हर एक सम्प्रदाय को अच्छी निगाह से देखती है, वह केवल सरकार के ही विचारों से काम नहीं चलेगा बल्कि हमारे अफसरों के भी वही विचार होने चाहिये, ऐसी उनको ट्रेनिंग दी जाय। साथ ही मैं अर्ज करता हूं कि हिन्दी यहां की जबान हो तो गई है लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेजी का असर अभी बाकी है। हिन्दी जानने वाले आपस में जब बातचीत करते हैं अथवा चिट्ठी लिखते हैं तो अंग्रेजी में ही करते हैं हालांकि अंग्रेजी भी उनको ज्यादा आती नहीं है। हिन्दी का दर्जा कहने का तो पास है मगर हमारे कर्मचारी हिन्दी नहीं लिख सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि ट्रेनिंग कैम्प में हिन्दी का मास्टर भी रखा जाय जो कि उनको हिन्दी पढ़ाये इसलिये मेरी गुजारिज है कि आप इस तरफ ध्यान दें और सब से बड़ी चीज यह है कि हमारे अफसर विनम्र हों। पहले तो अफसरों को सिर्फ बदमाशों को ही गिरफ्तार करना पड़ता था, माफ कीजिये आज कल भले आदमियों को भी जो कि खद्दर पहनते हैं गिरफ्तार करने की नौबत आ रही है। हुक्म जाता है कि नहर बनाओ, श्रमदान से काम कराया जाय, लेकिन कुछ पोलीटिकल पार्टीज भड़काती हैं, असर डालती हैं कि काम नहीं होना चाहिये। तो हमारे अफसरों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिये कि सच्चे मानों में सरकार की नीति का पालन करायें। अगर दक्षिणी कोरिया वाले उत्तरी कोरिया वालों को गिरफ्तार करने के बाद मित्र बना सकते हैं जो कि पहले उन्हीं के खिलाफ लड़ते थे और बाद को उनकी तरफ से लड़ने को तैयार हो सकते हैं तो उसी तरह से हम लोग भी जो कि हमारे काम में बाधक हों उनको अपने विनम्र बर्ताव से अपने विरोधियों को दोस्त बना सकें। यह तभी हो सकता है जब हम ठीक प्रकार की ट्रेनिंग अपने अफसरों को दें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इलाहाबाद में अफसरों की ट्रेनिंग के लिये एक स्कूल खोला जायगा और अक्टूबर के महीने से उनको पढ़ाई पढ़ाई जायगी। इसी सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मुझे दुःख के साथ कहना है कि हमारा उद्देश्य क्या है किस समाज को हम बनाना चाहते हैं, उनके रास्ते में क्या क्या बातें बाधक हैं। इन तमाम बातों को ही सामने रख करके हम अपने अफसरों को ट्रेनिंग दें और जब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग देने वाले कालेज का प्रिंसिपल इलाहाबाद डिवीजन का कमिश्नर नियुक्त किया जा रहा है और उसके अन्दर एक वाइस प्रिन्सिपल की भी व्यवस्था है तो कमिश्नर जब प्रिन्सिपल किसी कालेज का हो जो कि सरकारी अफसरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करे तो हमारा मत्था ठनकता है क्योंकि अभी हमने देखा कि बनारस डिवीजन के कमिश्नर ने माननीय गेंदा सिंह जी और जगन्नाथ मल्ल जी के बारे में निहायत ही गलत रिपोर्ट पेश की है। मेरा कहना है कि सही मानों में आज जो अपने यहां का रोग है और मैं देखता हूं कि आज जीवन सरिता के प्रत्येक श्रोत सूख रहे हैं, तो जब जीवन सरिता के प्रत्येक स्रोत सूख रहे हैं तो किसी कमिश्नर के प्रिंसिपल रहते हुए सरकारी अफसरों को सही माने में शिक्षा मिले और ऐसी शिक्षा मिले जो पक्षपात को दूर करे, ऐसी शिक्षा जो सम्प्रदायवाद को दूर करे। वह असम्भव है तो मेरा कहना है और मुझे थोड़ा सा हर्ष है जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विद्यमान हैं, गृह मंत्री विद्यमान हैं, माननीय कमलापति त्रिपाठी विद्यमान हैं। ज्यादा अच्छा होगा अगर अफसरों के ऊपर खर्च न करके मंत्रियों की ट्रेनिंग पर खर्च करें। ज्यादा अच्छा होगा कि अफसरों पर खर्च न करके हम मंत्रियों की ट्रेनिंग के लिए कोई कालेज खोलें। सही बात है श्रीमन्, क्योंकि सारा काम तो मंत्री महोदयों को करना होता है और मंत्री लोगो की हिदायतें जाती हैं। जब सरकारी कर्मचारी स्वतंत्र नहीं रह गये तो चाहे जो भी उनको शिक्षा मिले मगर जब माननीय मंत्री लोग स्वतः हस्तक्षेप करते हैं, हर तरह के विभाग में चाहे वह पुलिस का विभाग हो, चाहे वह सामान्य प्रशासन हो, चाहे सिंचाई का विभाग हो, चाहे डेवलपमेंट का विभाग हो, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो महान् प्रभु हैं जब तक इनका दिमाग शुद्ध नहीं होगा जब तक वह अपने सरकारी कर्मचारियों को हिदायत कैसे देंगे, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। मेरा इतना ही निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री से कि सारा ढांचा बिगड़ा हुआ है, सारी चूलें ढीली हैं, उनको ठीक करना है। तो जो कराने वाले हैं, जो ऐट दी हेड आफ दी अफेयर्स हैं वह जिस तरीके से होंगे उसी तरीके से दूसरे लोग भी चलेंगे। अफसरों की ट्रेनिंग के नाम पर चाहे जितना रुपया बरबाद करें मगर वह ट्रेनिंग नहीं होगी। अगर ट्रेनिंग हो भी तो वह ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिये जिसका कि संचालक ऐसा व्यक्ति हो जो इन तमाम बातों से परे हो और जो जनतांत्रिक प्रणाली, जनतान्त्रिक पद्धति को अपनाने वाला हो, जो जानता हो कि सरकार का क्या कर्तव्य होता है, विरोधी पार्टी का क्या कर्तव्य होता है, और सामान्य प्रशासन किस तरह चल सकता है।

*श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---उपाध्यक्ष जी, यह जो बातें मदन मोहन जी ने कहीं मैं उनमें बहुत सा सार देखता हूं। मुझे खेद है कि स्टैंडिंग प्लानिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। उसका इरादा हुआ था कि मीटिंग करें। तो पहले तो जब तक बजट चल रहा था तब यह हुआ कि यहां मीटिंग करने में जरा बहुत जल्दी होगी और हमारी कुछ स्कीम्स वग़ैरह आ जायं तब करेंगे। बाद को ख्याल हुआ कि नैनीताल में करेंगे। तो उसमें कुछ तो राजनारायण जी का ख्याल हुआ कि यह कहेंगे जैसा कि औरों के लिए कह रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण--मगर जिसके लिए मना किया था हमने उसको तो कर ही लिया।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मगर जहां तक मुमकिन होता है उसका ख्याल हम रखते हैं क्योंकि फिर भी डर तो रहता ही है।

तो उसके बाद जो और मीटिंगों का प्रोग्राम था उसमें कहीं वह आ नहीं सकी इसलिए वह उस वक्त रह गई। मगर मैं जल्दी ही अगर हो सका तो अगले महीने में ही इसकी मीटिंग करूंगा। और बातें जो उन्होंने कहीं कि लेजर एकाउंट में रुपया रहता है, खर्च नहीं होता, इसके लिए हमने सख्त ताकीद भेजी है कि हमारे पास पैसा न हो, काम न हो, यह तो समझ में बात आ सकती है मगर पैसा होते हुये काम न हो यह तो बड़ी गलत बात है। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमेटी के मेम्बर्स अपने वहां इस बात को देखें कि ऐसी स्कीम्स बनायी जा सकें कि जो रुपया उनके यहां गया हुआ है वह खर्च हो जाय जिससे कि जनता को उसका लाभ पहुंचे और मैं अगर यह भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि जो कमेटी या जो जिले अपना रुपया खर्च नहीं कर सके तो उनको रुपया फिर पाने की जरूरत होगी नहीं। जो खर्च करेंगे उन्हीं को जरूरत होगी। इसलिये जिन्हें आगे रुपये की जरूरत हो उन्हें जो रुपया उनके पास है उसे खर्च कर लेना चाहिए। जो बात यह कही गई है कि अल्मोड़े में ब्लाक्स दो हैं और एक ही कांस्टीच्युएंसी में हैं। एक तो मैं समझता हूं ट्रेनिंग सेंटर से उनका मतलब हवालबाग से है। मगर जो ब्लाक्स होते हैं वह तो प्लानिंग कमेटी के जरिये तय किये जाते हैं। प्लानिंग कमेटी की जो राय होती है उसकी ज्यादा जहां तक मुमकिन होता है कदर की जाती है। हवालबाग के अलावा एक ही ब्लाक तो और है वहां। एक दूसरा अगर हो जाय तो उसको कोई शिकायत नहीं होगी और द्वाराहाट की सड़क बन रही है। सड़क बनते-बनते ब्लाक भी हो जायगा। रास्ता तो ठीक हो जाय पहले और जो बातें और डिपार्टमेंट्स के सहयोग की कही गईं, वह तो सबका होना चाहिये। अगले साल काफी हमने सेट अप में तब्दीली की है और उसके जरिये मैं आशा करता हूं कि अब इस काम में और भी ज्यादा बल आवेगा।

जहां तक उसके प्लानिंग की बात है वह तो मैं समझता हूं कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता था कि हमने जो रिसर्च एक्शन इंस्टीट्यूट खोला है उसके बारे में शायद कोई बात कहे मगर उसके बारे में कोई बात मालूम नहीं हुई। श्री राजनारायण जी तो हमेशा बुनियादी बात कहते हैं, वह तो सारी बुनियाद को उखाड़ना ही चाहते हैं तो वह हर एक के लिये मुमकिन नहीं है कि सब कुछ अपनी ताकत उखाड़-पछाड़ में ही लगायें, लोगों को बनाने के काम में अपनी ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे आदमियों से काम लिया जाता है जिनको तजुरबा होता है और जो बतला सकें कि कानून और कायदे के मुताबिक कैसे चला जाय ?

यह भी आप लोग समझ लें कि मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बात जो कि यहां पर बैठे हुये हैं यह कहें कि वह नान कम्यूनल हैं, या नान पैट्रियोटिक हैं, या अफसर हैं, जितने भी हैं वह सब बुरे हैं, यह कुछ बहुत न्याय की बात नहीं है। आखिर आज ट्रावनकोर-कोचीन में उन्हीं आफिसर्स से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को काम लेना पड़ रहा है। अगर वह मान लें और ढिंढोरा पीटें कि यह ऐसे लोग हैं जो मुल्क को खाये जाते हैं, उनमें देश प्रेम नहीं है तो काम नहीं चल सकता है। श्री राजनारायण जी समझते हैं कि सब से अच्छा काम यह है कि रचनात्मक कार्य कोई न करें सिर्फ हर वक्त शिकायत करें और बात सही हो, या गलत इत्तिला पर मबनी हो तो उसकी परवाह न करें। मगर उन्होंने कहा कि कमिश्नर इस लिये ठीक नहीं है कि वह परमानेंट सर्विस के आदमी हैं और मिनिस्टर इसलिये ठीक नहीं हैं कि वह परमानेंट सर्विस के नहीं हैं तो अब तीसरी जमाअत कहां से लाई जाय ?

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

जहां तक मिनिस्टरों के लिये स्कूल खोलने की बात है तो जब तक हम यहां स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे शिक्षा पाते हैं तब तक दूसरे स्कूल की जरूरत क्या है । आखिर वह तो अपनी बुजुर्गाना राय जिसको लेकर हम सब को वह आचार्य की तरह से रोज उपदेश दिया करते हैं । मगर हम लोग इतने कुंद जहन हैं कि उससे फायदा न उठा सकें तो यह हमारी कमी है लेकिन किसी दूसरे स्कूल की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मौजूद ही है और जब तक उनके उपदेश मिलते रहेंगे तब तक हम उस चीज से जो वह कहते हैं, बचने की कोशिश करेंगे ।

यह स्कूल बहुत ही उपयोगी चीज है और इसमें जो कमिश्नर हैं वह तजुर्बेकार हैं और नान कम्यूनल लोगों को खुशी होनी चाहिये कि उनको वहां रखा जा रहा है, दूसरे वाइस प्रिंसिपल जो वहां रखे गये हैं वह भी मैं समझता हूं कि एक हद तक राष्ट्रीय भावना रखने वाले आदमी हैं मुझे आशा है कि उनसे बहुत अच्छी बात मिलेगी । वहां का प्रोग्राम और करीक्यूलम अच्छे ढंग का है और उसके आधार पर ही काम होगा । इसमें कम्यूनिस्ट पार्टी के अलावा सभी पार्टी मानती हैं कि गांधी वाद के आधार पर काम हो तो वही मौलिक सिद्धांत है जिसके आधार पर वहां काम होगा और इसका कार्यक्रम निश्चित है और पहले से बना हुआ है और अभी प्रोसीडिंग्स कमेटी ने राय दी है, मैं आशा करता हूं कि उससे जरूर फायदा होगा और जब यह काम करने लगेगा तो सभी को मालूम हो जायगा कि शंकायें हो रही हैं उनके लिये कोई स्थान नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२–सामान्य प्रशासन के कारण व्यय लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १७,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१-योजना और एकीकरण, लेखा शीर्षक: ६३–क–युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३-ख-सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत ४०,०९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–१६–लेखा शीर्षक–२८– जेल और बन्दी बस्तियां, अनुदान संख्या–१७–लेखा शीर्षक–२९–पुलिस तथा अनुदान संख्या–२८–लेखा शीर्षक–४७– श्रम और संख्या

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६–जेल-लेखा शीर्षक: २८–जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत ३६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७–पुलिस-लेखा शीर्षक: २९–पुलिस के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८–श्रम और संख्या-लेखा शीर्षक: ४७–विविध विभाग के अन्तर्गत १८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री रामेश्वर लाल––(जिला देवरिया)–माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं अनुदान संख्या १६, १७ और २८ के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। इन अनुदानों से संबंध है जेल, पुलिस और श्रम से जिसके प्रशासक हमारे माननीय संपूर्णानन्द जी हैं, जिनके संबंध में किसी को भी संदेह नहीं होगा कि वह हमारे प्रांत के एक प्रमुख नेता और साथ ही साथ एक ज्योतिषी, विद्वान, शास्त्री और अर्थ शास्त्री हैं फिर ऐसे विद्वान व्यक्ति से संबंधित अनुदानों पर मुझे कुछ आलोचना करने की बात कहने के लिये कुछ हिम्मत की जरूरत पड़ती है, लेकिन मजबूरी है। किन्तु संतोष है कि इस सामान्य विवाद में जब कि सामान्य प्रशासन पर हमारे सदन के सम्मानित सदस्य विवाद कर रहे थे उन्होंने हमारे मार्ग को उनके विभागों की आलोचना करके प्रशस्त कर दिया है।

कल विवाद के दौरान में देवरिया की चर्चा हुई और हमारी भी चर्चा चली थी। चर्चा चली थी कि देवरिया में एक कत्ल हो गया और उसमें सोशलिस्ट पार्टी का हाथ था। इसके संबंध में जब राजनारायण जी ने कहा तो उधर के एक सम्मानित मंत्री जी ने प्रश्न उठाया कि क्या जब कि अदालत में मुकदमा चल रहा हो ऐसी हालत में कोई व्यक्ति उस संबंधित मुकदमे के संबंध में कोई बात सदन में कह सकता है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली बैठकों के दिनों में जबकि माधोशाही हत्याकांड के संबंध में मुकदमे की जांच चल रही थी उस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सवाल के दौरान में कहा था कि उससे सोशलिस्ट पार्टी का संबंध है और उस हत्या में कुछ लोगों का हाथ रहा है। जब अदालत में मुकदमा चला गया तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने मुझ पर आरोप लगाते हुये कहा था एक प्रश्न के उत्तर में कि मैंने वहां पर एक ड्रामे में भाग लिया और उसकी वजह से वहां पर कत्ल हो गया और इस प्रकार से लोगों के दिलों में एक जोश पैदा हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय संभ्रांत मंत्री के लिये, जो कि एक विभाग के शासक हों और जिन पर अपने प्रांत के ५१ जिलों की शांति के प्रश्न को हल करने का भार हो, रक्षा का भार हो, अगर वह एक व्यक्ति के लिये इस तरह के गलत कामों में फांसे और इस तरह की गलत बातें सम्मानित सदन में करें तो वह कहां तक उचित बात है, इसका निर्णय आप करेंगे। जहां तक देवरिया का संबंध है अगर वहां के सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता या एम० एल० एज० कोई प्रतिवाद करते हैं या कोई आरोप लगाते हैं उस पर माननीय मंत्री जी विश्वास न करें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब सदन के सम्मानित सदस्य श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी जो उधर के एम० एल० ए० हैं उनकी बातों पर वह अवश्य ख्याल करेंगे यदि वह कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी पुलिस अधिकारी पर लगाते हैं। उन्होंने दो महीने पहले वहां की कोतवाली के थानेदार के खिलाफ यह आरोप लगाया था कि उनकी मौजूदगी में वहां के थानेदार ने उनके गांव में ४५० रुपया घूस लिया, जिसके लिये हमने करप्शन कमेटी में आवाज उठायी और उन्होंने भी देवरिया के एस० पी० से निवेदन किया। लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और मुझे मालूम है कि वह मुक्त कर दिया गया और यह रिपोर्ट लग गयी एस० पी० की कि वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो जहां तक प्रांत में पुलिस की व्यवस्था का सवाल है वह तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारे वर्तमान मंत्री महोदय उस स्थान पर बैठे रहेंगे। अगर पुलिस की व्यवस्था ठीक करनी है तो सबसे पहले काम यह करना होगा कि मंत्री महोदय उस पद से इस्तीफा दे दें। इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं लेकिन एक अच्छे प्रशासक नहीं हैं यह सिद्ध हो चुका है। एक अच्छे प्रशासक के लिये सर प्राइज विजिट्स आवश्यक हैं। लोग जो कहें उस पर ध्यान दें। यह भी जरूरी है। तो पुलिस विभाग में एक अच्छे प्रशासक की जरूरत है और अच्छे प्रशासक के लिये माननीय मंत्री जी को वह स्थान रिक्त कर देना चाहिये।

[श्री रामेश्वर लाल]

दूसरी बात है पुलिस का लाल साफा। मैं सदन का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं जब बृटिश हुकूमत यहां पर थी। बृटिश हुकूमत में जो आतंक लाल साफे का गांवों में था उससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। जब एक लाल साफा गांवों में जाता था तो पूरा गांव छिप जाता था और त्राहि-त्राहि करने लगता था। आज भी लाल साफे का वही हाल है आज भी लाल साफा हिंसा का प्रतीक है और जो हमारे पुराने प्रशासक अंग्रेज रहे हैं उनका प्रतीक है। इसलिये लाल साफे को पहले बदल देना चाहिये। (सरकारी पक्ष की ओर से आवाजें-लाल साफे को या लाल टोपी को) हमारे कुछ साथी लाल टोपी की तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन लाल टोपी किसी के खून से नहीं रंगी है और लाल साफा उन्हीं के खून से रंगा है जो आज लाल साफे की बात करते हैं और उधर बैठ कर हमें गुमराह करते हैं। लाल साफा बदलना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि केवल पुलिस के छोटे-छोटे कर्मचारी ही दोषी हैं बल्कि वे लोग भी हैं जो आज अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। पुलिस विभाग में आज भ्रष्टाचार है लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्री जी की है और जो दूसरे उच्च अधिकारी हैं उनकी है आज एक पुलिस के सिपाही की कितनी कम तनख्वाह है। आज एक पुलिस का चौकीदार केवल ३ रुपये महीने पाता है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक तीन रुपये महीना पाने वाला चौकीदार कितनी ईमानदारी से गांव की रक्षा का भार निबाह सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि पुलिस के सिपाहियों को अच्छा वेतन दिया जाय आज इस बात की आवश्यकता है कि जो देश के नेता हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व किया है उनके नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों का प्रशिक्षण हो और वे प्रशिक्षण पाये हुये व्यक्ति पुलिस के ऊंचे ऊंचे अधिकारी बनाये जायं तब पुलिस का प्रशासन अच्छा हो सकता है।

जहां तक माधौ शाही हत्याकांड की बात है उसमें वहां की कांग्रेस कमेटी और हमारे मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उससे वहां पर भ्रष्टाचार फैला है। देवरिया में कोतवाली की पुलिस ने ५० हजार रुपये घूस लिया है जिसके संबंध में मैंने आई० जी० को जो लिखा है और खुली जांच की मांग की है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है। आज मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं ५० हजार रुपये घूस लेने की बात को साबित कर सकता हूं यदि उसकी ठीक से जांच करने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार अनुदान संख्या १६ और १७ पर रखना चाहता हूं। श्रीमन्, जहां तक यह अनुदान जिलों की जेलों के बारे में है मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं। लेकिन मैं साथ-साथ सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि जिला जालौन की जेल में अगर आप इसकी तहकीकात करवायें कि वहां पानी का प्रबन्ध क्या है तो मालूम होगा कि वहां अब भी वही पुराना तरीका जारी है कि बैलों से पानी निकाला जाता है। अगर आप वहां पम्प लगा दें तो मैं समझता हूं कि सरकार का परमानेंटली खर्चा भी कम होगा और सुविधा भी हो जायगी।

अनुदान संख्या १७ के बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि जहां तक इसका सवाल है कि पुलिस कांस्टेबिलों को भत्ता दिया जाय मैं उससे सहमत हूं। लेकिन आपके जरिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि देहात में जो आज आतंक फैला हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि जितना रुपया हम इस पुलिस पर खर्च कर रहे हैं देहात के क्षेत्र में कोई भी भला आदमी जो अपने घर में शांति से रहना चाहता है उसको बड़ा भय और खतरा रहता है, इसलिये जरूरत यह है कि देहाती क्षेत्र में सब-इंस्पेक्टरों की तादाद बढ़ानी चाहिये क्योंकि मौके पर जल्द न पहुंचने पर तहकीकात ठीक नहीं हो पाती और गुंडाशाही का राज्य हो रहा है। चोरियां और डकैतियां बढ़ती जाती हैं, चोरियां लिखी नहीं जातीं। लोगों को ऐसा विश्वास हो गया है कि चोरी की रिपोर्ट लिखाने ही नहीं जाते। नतीजा यह होता है कि दिन को भी चोरियां होने लगी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस लखनऊ शहर के अन्दर

अजीब-अजीब तरह की चोरियां होने लगी हैं। मैं फैजाबाद रोड का प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। मेरी कोठी से तीसरी कोठी में एक चोरी ऐसी हुई जिसमें उन महाशय के यहां चोर आये और उनको डंडों से मारा और मना कर दिया कि बोल नहीं सकते हो, अगर बोलोगे तो मारेंगे। इस तरह की चोरी जो डकैती की तरह से होती है, उसकी रिपोर्ट न लिखी जाय और उसकी इनक्वायरी न हो तो एक बड़ी भयंकर सी चीज है। इससे शहर और देहात में आतंक फैला हुआ है। जहां हम अफसरों की तारीफ करते हैं वहां उन पर कड़ाई भी होनी चाहिये कि इस तरह की चोरी क्यों होती है, तहकीकात क्यों न की जाय और रिपोर्ट क्यों न लिखी जाय।

*श्री खूब सिंह---(जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, सूबे में स्थिति के मुताल्लिक कई किस्म की रायों का इजहार इस सदन में किया गया है। परन्तु इजहार ख्याल करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि वाकयात पहले के मुकाबले में कितने तबदील हो चुके हैं। एक जमाना था कि कांग्रेस हुकूमत कायम होने से पहले, अंग्रेजी राज्य में, जब पुलिस वाले किसी देहात में एक वारन्ट आफ अरेस्ट ले कर जाता था तो सारे गांव की एक प्रकार तलाशी ले लेते थे। गांव-गांव घर-घर ढूंढ मारते थे और एक जमाना अब है कि अगर किसी खास मकान की तलाशी लेने के वास्ते कोई पुलिस वाला जाता है तो मकान वाला पहले मतालबा करता है कि वारन्ट आफ अरेस्ट हमें दिखा दीजियेगा। या हम लोग यह नहीं सोचते या उससे अन्दाजा नहीं लगाते कि इस प्रदेश में जिस तरह से पुलिस वालों को विहैव करना चाहिये, उन्हें कैसे ऐटमास्फीयर में विहैव करना है और उनको हमें इस किस्म के टुकूक नहीं देने हैं जिनसे उनके अख्तियारात इतने बढ़ जायें कि जो गवर्नमेंट चाहे उसके खिलाफ भी पुलिस वाले करने लगें। यह मानना कि इन हालतों में जो हालतें पैदा हो गई है मुमकिन है गवर्नमेंट का पुलिस के ऊपर उतना बड़ा अंकुश न हो सके जितना बड़ा अंकुश किसी दूसरी डिक्टेटरशिप वाले मुल्क में हो सकता है चीन या रूस में, लेकिन किसी भी प्रजातंत्र वाले देश में हुकूमत इसी तरह से काम लेगी जिस तरह से हिन्दुस्तान में काम लिया जा रहा है। एक दिक्कत और है हम प्रजातंत्र के मामले में नौसिखिया हैं और हम अभी समझ नहीं पाये हैं पूरे तौर से कि किस तरह से प्रजातंत्र को हैंडिल किया जाता है, अभी ट्रेनिंग में हैं, लिहाजा ट्रेनिंग में होते हुये हमें इस बात का गर्व है कि इतनी अच्छी तरह से सरकार राज्य का संचालन कर रही है। पिछले दो चार साल पहले की तारीख को उठा कर देख लें तो पता लग जायगा। इस सूबे में हर जिले में २, ४ साल पेश्तर एक कआटिक कंडिशन पैदा हो गई थी। बिजनौर में विक्रम और कृपाल के नाम से एक बवंडर खड़ा हो गया था, उनका बोलबाला था और इसी तरह की हालत मुरादाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई आदि जिलों में थी। अगर हम अपनी आंखों में पट्टी बांध रक्खेंगे दिन को दिन और रात को रात नहीं मानेंगे तो यह भी बेजा बात होगी। आज बिजनौर जिले में पहले के मुकाबिले में अमन हो गया है। कल इसी हाउस में एक सज्जन ने कहा कि वहां पर रेप किया गया। वाकयात को तोड़ मरोड़ कर कहने से क्या होता है। मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और उसने कहा कि रेप नहीं हुआ है। रेप हुआ हो या न हुआ हो कांग्रेस के पदाधिकारी जब तक कुछ खास आदमियों के जरिये बात न लाई जाय तब तक उनको बात का पता नहीं लग सकता और न वह ऐसी हालत में कुछ कर ही सकते हैं। पता लगने पर सरकार जो कर सकती थी वह कर रही है। जहां तक बिजनौर जिले का ताल्लुक है या उसके पड़ोस के जिलों का संबंध है वहां पर पुलिस का मुहकमा पिछले चार साल के मुकाबिले में कहीं ज्यादा सुधरा हुआ है। हां, एक सुझाव मैं जरूर देना चाहता हूं कि हालत ऐसी संतोषजनक नहीं है जिससे समझ लें कि सही हालत है और सुधारने की गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट ने एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खोल कर पुलिस के लिये एक खास कदम उठाया था, उसने तसल्लीबख्श काम किया था। मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट फिर से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खोल दे और उसे काम करने दे तो पुलिस के मुताल्लिक जो बावेले बढ़ते जा रहे हैं वे बहुत थोड़े अरसे में खत्म हो जायेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कल के भाषण और आज के भाषण सुनने के उपरान्त मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक ही तरह की शिकायत माननीय सदस्यों ने की है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। यदि इस पर गौर किया जाय और मनन किया जाय कि इसका कारण क्या है, मैं भी पुलिस का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, लेकिन जब मैंने अच्छी तरह से अन्दर घुस कर मनन किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इन क्राइम्स की जिम्मेदारी उन दलालों पर है जो पुलिस की छाया में रहते हैं, राजनैतिक पार्टियों की छाया में पलते हैं और जिनका बदमाशों से मेल ही नहीं है बल्कि उनको संरक्षण देते हैं। जिनसे वे नाराज हो गये उनको गिरफ्तार करा देते हैं और अगर पुलिस के किसी अफसर से नाराज हो गये तो राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्ध होता है उनकी इमदाद से फौरन उसका ट्रान्सफर करवा देते हैं। ऐसा विशेष सर्किल यह है जो देहात में फैला हुआ है। मेरी कांस्टीटचूएंसी में कई डकैतियां पड़ीं और जब उनकी तह तक पहुंचा तो देखा कि वही दलाल उसके कारण हैं। जब तक सरकार इन एजेंट्स पर कड़ी निगाह नहीं रखेगी, जुर्म कम नहीं हो सकते। दूसरे उनको आर्म्स भी जमींदारों के जरिये मिल जाते हैं। इन्हीं दलालों से बदमाशों को कारतूस उनके मिलते हैं। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कारण क्राइम्स बढ़ रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है इसलिये उसके अवगुणों को भी हमें सहना पड़ेगा। वास्तव में आज हालत यह है कि छोटे से छोटे किसान की भी आज मिनिस्टर तक पहुंच है। मामूली सी बात के लिये भी ऊपर तक पहुंच हो जाती है और इसका नतीजा यह होता है कि इस पहुंच से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाता है। मेरी कांस्टीट्युएन्सी में एक कत्ल हुआ और उसको फांसी की सजा हो गयी लेकिन वह सजा सरकार से कम्यूट हो गयी। इसी प्रकार से और भी मामले हो जाते हैं कि जिनके लिये ऊपर तक पहुंच हो जाती है तो उसका नतीजा यह होता है कि क्राइम्स को बढ़ने में मदद मिलती है। बनारस के डी० आई० एस० के एक सिपाही को रिश्वत के मामले में पकड़ा गया और उस पर अभियोग लगाया गया और उसके लिये कोशिश की जा रही है कि उसको छोड़ दिया जाय। इस तरह से लोग इन्टरेस्टेड हो जाते हैं और जुर्मों के बढ़ने में मदद मिलती है। अगर इस तरह की बातें हों तो हम न पुलिस का और न अन्य किसी विभाग का सुधार कर सकते हैं। हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे मंत्री जी अयोग्य हैं उनको उस पद से हट जाना चाहिये। एक ही हमारे उत्तर प्रदेश के इतने योग्य मंत्री हैं कि जो हर एक चीज को रेशनली तरीके पर सोचते हैं। यह हो सकता है कि कुछ लोग उनसे नाराज हों, उनकी आज्ञाओं का पालन न कर पाए हों या जैसा वे चाहते हैं न हो पाया हो। उनके कहने के मुताबिक अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो उनकी दृष्टि में वह अयोग्य हो गये और उनके आने से पुलिस विभाग आदि खराब हो गया इस बात को मैं नहीं मानता हूं। अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब से उन्होंने पुलिस को अपने हाथ में लिया है तब से पुलिस सुधार में संलग्न हैं और साइन्टिफिक तरीके से उसका संगठन करने जा रहे हैं। सी० आई० डी० विभाग को भी वह रीआर्गेनाइज कर रहे हैं। कोई भी सच्ची शिकायत होती है अगर वह उनके पास आ जाय और उसके लिये उनको विश्वास हो जाय तो वह बड़े से बड़ा स्टेप भी लेने के लिये तैयार होते हैं। जितने माननीय सदस्य यहां पर हैं उनकी शिकायतें हो सकती हैं लेकिन शिकायत करने से पहले उनको देख लेना चाहिये कि वह शिकायत जो वह करने जा रहे हैं वे कहां तक सत्य हैं। तब उसकी ऊपर तक पहुंच करनी चाहिये और तभी उसके मुताल्लिक शिकायत करनी चाहिये जिससे मंत्री जी उस पर कड़ी कार्यवाही कर सकें।

श्री मुहम्मद अब्दुल लतीफ (जिला बिजनौर)—मुहतरम स्पीकर साहब, इस वक्त तक जितनी तकरीरें मैं सुन चुका हूं उनमें तस्वीर का एक रूख सामने आया है। मुझे अफसोस

के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे हाउस की हालत यह हो गयी है कि उनको सिर्फ एक तस्वीर ही नजर आती है और कहा जाता है कि हमारे मिनिस्टर काहिल हैं और हमारे आफिशियल्स की हालत नाजुक हो गयी है। मैं इस तस्वीर का दूसरा रुख आपके जरिये से इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने जिले की बाबत अर्ज करना चाहता हूं और उसके मुताल्लिक यह अर्ज करता हूं कि मेरे जिले में पिछले सालों में नागुफ्ता हालत थी। मैं यह बयान करूं कि शाम के ५ बजे मैं अपनी हल्के में जा रहा था और अपने बैलतांगे पर जा रहा था। तो उसके सामने से एक शख्स गुजरा। तो जो मेरा तांगा हांक रहा था उसने कहा कि आप यहां रुक जाइये यह सामने से डाकू जा रहा है। शाम को ५ बजे का वक्त है तो इस तरह डाकू घूम रहा था। सुपरिंटेंडेंट पुलिस को उस इलाके में बुलाया गया और वहां पर अक्सर डाकू मारे गये और उसके बाद मेरे जिले में अमनोअमान हुआ। मैंने मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी का खत भेजा और मैंने उनसे अर्ज किया कि मेरी यह मुबारकबादी अपने जरिये से सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को भेज दी जाय। मालूम नहीं कि उन्होंने वह मुबारकबाद भेजा या नहीं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम एक ही रुख को देखकर क्रिटिसाइज करें और आफिसरों की जो कामयाबी हो उसके लिये उनको इन्करेज न करें तो कोई हुकूमत दुनियां में चल नहीं सकती हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग एक रुख ही सामने रखते हैं। असल बात यह है कि हम चाहते हैं कि अफसर हमारे हुकुम की तामील करें। यह बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं लेकिन यह हकीकत है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह बुराई है। मैं जानता हूं कि इन पिछले ७ साल के अन्दर जिस कदर पुलिस ने इमदाद की है वह बहुत काफी है, लेकिन अगर हकीकत के खिलाफ कोई चीज भी लाई जायगी, अगर किसी शख्स के ऊपर लगातार बुराइयों की बौछार होती रहेगी, हरदम पुलिस और पुलिसमैनों को क्रिटिसाइज किया जाता रहेगा तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन चलना दुश्वार हो जायगा। यह ठीक है कि आप पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, आपको यह हक हासिल है कि आप पब्लिक के मुफाद को सामने रख कर यहां पर सब कुछ कह सकते हैं लेकिन यह ठीक नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज आपके सामने रहे और तमाम चीजों से लोगों को डिसकरेज ही करते रहें। जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है मैं आपके जरिये से माननीय मिनिस्टर साहब को मुबारिकवाद देता हूं कि इन दो सालों में पुलिस के काम में तरक्की हुई है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––उपाध्यक्ष महोदय, अपने कटमोशन को पेश करते समय माननीय रामेश्वर लाल जी ने मेरे सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं, उनको सुनकर मुझको खुशी हुयी। अगर कहीं इत्तफाक से वे मेरी तारीफ कर देते तो जरूर मुझे ऐसा लगता कि मुझसे कुछ गलती हो रही है। जब उन्होंने मेरे सम्बन्ध में यह कहा कि मुझको स्तीफा दे देना चाहिये तो मेरी आत्मा को यह संतोष मिला कि मेरा काम अच्छा हो रहा है। उनको कोई और बात न मिली तो कई महीने पहले सदन में कही हुयी वे एक बात को कह गये। उस गड़े मुर्दे को उखाड़कर मैं सदन का समय तो नष्ट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस विभाग का काम कुछ हद तक विषपान करना है। दूसरे की तरफ से यह जहर खाने का काम किसी को तो करना ही होगा। अगर ट्रांसपोर्ट में कोई झगड़ा होता है, विद्यार्थियों में कोई झगड़ा होता है, एग्रीकल्चरल टैक्स के बारे में कोई सत्याग्रह आदि होता है तो सब केसेज में लोगों की मुठभेड़ पुलिस ही से होती है और शांति स्थापित करने का काम पुलिस को ही करना होता है। इसलिये हमें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसके बहुत से आलोचक हो जायं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि पुलिस के बारे में जो शिकायतें की जाती हैं वे सब निराधार हैं। जब मैं विद्यार्थी था उस समय मेरा यह ख्याल था कि ग्रेजुएट होने के बाद मैं ला क्लास ज्वाइन करूंगा। यद्यपि वह मैंने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ज्वाइन नहीं किया लेकिन उस वक्त एक ख्याल आया करता था कि अगर मैं वकील हो जाऊंगा तो झूठा मुकदमा कभी नहीं लूंगा। यद्यपि अदालत के सामने तो जाने की कभी मुझे जरूरत नहीं हुयी, लेकिन एक बात को मैंने हमेशा कोशिश की है कि जिस चीज को मैं झूठी समझता हूं उसकी वकालत में कभी न करूं। इसी बात को ध्यान में रख कर मैंने एक नहीं अनेक बार इस सदन में कहा है कि पुलिस के काम में गलतियां हो सकती हैं, शिकायतें हो सकती हैं। मेम्बर साहबान के सामने अपने अपने जिले की घटनायें आती हैं लेकिन मेरे सामने बहुत से जिलों की बहुत सी बातें आती रहती हैं जो कभी किसी अखबार में नहीं आ पातीं, जिनको देखकर मुझे बहुत ही दुःख होता है, न केवल पुलिस मंत्री के नाते, बल्कि एक भारतीय होने के नाते मुझे दुःख होता है, तकलीफ होती है और लज्जा भी आती है लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि महज बौखलाने से, महज गुस्सा करने से काम नहीं चल सकता। अगर ऐसी कोई चीज हो मस्लन पानी की कमी हो तो नहर खोदी जा सकती है, आने जाने की दिक्कत हो तो सड़कें बनायी जा सकती हैं, अगर किसी ऐसी चीज का अभाव हो तो उसका अभाव दूर किया जा सकता है। लेकिन जहां एक नहीं ५० हजार आदमियों से काम लेना पड़ता हो, और इतने मनुष्यों के हृदय-परिवर्तन करने की बात हो वहां कोई स्पष्ट बात सामने होनी चाहिये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सब एक परिवार के हैं। हम सब लोगों को मिल कर जो कुछ भी काम हो, करना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी से तो मुझे बराबर सलाह-मशविरा मिलता ही रहता है। इसके अलावा भी दूसरे हमारे साथी हैं या दूसरे पुलिस के अफसर हैं उनसे हम बराबर सलाह लेते रहते हैं और निरन्तर हमारे सामने यह चीज रहती है कि हमारे लिये यह अफसोस की बात है, हमारे लिये लज्जा की बात है अगर पुलिस के अन्दर से बुराई दूर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की मर्यादा के अनुरूप ही होनी चाहिये। लेकिन फिर भी हमारे सामने यह बात देखने की है कि अगर सफेद कपड़े पर एक छोटा सा भी काला धब्बा पड़ जाता है वह तो जोरों से सामने आता है। जहां पर हमारे आदमियों के अन्दर दोष हो वहां तक उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में हम सब लोगों को मिल कर सोचना चाहिये।

बहस के सिलसिले में श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने कहा कि यह बात सोचने की है कि जितने पुलिस के आदमी हैं वे सब भारतीय हैं। जहां हर साल ११,१२ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस रखे जाते हैं, जहां हर साल १०० से अधिक सब इंसपेक्टर रखे जाते हैं, आखिर वे भी हमारे ही घर के आदमी हैं, किसी दूसरे घर से नहीं आते हैं। तो हमको सोचना है कि आखिर समाज में ऐसी क्या खराबी पैदा हो गयी है कि हमारे घर के लड़के भी भले आदमी के बदले नालायक हो गये हैं। आखिर वे कैसी काजल की कोठरी हैं जहां जाने से सभी नालायक हो जाते हैं और उसी रंग में रंग जाते हैं। हम सबको मिल कर सोचना है कि आखिर हमारे घर के अन्दर कहीं न कहीं गलती जरूर है और जहां तक हो सके हमें उस गलती को दूर करना है तभी पुलिस की गलती भी दूर हो सकती है। जहां तक पुलिस की शिकायतों को दूर करने की बात है, हमारे रास्ते में भी कुछ दिक्कतें हैं, उसके लिये भी कुछ नियम और बन्धन हैं जिनके अन्दर रहते हुए हम उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करते हैं। नियम और बन्धन की बात मैं इसलिये नहीं कहता हूं कि उसकी आड़ में कोई पुलिस को बचाना चाहता हूं या पुलिस मुहकमे को बचाना चाहता हूं। बल्कि जो नियम बन्धन आज मौजूद हैं उसके बाहर जाकर हम किसी अधिकारी को चाहें कि उसे तुरन्त यहां से अलग कर दें तो वैसा नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इसके लिये सारी डिपार्टमेंटल कार्यवाही करनी होती है। इतना ही नहीं बल्कि हर एक का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का शासन में कोई हाथ नहीं होता। वह हाई कोर्ट की तरह ही एक अलग संस्था है जो कि शासन की सारी गन्दगी व तमाम झगड़ों से बिलकुल अलग सा है। तो जिसके अन्दर इतनी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया हो फिर किसी आदमी के दोष पर हम उसे फौरन ही निकाल कर अलग कर दें तो यह बहुत अच्छा काम नहीं है। नियम बन्धन के अन्दर

रहते हुए जो कुछ भी करना सम्भव है हम उसे करने की कोशिश करते हैं। अफसोस है कि समय कम है लेकिन फिर भी पुलिस में सुधार करने के जो सुझाव दिये गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और हमारी कोशिश यही है कि जहां तक हो सके हमारे यहां की पुलिस एफिसिएन्ट हो और उसके अन्दर जितने भी दोष हैं वे यथासम्भव दूर किये जायं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई रोग हो तो उसकी ठीक तसवीर देना तो ठीक है लेकिन रोग तो साधारण हो और उसे बड़ा करके दिखलाया जाय तो उसकी सही दवा नहीं हो सकती है। हम सब इसी प्रदेश में रहते हैं जिस तरह से हमारे अन्दर दोष हैं उसी तरह से उनके अन्दर भी दोष हो सकता है लेकिन सोचने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह असलियत से कहीं ज्यादा है। इसका नतीजा यह होगा कि जो हम करना चाहते हैं वह भी कर नहीं पायेंगे। अगर आज हमारे प्रदेश में कोई कहे कि किसी की जान सुरक्षा में नहीं है, आज हमारे प्रदेश में किसी का माल सुरक्षा में नहीं है, किसी की इज्जत सुरक्षा में नहीं है किसी औरत की इज्जत सुरक्षा में नहीं है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर कोई ऐसा कहता है तो वह सरासर गलत कहता है और वह भ्रम में है। हमारा उत्तर प्रदेश सब से बड़ा है और उसको ऐसा ही काम करना चाहिये जिससे हमारी कोई शिकायत न हो सके। अभी कल शाहिद फाखरी साहब ने पुलिस की कुछ शिकायतें की थीं। इस समय वे यहां पर मौजूद नहीं हैं लेकिन उन्होंने दो तीन घटनाओं के सम्बन्ध में दो तीन जगहों का नाम लिया जहां कि कम्युनल दंगे हुए। अगर पुलिस की शिकायत करनी ही थी तो वे करते लेकिन उनको चाहिये था कि यहां पर कम्युनल दंगों का जिक्र तक नहीं करते। उन बातों का इस तरीके से यहां जिक्र करना और अगर कोई छोटी मोटी बातें हो गयी तो इस बात को कोई नहीं सोचता कि आज से कुछ दिन पहले कितने दंगे यहां होते थे और कितना जनता का नुकसान होता था और कितने रोज झगड़े होते थे। इतना बड़ा मौका बकरीद के जमाने का अभी बीता है जिस में अकसर जगह जगह झगड़े पहले होते थे लेकिन हमारे यहां कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ बकरीद पर नहीं हुयी। अगर कोई छोटी मोटी घटना कहीं हुयी तो वह घंटा दो घंटा में ही कंट्रोल में आ गयी। हमारे दोस्त शाहिद फाखरी साहब ने इशारा किया और कहा कि मुसलमानों के साथ इस तरह की ज्यादती हुयी और उन को नुकसान पहुंचाया गया और कहा कि पुलिस और गवर्नमेंट अपने फरायज से कासिर रही लेकिन वह जब इस तरह की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि किस तरह से सरकार ज्यादती नहीं करती बल्कि अपने फर्ज को मुनासिब तौर से अदा करती है। अभी मोहर्रम के मौके पर बदायूं में एक किस्सा साम्प्रदायिक झगड़े का हुआ और वहां पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिस का नतीजा यह हुआ कि एक आदमी उस में मारा गया और वह आदमी हिन्दू था और इस बात का सबूत है कि हमारे सामने पक्षपात का सवाल नहीं है और हर मामले को बगैर किसी साम्प्रदायिक भावना के पूरे तौर से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हमें तो इस वक्त सतर्कता से काम लेना है क्योंकि हमारे पड़ोस में ऐसे देश हैं जो यह साबित करना चाहते हैं कि हमारे यहां बदअमनी है। अगर यहां के जिम्मेदार लोग खुद ऐसी बातें कहेंगे तो उन दूसरे मुल्क के लोगों को आसानी से हिम्मत हो सकती है यह कहने की कि यहां खून खराबी फैली हुयी है। जब यहां के पढ़े लिखे और जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कहते हैं तो वह देश के दुश्मनों की मदद करते हैं जिससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। इस देश में यह सब से बड़ा प्रदेश है और जब यहां के कोई माननीय सदस्य ऐसी बात करते हैं कि यहां मुसलमानों के साथ यह जुल्म हो रहा है यह ज्यादती हो रही है तो इससे अच्छा शिकार हमारे देश के दुश्मनों के लिये और कौन सा हो सकता है। अभी कुछ दिन की बात है कि पाकिस्तान के रेडियो की एक खबर छपी मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं यह कह दूं कि जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त नवाब साहब छतारी मेरे पास बैठे थे, तो उस अखबार में वहां के रेडियो की खबर छपी थी कि अलीगढ़ और मेरठ में इस साल हिन्दुओं ने जो होली खेली थी उस में उतना रंग

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं गिरा जितना मुसलमानों का खून गिरा। मैंने नवाब साहब से पूछा कि आप तो अलीगढ़ के रहने वाले हैं कहां यह खून गिरा। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि कहां गिरा हर आदमी को इस तरह की बात सोच समझ कर कहना चाहिये और उसको देखना चाहिये कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे देश के दुश्मनों को हम मजबूत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि जो अनुदान मैंने पेश किये उनको यह सदन स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण ––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी की पुरजोश स्पीच को सुनने के बाद मैं एक निवेदन कर दूं कि अगर कोई दूसरा मंत्री.....

श्री शिवनारायण––मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। जब माननीय रामेश्वर लाल जी मौजूद हैं तो उन की जगह श्री राज नारायण क्यों बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––आप बैठने की कृपा करेंगे।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं इतना निवेदन कर दूं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने जो बात कहीं उस को उन्होंने अपनी तारीफ समझ लिया। हमें यह अफसोस है और अगर यही अलफाज किसी दूसरे मंत्री के मुंह से निकलते तो अफसोस न होता। मैं यह मानता हूं कि इस मंत्रिमंडल में अगर कोई पढ़ने लिखने वाला मिनिस्टर है तो वह माननीय सम्पूर्णानन्द जी हैं और मैं यह भी कह दूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी को ही सारी बुराइयों के लिये और अपनी पुलिस की बुराइयों के लिये जिम्मेदार बनना पड़ता है और यह भी सोचने की बात है कि जहां उन की जिम्मेदारी नहीं होती वहां भी बातें कही जाती हैं। ठीक क्या है यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि यह नहीं कहना चाहिये कि इज्जत महफूज नहीं है और यह भी कहना ठीक नहीं है कि सब के जान माल की हिफाज़त नहीं है। जान माल की हिफाज़त है, इज्जत भी है मगर उन की जो मंत्री जी के पास रहते हैं, उनके कृपा पात्र हैं। मंत्री जी इतना ही समझने की कोशिश करें कि जनतंत्र में अपोजीशन का क्या स्थान होता है। मंत्री जी अपने कर्तव्य से च्युत हुए हैं। उन्होंने नहीं समझा कि वह सरकार जो विरोधी दल को अनुचित तरह से दबाये और अपने कर्मचारियों पर भरोसा करे वह चीज जनतंत्र के लिये शोभायमान नहीं है मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। वैसेतो उन्होंने जेल में कई बार कहा था कि राजनैतिक बंदियों का अलग स्थान होना चाहिये लेकिन अब उन की राय क्या है यह हम उनसे जानना चाहते हैं उन को यह नहीं समझना चाहिये कि अब तो कांग्रेस पार्टी पावर में है।

यदि माननीय मंत्री जी राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देंगे और राजनैतिक दृष्टिकोण से राजनैतिक कैदियों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो जनतांत्रिक परम्परा के अनुसार वह बहुत गलत व्यवहार होगा। कानपुर के जेल के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की पुलिस की कृपा से मैं भी दो महीने तक वहां रहा। वहां महिलाओं के लिये और मरदों के लिये, दोनों के लिये एक ही रास्ता है। महिलाओं का बैरक अलहदा नहीं है बल्कि एक ही से दोनों जाते हैं। माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे और कानपुर जेल में महिलाओं के लिये अलग व्यवस्था करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––यह तो आप कोई उत्तर के लिये बात नहीं कर रहे हैं। आप केवल सूचना के लिये कह रहे हैं।

श्री राजनारायण––किसी उत्तर के लिये नहीं बल्कि मैं उनकी सूचना के लिये कह रहा हूं। मैं अब केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो रामेश्वर लाल जी को जवाब दिया वह उनके लिये शोभनीय नहीं था। माननीय रामेश्वरलाल जी ने

जो उनको इस्तीफा देने के लिये कहा वह इसलिये नहीं कि वह पंगु बनकर बैठ रहें। अभी एक लेख मैंने पढ़ा था। उसमें माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने मिक्स्ड एकानामी जो कांग्रेस सरकार की चल रही है उस पर कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थोपी थी कि हो सकता है कि जो भ्रष्ट वातावरण आज सारे समाज में है वह मिक्स्ड एकानामी की वजह से हो। तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी बिलकुल सही बात कहते हैं लेकिन तब जब वह अपने को मंत्री समझ कर बातें नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६–जेल–लेखा शीर्षक २८–जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत ३६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७–पुलिस लेखा शीर्षक २९–पुलिस के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८–श्रम और संख्या-लेखा शीर्षक ४७––विविध विभाग के अन्तर्गत १८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा तथा अनुदान संख्या ३९––लेखा शीर्षक ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान

श्री हरगोविन्द सिंह––श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा के अन्तर्गत १५,१९,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९–लेखा शीर्षक ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान––लेखा शीर्षक ५७–विविध के अन्तर्गत ६,२०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत लेखा शीर्षक ३६ और ३७ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, अगर शिक्षा संबंधी अनुदान को देखा जाय तो पहले ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सवा लाख रुपये के लगभग होस्टल बनवाने के लिये दिया जा रहा है। जहां सरकार एक ओर यूनिवर्सिटियों को सुधारने का प्रयास कर रही है और लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों का बिल लाने का प्रयत्न कर रही है वहां उसका कर्त्तव्य यह भी है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उनको वह सब धन प्रदान करें जिससे विश्वविद्यालय में जो सुधार है वह हो सके।

(इस अवसर पर ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

राधाकृष्णन कमीशन अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट करता है और सेंट्रल ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार रुपया उसको नहीं देगी तब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में सुधार की योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को भूल गये हैं कि जहाँ तक एक ओर सरकार इस बात का अधिकार ले रही है कि ऐकेडेमी ऐटानामी को छोड़कर फायनेंशल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्फियर को छोड़कर यानी प्रशासकीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक सत्ता रखने की चेष्टा करती है। जहां कमेटी आफरेफरेंस में अपने प्रतिनिधियों को रखने की चेष्टा करते हैं वहां युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं स्वीकार करते? इसलिये श्रीमन्, जहां मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि होस्टेल के निर्माण के लिये भूमि खरीदी जाय वहां आप के द्वारा इस बात की मांग करता हूं कि इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटी का जितना इस वर्ष का डेफिसिट है, जितना उसको नुक्सान हुआ है ये सारे वह सारा वाइप आउट कर दिया जाय और युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको ज्यादा महत्व देकर युनिवर्सिटी फाइनेंस को ठीक किया जाय। श्रीमन्, साथ ही साथ इसमें एक दूसरी बात जो आई है वह है बेसिक एजुकेशन के सम्बन्ध में, पांच छः स्कीमें हैं जिसके लिये बेसिक कम्यूनिटी सेंटर आदि खोलने जा रहे हैं। श्रीमन्, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि केवल वह तीन ही जिलों में क्यों खोले जा रहे हैं जैसा कि इलाहाबाद, लखनऊ और मुजफ्फरनगर इन तीन जिलों में आप देखेंगे कि २२५ प्राइमरी स्कूल, तीन जनता महाविद्यालय, तीन खंडों में एकीकृत पुस्तकालय सेवा, तीन बेसिक ट्रेनिंग कालेज आदि के सारे केवल तीन जिलों में ही खोले जा रहे हैं। मुझे कोई जिलों से शिकायत नहीं है कि वह वहां क्यों खोले जा रहे हैं लेकिन इसी बजट में एक दूसरी जगह ५१ हायर सेकेंडरी स्कूलों के विकास की योजना है और उसके लिए यह है कि ५१ हायर से सेकन्डरी स्कूलों का विकास अलग-अलग जिलों में होगा। तो जिस प्रकार १ हायर सेकेंडरी स्कूल एक जिले में छांटा गया उसी प्रकार यह हो सकता था कि २२५ स्कूलों का जो विकास करना था तो वह भी सारे ५१ जिलों में से स्कूल छांटे जाते। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सीधे अपनी मर्जी से ऐसी सिफारिश कर दी होगी। यह इसी सरकार की सिफारिश के आधार पर हुआ होगा। लेकिन भविष्य में ऐसी जितनी योजनायें हों वह केवल कुछ चंद जिलों में ही उनका केन्द्रीयकरण न कर दिया जाय। इस तरह से कोई माडल स्कूल से कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में सरकार पहले कुछ खास-खास जिलों में इन्टेसिव डेवलपमेंट करना चाहती थी। लेकिन अब वह सब जिलों में नेशनल एक्सटेंसन ब्लाक के जरिये इंटेन्सव डेवलपमेंट करना चाहती है। तो उसी नीति को शिक्षा के क्षेत्र में बरतना चाहिये बजाय इसके कि तीन जिलों में इस तरह से केंद्रित कर दिया जाय। सारे प्रांत में कुछ स्कूलों को ले लें और वहां विकेन्द्रित कर के विकास योजना को कार्यान्वित करें। जो ऐग्रीकल्चर की नयी स्कीम शिक्षा विभाग में चली है उसके बारे में मैं केवल एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं, समय कम है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार अब साहित्यिक शिक्षा को कम करना चाहती है। पेज २३ पर कहा गया है– "ऐसा विचार किया गया कि इस योजना के फलस्वरूप कुछ हद तक बेकारी कम हो जायगी पर साहित्यिक शिक्षा प्रसार के फलस्वरूप बेकारी की संख्या और बढ़ेगी और इस समस्या का यह कोई स्थायी हल न होगा"। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस शिक्षा प्रणाली का अर्थ यह है कि जो स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन है उसको कम किया जाय, साहित्यिक चेतना को कम किया जाय तो किसी प्रकार से कोई भी बेकारी की समस्या का हल होना तो दूर रहा, कोई लाभ इससे नहीं होने वाला है और शिक्षा का माध्यम गिरने वाला है। जहां तक कृषि शिक्षा का सवाल है हमारे जिले में रुद्रपुर में इन लोगों की ट्रेनिंग हुई। छः महीने की ट्रेनिंग तीन कामों

में हुई। उस ट्रेनिंग से कितनी योग्यता उनकी इस काम में हो गई इसका अंदाज कोई भी लगा सकता है। तीन महीने घूम-घूम कर ट्रेनिंग लेने वाला एक आदमी कृषि का एक्सपर्ट मान लिया जाय और वह किसान के बेटों को कृषि की शिक्षा दे, यह असंभव सी बात है। तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर जो लोग जा रहे हैं वह किस तरह की शिक्षा देंगे? इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हायर एजूकेशन की अलग स्कीम है, सेकेंड्री एजुकेशन की अलग है और बेसिक की अलग योजना चल रही है, इन तीनों में कोई तारतम्य नहीं है। तो अंततः मैं मंत्री जी से जो कि अपने नये जोश के साथ इस समय इस स्कीम को लेकर आगे चल रहे हैं, यही निवेदन करूंगा कि उनका यह जोश तभी लाभप्रद होगा जब कि इन तीनों प्रकार की शिक्षा की योजनाओं में तारतम्य ला कर इन योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दो बातों के प्रति इस अनुदान के अन्तर्गत माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है। सब से पहली बात जो माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने कही वह कृषि शिक्षा के संबंध में है। जब से अध्यापकगण जूनियर हाई स्कूलों में २-३ महीने की कृषि की ट्रेनिंग ले कर गये हैं तब से एक अजीब वातावरण स्कूलों में उत्पन्न हो गया है और वह इसलिये कि जो अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुयेट्स, जिनको केवल दो तीन महीने की ही कृषि की शिक्षा मिली है, वह लोग तो वहां के हेड मास्टर तथा अन्य लोगों से तनख्वाह ज्यादा पाते हैं। दूसरा प्रश्न इस बात का होता है कि ऐसे अध्यापकगण जो कृषि का अधूरा ज्ञान रखते हैं वह कृषि की शिक्षा स्कूलों में दे सकते हैं या नहीं। खैर जो कुछ भी हो इस सम्बन्ध में, सरकार को पुनः विचार करना पड़ेगा और ऐसे अध्यापकों के लिये और शिक्षण देना अनिवार्य होगा।

इस सम्बंध में जो दो चार दिक्कतें और भी मुझे मालूम पड़ी हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शायद मैदानी हिस्सों में कृषि शिक्षा के हेतु जमीन का मिलना संभव हो सकता हो। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहां कि जमीन करीब-करीब जंगलात क्षेत्र के भीतर है वहां जंगलात की जमीन का मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने व्यवस्था की है कि स्कूल के नाम पर जंगलात के भीतर भी जमीन मिले और इसके लिये कई जगह जमीन नापी भी गयी है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज सरकारी विभागों में आपस में सहयोग नहीं है, कोआर्डीनेशन नहीं है, मेल नहीं है। मैंने देखा है कि अभी तक जंगलात विभाग से जमीन नहीं छोडी गयी है और उन जमीनों पर जंगलात विभाग अपने हाथ टाइट किये हुये बैठा है और इसी कारण से हमारी कृषि शिक्षा का काम शुरू नहीं हो सकता है। इस लिये मैं अर्ज करूंगा और वन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जमीनों को जो कृषि के लिये उपयोगी हैं, जल्द से जल्द छोड़े जाने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही साथ एक बात और है कि पहाड़ी इलाकों के लिये यह बात मानी गयी है कि वहां कृषि से गुजर नहीं हो सकती। इसलिये माननीय शक्षा मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि कृषि शिक्षा से ज्यादा क्राप्ट की शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था करें।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस साल हमारी सन् १९४९ से लगातार मांग व प्रार्थनाओं के बाद हमारे यहां के १४ जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट दी गयी है और बाकी स्कूलों को अधूरा यानी इनकम्पलीट बताया गया है। तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके पास पुरानी रिपोर्ट दो तीन साल पहले की हैं उन्हीं के आधार पर उन स्कूलों को अधूरा बतलाया गया है। अब सब स्कूल कम्पलीट हो चुके हैं। अतः मेरी शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि अब दूसरे बजट में पूरा रुपया दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इतना ही कह कर मैं शिक्षा शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो इस बार अनुदान दिया गया है वह सिर्फ अपराधशील जातियों के सम्बन्ध में है। पिछड़ी जातियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह बहुत ही कम है। उनकी जन संख्या को देखते हुये वह बहुत ही कम है। जो आंकड़े सीरदार की तरफ से दिये गये हैं पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में वह बहुत ही भ्रमामक हैं। सिर्फ ४१ लाख की जन संख्या उनकी दी गई है। सन् १९३१ की जो सेंसस रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि इनकी जन संख्या २ करोड ४५ लाख के करीब थी और ५१ में बढ़ कर यह तीन करोड़ के करीब हो चुकी है लेकिन जो सरकारी प्रकाशनों में आंकड़े दिये गये हैं वह केवल ४१ लाख दिये गये हैं और अखबारों में भी बराबर यही निकलते रहे हैं। यही आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे गये होंगे और वहां से छात्रवृत्ति जन संख्या के अनुपात से मिलती है। दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारे प्रान्त में बहुत कम छात्रवृत्ति मिली है। जो प्रान्त ज्यादा छोटे हैं उनमें इससे कहीं चौगुनी, पंचगुनी, छात्रवृत्ति मिली, लेकिन इस गलती की वजह से हमारे प्रान्त के पिछड़े वर्ग के बहुत से छात्र छात्रवृत्ति न पा सके। इस लिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको सुधारने की कृपा करें। हमारे पिछड़े वर्ग की जो सूची बनायी गयी है उसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में किया था कि हम ५६ की सूची को पिछड़ी जातियां मानें। लेकिन सरकारी नौकरियों में कई विभागों में पिछड़ी जातियों के लिये सिर्फ १५–१६ जातियों की सूची है। जब यह माना जाता है कि शिक्षा में ५६ जातियां पिछड़ी हुई हैं और उसका एक फारमूला भी है, गोकि १९३१ में मर्दुमशुमारी में यही है कि ५० फीसदी में जिन जातियों में ज्यादा पढ़े लिखे हैं वह ज्यादा एडवांस्ड हैं और १० फीसदी से ५० फीसदी तक जो हैं यह मध्य यानी इंटरमिजिएट और १० फीसदी से कम जिन जातियों में परसेंटेज है उनको उन्होंने पिछड़ी जातियां माना हैं। वह सन् १९३१ की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट के सफा ४८० के सेकेंड पार्ट में है। और दूसरे सामाजिक स्तर के हिसाब से भी देखा जाता है तो १५ फीसदी जो पिछड़े हुये हैं वह कैसे सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ गये जब कि शिक्षा में पिछड़े हुये हैं। उनको तो सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए होना चाहिये। क्या सन् १९५१–५२ और ५२–५३ की सालों में उन लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में जनसंख्या बढ़ गयी है? नहीं बढ़ी। उसको सरकार को देखना चाहिये कि सरकारी नौकरियों में वह पिछड़े हुये हैं या नहीं। अगर पिछड़े हों, अगर उनकी जनसंख्या नहीं के बराबर है तो उनको, उन ५६ जातियों को, सरकारी नौकरियों में सहूलियत मिलनी चाहिये और यह मानी हुई बात है कि जो लोग शिक्षा में पिछड़े हुये हैं वह सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुये हैं और जो सरकारी नौकरियों में नहीं है उनका सामाजिक स्तर पिछड़ा रहता है। जो लोग सरकारी नौकरियों में आते हैं वह ही आगे बढ़ने के काबिल होते हैं।

*श्री **बाबूनन्दन** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ६,२०,००० रुपये की मांग अनुसूचित जातियों के लिये की गयी है उसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मौजूदा सरकार ने अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये जो कार्य किया है वह सराहनीय है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारी सरकार की भी इच्छा थी और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रुपया हरिजनों के सुधार और उत्थान के लिये दिया जाता है उसको हमें गौर से देखना है कि वह कार्य-रूप में परिणित किया जा रहा है या नहीं। इसी प्रकार हरिजनों की जितनी मांगे हैं, जैसे सुरक्षित सीटें और पढ़े लिखों के सम्बन्ध में, उनके कूप-निर्माण के हेतु और उद्योग धंधों के हेतु जितना रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें गौर से देखने की भी जरूर आवश्यकता पड़ती है। सरकार के जो कार्य हैं उनके लिये कर्मचारियों की भी आवश्यकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ती ही है । हर एक विभाग में जो इस तरह के कर्मचारी रखे गये हैं उनके प्रति भी हमारी सरकार की निगाह बहुत तेजी के साथ होनी चाहिये कि उनका कार्य सचमुच संतोषजनक हो रहा है या नहीं । यदि नहीं हो रहा है तो उनके लिये हमें कुछ करने की आवश्यकता है । इसमें कोई शक नहीं कि जब से इस विधान सभा में हमारे ८४ सदस्य आये हैं, वह हमेशा इस बात का प्रयास किया कर हैं और माननीय मंत्रीजी का ध्यान, सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया करते हैं कि जो जातियां पिछड़ी हैं, जिन जातियों में प्रगति नहीं आयी है उनके लिये सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि इनको जैसे भी हो ऊंचा उठाया जाय और अपने देश का एक ऊंचा आदर्श बनायें कि हमारे देश में गरीबी नहीं रह गयी है, हमारे देश में भेद भाव नहीं रह गया है । हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी का एक यह लक्ष्य था कि हमारे देश में सब बराबर हों और इस हेतु महात्मा गांधी जी ने काफ़ी प्रयास किया है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ भी वह कर रही है वह बड़ा सराहनीय है लेकिन इसके साथ-साथ आवश्यकता इस बात की है कि उसमें जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह जहां इतना करते हैं कि काफी रुपया सरकार से मांगते हैं वहां उनका ध्यान उनको ऊपर उठाने का भी होना चाहिये ताकि जो हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी का उद्देश्य था वह पूरा हो ।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, इस अनुदान के सम्बन्ध में जो सुझाव रखे गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनके लिये अपना आभार भी प्रकट करता हूं । श्री नारायण दत्त जी ने युनिवर्सिटीज़ की बात कही और ठीक ही कही कि धनाभाव के कारण भी उनकी समस्यायें काफी बढ़ गयी हैं । जहां तक उसका सम्बन्ध है यह तो भवन में पहले भी बताया जा चुका है और मैं समझता हूं कि उसको फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों विश्वविद्यालयों पर जो क़र्जा है उसका सम्पूर्ण भार सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है । हां, इस बात का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये कि भविष्य में ऐसी अवस्था फिर न उपस्थित हो जाय कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं ये अपने ऊपर फिर कर्ज़े का एक बोझ लाद लें । उसके लिये इस भवन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत होगा उसमें प्रयत्न किया गया है । दूसरी बात यह कि अधिक से अधिक जितना हम कर सकें हमें इन विश्वविद्यालयों को देना चाहिये इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । और अभी मूथम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी को ब्लाक ग्रान्ट कितनी मिलनी चाहिये यह भी निश्चित कर रहे हैं और शायद निकट भविष्य में हमारे लिये यह सम्भव हो जायगा कि हम वह धनराशि बता दें जो हम प्रति वर्ष इलाहबाद युनिवर्सिटी को दिया करेंगे । यह जो युनिवर्सिटियों में असुविधायें हैं उनके लिये यह तो अवश्य होना ही चाहिये कि वे दूर हो जायं ।

जहां तक रिओरिएंटेशन स्कीम की बात कही गयी इसमें भी मैं असहमत नहीं हूं कि तीन महीने की जो ट्रेनिंग दी गई हमारे अध्यापकों को वह अपर्याप्त है । जिस समय इस ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया गया था तो मैंने यह सोच रखा था कि यह ट्रेनिंग अपर्याप्त है और इतने कम समय में हम अपने अध्यापकों को योग्य नहीं बना सकेंगे । लेकिन शायद आप को मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से वह स्कीम आयी, फ़ाइनेन्शियल इयर क्लोज़ हो रहा था, उस स्कीम को चलाना था इसलिये उस समय तीन ही महीने की ट्रेनिंग हम दे सके थे । बीच में बरसात आ गयी जिसकी वजह से वह ट्रेनिंग समाप्त भी करनी पड़ी लेकिन हमने इस बात का अब प्रबन्ध किया है कि जिनको तीन महीने की ट्रेनिंग है उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाय लेकिन थोड़ी-थोड़ी संख्या में—हम सब को एक साथ ट्रेनिंग नहीं दे सकते – और इस तरीके से ट्रेनिंग का लस्टका बना रहेगा जिसमें कि हमारे अध्यापक योग्य बन जायं । अब क्यों तीन जिले लिये गये इस कारण यह नहीं था कि गवर्नमेंट को उन तीन जिलों से मोह

[श्री हरगोविन्द सिंह]

है बल्कि वह स्कीम इतनी जल्दी चलानी पड़ी जिसके लिये हमें भवन की, सामग्री की, सब की व्यवस्था करनी थी। इस सब के अलावा यह तो एक प्रयोग किया जा रहा है और इसलिये यह आवश्यक नहीं कि प्रयोग सारे प्रान्त में साथ-साथ किया जाय। जहां तक आप ने स्कूलों की बात कही वह तो आज हम हर जिले में एक स्कूल को रुपया दे रहे हैं। वह तो इसके अन्तर्गत है कि हम चाहते हैं कि सारे प्रान्त में हमारे स्कूल का स्तर बढ़े। हम इसलिये प्रति वर्ष एक स्कूल को करीब १० हजार रुपया दे रहे हैं। वह तो प्रयोग की कोई बात नहीं है। इन स्कूलों को हम चाहते हैं कि उनका स्तर बढ़े इसलिये वह दिया जा रहा है। लेकिन यह एक प्रयोग किया जा रहा है कि किस तरह से हमारे स्कूलों और जनता का संबंध हो, किस प्रकार हमारे स्कूलों से जनता प्रभावित हो। इसलिये यह जिले प्रयोग के लिये चुने गये हैं। इसमें कोई विशेषता नहीं है, किसी बात से प्रभावित हो कर इन जिलों का निर्वाचन नहीं हुआ है।

जहां तक बैकवर्ड क्लासेज की बात है मैं समझता हूं कि कोई मर्दुमशुमारी हुई हो तो दूसरी बात है। मैं तो इस समय कम से कम इस स्थिति में हूं कि कह दूं कि नहीं कोई मर्दुमशुमारी होगी और उसमें इस बात की गणना हो जायगी कि बैकवर्ड क्लासेज के लोग कितने हैं। बैकवर्ड क्लासेज कमीशन इन सब बातों पर विचार कर रहा है। उसकी आख्या होगी और उस पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेश भी होंगे जिनका पालन किया जायगा।

जहां तक नौकरियों का सबन्ध है, जहां तक बैकवर्ड क्लासेज का संबंध है उनके लिये नौकरियों में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। इसलिये उनको वह योग्यता जो नौकरियों के लिये आवश्यक है वह तो उनमें होनी ही चाहिए। यह भी उनके लिये नहीं है कि योग्यता रखते हुए नौकरियों में न लिया जाय। आवश्यकता तो इस बात की है कि जिन जातियों के स्थान सुरक्षित हैं उन जातियों को प्रयत्न यह करना चाहिए कि वह अपने में योग्यता पैदा करें और अन्य जातियों के साथ इम्तहानों में बैठें और सफल होने का प्रयत्न करें। यदि किसी राष्ट्र का कोई अंग केवल यह देखता है कि हम नौकरियों में स्थान सुरक्षित रख कर ही जीवित रह सकते हैं तो मैं समझता हूं कि न वह अंग जीवित रहेगा और न वह राष्ट्र जीवित रहेगा। हमारे संविधान में यह भी रखा हुआ है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिये भी एक निश्चित समय के लिए ही नौकरियों में स्थान सुरक्षित हैं। तो इस बात का प्रयत्न करना चाहिये। हां, मैं सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना अधिक से अधिक प्रयत्न हो सकेगा हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम बैकवर्ड क्लासेज के लड़कों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएं ताकि जहां तक संभव हो उनको पढ़ने की सुविधाएं दे सकें। बाबूनन्दन जी ने एक बात कही, बहुत महत्व की कही कि हमें यह देखना चाहिये कि जितना रुपया हम खर्च करते हैं और जिनके द्वारा खर्च करते हैं वह ईमानदारी से खर्च हो रहा है या नहीं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बात का सदैव प्रयत्न करता हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा और किसी के प्रति कोई लिहाज भी नहीं करूंगा जिसके प्रति हमारा संदेह होगा, जिसके द्वारा हमारे रुपये का दुरुपयोग होगा हम उसको कठिन से कठिन सजा दिलायेंगे। लेकिन मैं आपके द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इसमें मेरी मदद करें। अभी तक मैं अपना असंतोष इस बारे में प्रकट कर देना चाहता हूं कि मुझको उनसे जितनी मदद मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल रही है और मैं समझता हूं कि यह उनके लिये, हमारे लिये, देश के लिये और प्रान्त के लिये सभी के लिये कल्याणकारी बात होगी यदि उनसे हमको मदद मिले। जहां मैं कोई गड़बड़ी देखता हूं वहां कुछ करने का प्रयत्न करता हूं। तो मेरे पास ये सिफारिशें आती हैं कि ऐसा न किया जाय, मेरी समझ में नहीं आता क्यों। अभी थोड़े दिन हुये हर जिले में हरिजन आश्रम हैं, जिसमें हरिजन लड़के बिना किराये के रक्खे जाते हैं, उनके बारे

में शिकायत आयी । मैंने आदेश निकाला कि अब यह छात्रावास हमारे डी० आई० ओज० के अन्डर कर दिये जायं और मैं समझता था हरिजन एम० एल० एज० इसका स्वागत करेंगे क्योंकि इससे उन छात्रावासों का प्रबन्ध अच्छा हो जायगा और छात्रों को सुविधायें भी अधिक मिलेंगी लेकिन बहुत से लोग मेरे पास आये और कहा कि आदेश वापस ले लूं । इसलिये ले लूं कि एक मैनेजर साहब बहुत दिनों से उसे चला रहे हैं और उसके चलाने से उनको निजी फायदा है । मैंने आदेश वापस तो नहीं लिया लेकिन जैसा मैंने कहा मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा वे इसमें मदद करें । अगर उनकी सहायता मुझे प्राप्त रही तो मैं आशा करता हूं कि बजट में जो हरिजनों के लिये रुपया मिलता है वह उन्हीं के कार्यों में खर्च होगा और उसका अच्छा परिणाम होगा ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)––मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । २ लाख २० हजार रुपया केन्द्रीय सरकार से छुआछूत को मिटाने के लिये मिला है, इसमें आइटम नं० ७ में इस कार्य के लिये ५ हजार रुपया रक्खा गया है, क्या उससे छुआछूत दूर हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष––आप ने सिर्फ राय पूछी है, इसका जवाब नहीं मिलेगा ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी––मैंने माननीय मंत्री का वक्तव्य बड़े ध्यान से सुना । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह मेरे तर्क को समझ न पाये । मैंने निवेदन किया था कि युनिवर्सिटीज को जो ग्रान्ट्स दी जायं वे सीधे न दी जायं बल्कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के जरिये जैसी कि मूयम कमेटी की भी सिफारिश है ताकि उसकी ताकत को बढ़ाया जाय और उसका रिकांस्टिट्यूशन किया जा सके । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक स्कीम यू० पी० गवर्नमेंट के पास भेजी । यू० पी० गवर्नमेंट को यह लगा कि अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम मान ली जाती है तो एक तरफ बेकारी कम होगी तो दूसरी तरफ बढ़ भी जायगी । इसलिये बढ़ जायगी कि लिटरेरी आर्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का यह खयाल गलत है ।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि माननीय सदस्यों ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के सम्बन्ध में जिक्र किया और माननीय मंत्री ने उत्तर में कुछ कमीशन का जिक्र किया । कमीशन की रिपोर्ट आने में तो ४, ५ साल लग जायेंगे और जो हाल बैंक के कर्मचारियों का हो रहा है एवार्ड और कमीशन के बीच में, वही हाल पिछड़ी जति वालों का न हो जाय । बैकवर्ड क्लास के बारे में एक रिपोर्ट सरकार ने छापी है, सब सदस्यों को वह मिली है, उस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट का मिश्रण कर दिया गया है जिसमें समझ में नहीं आता कि आया वह हरिजनों के लिये है या पिछड़ी जाति वालों के लिये है । इस लिये माननीय मंत्री कोई निश्चित योजना बनायें ताकि जो परस्पर अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है वह कम हो और हरिजनों का विश्वास हो सके कि उनको बढ़ाने के लिये वास्तव में कुछ किया जा रहा है और जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह रिफ्रेशर कोर्स खोले क्योंकि कंपटिशन से लोग नहीं आते हैं तो उनके लिये यह कह देना कि तुमको नहीं लिया जायगा उचित नहीं है । तो उनके लिये रिफ्रेशर कोर्स खोलें और उसके अनुसार उनको लिया जाना चाहिये, उनको ६ महीने के बाद ट्रेनिंग दे कर लिया जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत १५,१९,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—३९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान—लेखा शीर्षक ५७—विविध के अन्तर्गत ६,२०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं देखता हूं कि केवल ३५ मिनट रह गये हैं और अभी बहुत सी मांगे शेष हैं । तो जो टाइम टेबिल पर रखा गया था उसके अनुसार वह पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिये अब मैं उसमें कुछ परिवर्तन कर के चलता हूं कि पहले इधर से कटौती पर भाषण हो जाय और फिर सरकार की ओर से उसका उत्तर हो जाय, इसके पश्चात् प्रत्युत्तर हो जाय । तो जो अनुदान शेष हैं वे इस प्रकार समाप्त कर दिये जा सकते हैं । इस तरीके से अगर कार्य आरम्भ किया जाय तो यह समाप्त हो जायंगे । यदि समाप्त नहीं हुये तो ४—५० पर मैं विवाद समाप्त कर दूंगा और तब गिलोटिन शुरू कर दूंगा । पूरक अनुदानों के लिये मुझे यह अधिकार है कि मैं समय का निर्धारण कर के गिलोटिन का समय कम कर दूं । इसलिये मैंने १० मिनट का समय शेष अनुदानों पर केवल मतदान के लिये कर दिया है । विवाद बन्द होने के पश्चात् जितने अनुदान रह जायंगे मैं उन पर वोट ले लूंगा ।

अनुदान संख्या १९— लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०— लेखा शीर्षक ३९— जनस्वास्थ्य

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा-लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत २,१७,६०० रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४ —५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—जनस्वास्थ्य-लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ६५,४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय ।

*श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मैं एक रुपए की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि सरकार जिस तरह से अन्य विभागों में सही परिस्थिति से अनभिज्ञ रहती है उसी तरह से इस विभाग के बारे में भी सही परिस्थिति से अनभिज्ञ है क्योंकि सरकार प्रति वर्ष प्रान्त के सभी जिलों में कहीं न कहीं आयुर्वेद या एलोपैथिक औषधालय खोलती रहती है लेकिन उन अस्पतालों के खोलने के पहले वह जांच नहीं करती कि वहां पर अस्पताल की जरूरत है या नहीं । अक्सर ऐसा होता है कि वह औषधालय वहां पर खोल दिये जाते हैं कि जहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है । श्रीमन्, मुझे मालूम है और के समय बजट भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया था और उनको सुझाव भी दिया गया था जिला मैनपुरी में जो कि एक पिछड़ा हुआ जिला है उसके हिस्से तहसील जसराना में जहां की आबादी पौने दो लाख की है वहां पर एक ही सरकारी अस्पताल है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा अस्पताल तहसील के हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसकी आजकल शोचनीय अवस्था है। जसराना में एक, मदाना, उडेसर और खैरगढ़ आदि ऐसे स्थान हैं जहां की आबादी ७–७ हजारसे अधिक है। तहसीलों के हेडक्वार्टर पर जहां कि अस्पताल हैं ये स्थान १५–२० मील की दूरी पर हैं, वहां की जनता के लिये भी कोई अस्पताल नहीं हैं। यहां के लोग आये दिन मलेरिया और निमोनिया से पीड़ित होते हैं। मैं इस सुझाव को कि यहां पर भी अस्पताल बनाये जायं, फिर सरकार के सामने रखता हूं कि वे विचार करें।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जैसा माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह सरकार कुनबापरस्त है, फेवरिटिज्म करती है वैसा ही इस महकमे में भी देखने में आता है। अभी आयुर्वेदिक कालेज यूनिवर्सिटी से अलग करके इंडिपेंडेंट इन्तजाम सरकार की ओर से किया गया है। पहले कालेज के जो अध्यापक थे वे इसमें ले लिये गये हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि सबसे पुराने अध्यापक श्री सोमदेव शर्मा को इसमें नहीं लिया गया है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे अध्यापक को जो कनफर्म था और पहले का था उसको लेती।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला देना चाहता हूं कि अस्पतालों की दशा किसी से छिपी नहीं है। शहरों के अस्पतालों के बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा लेकिन गांवों के अस्पतालों में गरीब लोगों को दवा नहीं मिल पाती। दवा उन लोगों को ही मिलती है जो सफेदपोश होते हैं और डाक्टर साहब के पास कुर्सी पर विराज जाते हैं। गरीबों को दवा की जगह केवल पानी ही मिलता है। डाक्टर साहब कह देते हैं कि सरकार से दवायें ही नहीं मिलती हैं और उन दवाओं को प्राइवेट कस्टडी में रख कर वे कह देते हैं कि यदि सही इलाज कराना हो तो कुछ पैसा खर्च करो तो दवा मिल जायगी।

श्रीमन्, मैं आपके सामने एक चीज और रख दूं कि सरकार को यह शिकायत रहती है कि देहात में जो अस्पताल खोले जाते हैं उनके लिये डाक्टर नहीं मिलते हैं उसका कारण यह है कि सरकार सेलेक्शन के वक्त उन्हीं लोगों को लेती है जो शहर के वातावरण में पल होते हैं और उनका देहात से ताल्लुक नहीं होता इसलिये वे वहां नहीं टिक पाते। इसके लिये उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाना चाहिये जो देहात के वातावरण में पले हों। अगर आप इस तरह से कैंडीडेट्स का सेलेक्शन करेंगे तो आपको यह दिक्कत न होगी और लोग वहां टिक सकेंगे।

जो सरकार के सैनिटरी इंसपेक्टर्स हैं वे ठीक काम नहीं करते हैं। वे लोग हेड क्वार्टर पर पड़े रहते हैं, दो एक चालान कर देते हैं, इस प्रकार पैसा कमाने के सिवाय और उनका कोई काम नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ उन बातों को सुनकर जो इस सदन के सामने इस अनुदान के सिलसिले में कहीं गयीं। इनका कोई ताल्लुक इस अनुदान से न था। माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि जसराना में अभी कोई अस्पताल की स्थापना नहीं हुयी है। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रदेश के ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां अस्पतालों की आवश्यकता है परन्तु सरकार साधनों की कमी के कारण वहां अभी तक अस्पताल नहीं खुलवा पायी है लेकिन। उसकी यह कोशिश होती है कि वह प्रदेश के अधिक से अधिक स्थानों पर अस्पताल खोल सके, परन्तु रुपए की कमी के कारण वह उतनी संख्या में अस्पताल नहीं खोल सकी जितनी की आवश्यकता है।

उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जब नये अस्पताल खोले जाते हैं तो किसी से पूछा नहीं जाता है मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि अस्पताल अधिकांशतः उन्हीं स्थानों पर खोले गये हैं जहां जिला समिति ने अस्पताल खोलने की सिफारिश की और वहां की आवश्यकताओं के ऊपर जिलाधीश और समिति ने पूरी तरह पर विचार कर लिया। जसराना में उन्होंने एक अस्पताल की मांग की, वहां सरकार अगले वर्ष में अस्पताल खोलने का विचार कर सकती है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जहां तक आयुर्वेदिक कालेज का सम्बन्ध है उन्होंने सदन को बतलाया कि उसके द्वारा सरकार ने कुनबापरस्ती की लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि किस अवसर पर किसी प्रकार से सरकार ने कुनबापरस्ती की। सरकार ने आयुर्वेदिक कालेजों के लिये कुछ अध्यापकों की नियुक्ति के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी, जिस में इस विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर एक सदस्य के नाते बैठे थे। जो उन्होंने सिफारिशें कीं सरकार ने उन पर विचार किया। जो नियुक्ति आयुवदिक कालेज में होने वाली है, वह तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन सारे व्यक्तियों की अर्जियों पर, जो इस पद के सम्बन्ध में आयी हैं, विचार करेगा और जो सिफारिश पब्लिक सर्विस कमीशन की इस नियुक्ति के सम्बन्ध में आयेगी सरकार उनके ऊपर विचार करके नियुक्तियां करेगी। यह कहना गलत है कि अमुक व्यक्ति को नहीं लिया गया तो इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार को इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में अपने एक्सपर्ट्स से राय लेनी पड़ती है और उसी के अनुसार उसे काम करना पड़ता है। सरकार स्वयं तो सब विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखती है। जो एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं उस पर विचार करके वह काम करती है। श्री सोमदेव शर्मा, जिनके सम्बन्ध में अभी जिक्र किया गया है और जिनकी नियुक्ति इस आयुर्वेदिक अस्पताल में नहीं हुयी है, के विषय में उस कमेटी ने नियुक्ति के लिये सिफारिश नहीं की। मैंने स्वयं डाइरेक्टर महोदय और डिप्टी डाइरेक्टर तथा उस कालेज के प्रिंसिपल से बात की और उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति उस नियुक्ति के लायक नहीं है। मैं उनकी राय के बाद अपनी राय तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उन्होंने सारे व्यक्तियों का, जिन्होंने नियुक्ति के सम्बन्ध में अर्जियां दी थीं इंटरव्यू किया था और उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय दिया था। तो हम सहानुभूति शर्मा जी के साथ है और जब शर्मा जी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जायेंगे और यदि पब्लिक सर्विस कमीशन उनको मंजूर करेगा तो अवश्य सरकार उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करेगी।

वैसे कुछ आम शिकायतें भी अस्पताल के सम्बन्ध में की गयीं कि अस्पताल में डाक्टर ठीक से अपना काम नहीं करते हैं या वे अपने समय पर नहीं पहुंचते हैं, या दवा वगैरह जो मरीजों को मिलती है वह पानी के रूप में मिलती है। जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है इनकी अस्पतालों में कमी है और जो यहां चर्चा हुयी है उसमें कुछ तथ्य है। अब हमारे अस्पतालों में आकर इलाज कराने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पहले लोग इलाज कराने के लिये गांव से बाहर नहीं जाते थे लेकिन ज्यों-ज्यों उनका स्तर ऊंचा होता जाता है और देश में इतना जाग्रति होती जा रही है, लोग अधिक संख्या में अस्पतालों में जाने लगे हैं। आधुनिक विज्ञान ने इस बीच में ऐसी दवाइयां पैदा कर दी हैं, जिनके द्वारा शीघ्र ही इलाज किया जा सकता है और बीमारी दूर की जा सकती है इसलिये काफी संख्या में लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और वहां इलाज कराने की चेष्टा करते हैं। दवाइयों की बाबत जो शिकायत की गयी है उसके लिये मुझे दुःख है लेकिन उत्तरोत्तर चेष्टा की जा रही है कि जहां तक हो सके हम मेडिकल और हेल्थ के बजट में वृद्धि करें। शिकायतों को दूर करने की तरफ सरकार ध्यान देगी और जैसे-जैसे बजट में वृद्धि होती जायगी अस्पतालों की कमी भी पूरी होती जायगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो अनुदान मैंने उपस्थित किया है उसे वह वह स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत २,१७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जनस्वास्थ्य—लेखा शीर्षक ३९— जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत ६५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३- उद्योग तथा अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७-उद्योग -लेखा शीर्षक ४३- उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये को अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८-विविध व्यय-लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय के अन्तर्गत ३,६२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अवधशरण वर्मा (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उस पर एक रूपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। इसमें एक बड़ी मांग फलों के संरक्षण के बारे में की गई है और अधिकारियों के लिये मोटर आदि खरीदने के बात इसमें है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज कल हमारे देश में इन चीजों की जरूरत है और इन चीजों को व्यापार और उद्योग की दृष्टि से व्यापक बनाने की आवश्यकता है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उद्योग को जो नये ढंग पर चलाया जा रहा है उस का लाभ तमाम बड़े और धनी लोगों को हो रहा है और वह उसी से लाभ उठाते हैं। इसलिये छोटे पैमाने पर ही अगर उसका लाभ जनता को और छोटे लोगों को भी उठाने का मौका मिलना चाहिये और उसके लिये जितनी कोशिश सरकार कर सके वह कम है। खास तौर से चीनी के उद्योग को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जिस उद्योग ने सारे देश को एक तरह से, गन्ने के रेट को घटाने की वजह से और तरह-तरह की बीमारियां जो गन्ने में आ गई हैं.....

श्री हुकुम सिंह--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं कि जो चीनी के उद्योग की बात कही गयी है उसका इस सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। हमारा संबंध तो केवल गन्ने की सप्लाई और उसके दाम घटाने-बढ़ाने से है, चीनी के उद्योग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप का संबंध इसकी जड़ से है और उसी के बारे में वह कह रहे हैं।

श्री अवधशरण वर्मा--मैं गन्ने के उद्योग के सम्बन्ध में ही कह रहा था। हमें अपने इन उद्योगों को इस तरह से बढ़ाना चाहिये कि हमें विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिये मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इतना बड़ा उद्योग होते हुये भी हमें चीनी के लिये विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि फलों के संरक्षण आदि का व्यापक प्रचार हो और वह उस पैमाने पर किया जाय जिससे आम जनता को लाभ हो और वहां के लोग भी उससे लाभ उठा सकें। इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन चीजों को ध्यान में रख कर उद्योग को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे मित्र ने यह सुझाव दिया है कि इन उद्योगों के विकास को इस तरह से व्यापक बनाना चाहिये ताकि सूबे की आम जनता के घर तक उनकी पहुंच हो जाय। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। और हमारे विभाग की और मेरी भी हमेशा यह कोशिश रहती है कि हम छोटे छोटे उद्योगों को जहां तक हो सके व्यापक बनावें। और इस प्रयत्न में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। जहां तक चीनी का ताल्लुक है जैसा मैंने शुरू में कहा था कि चीनी उद्योग की नीति का वास्ता न तो इस सरकार से कुछ है और न मुझ से मगर

[श्री हुकुम सिंह]

हां अपने मित्र के संतोष के लिये बताना चाहता हूं कि गन्ने के विकास के लिये कहा जाय तो यह सरकार प्रयत्नशील है और उसके लिये योजनायें तैयार कर के उस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द एक कदम उठाने वाली है इस दिशा में ताकि गन्ने की ईल्ड और उसकी रिक्वरी काफी तादाद में हो और उसमें इजाफा हो और इस तरह से शकर की पैदावार भी में भी इजाफा होगा। मैं समझता हूं कि इसके बाद हमारे मित्र को भी संतोष हो गया होगा कि यहां जो कुछ होना चाहिये वह इस विभाग की तरफ से हो रहा है।

श्री अवध शरण वर्मा---अब मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७---उद्योग-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८- लेखा शीर्षक ५७- विविध व्यय के अन्तर्गत ३,६२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब केवल २ ही मिनट रह गये हैं और इसके पेश करने का कोई अर्थ नहीं रहता है इसलिये बाकी मांगों पर मैं राय लिये लेता हूं।

अनुदान संख्या २५- लेखा शीर्षक ४१--- और ८१-क- विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--- लेखा शीर्षक ४१ और ८१---क---विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०- लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य- निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं- लेखा शीर्षक ५०--- नागरिक निर्माण कार्यनिर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ५०- नागरिक निर्माण कार्य-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)---लेखा शीर्षक ५०---नागरिक

निर्माण कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १३,०९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२--- लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१- राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२-- सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय--- लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य और ८१-- राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी के लेखा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--- लेखा शीर्षक ५०--- नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान - लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत २०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--- लेखा शीर्षक ८१- राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत --- लेखा शीर्षक ८१- राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखा के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ८१- क- विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६-- विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर) - लेखा शीर्षक ८१- क- के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०-लेखा शीर्षक-द-व्याज वाले ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०-व्याज वाले ऋण और अग्रऋण-लेखा शीर्षक -द---राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ४९,७२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपा कर के विनियोग विधेयक की प्रतियां बांट दीजिये।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रताप गढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज कासदन तब तक बैठा रहेगा जब तक कि यह अप्रोप्रियेशन बिल पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक निवेदन मैं यह करूंगा कि इसकी क्या आवश्यकता है कि यह अप्रोप्रिएशन बिल हम आज ही पास कर दें ? और चंकि श्रीमन्, इसमें संशोधन भी हमारा है हम चाहेंगे कि अच्छी तरह से हम उसके बारे में आप की सेवा में विनम्र निवेदन करें। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई ३१ मार्च की अवधि खत्म हो नहीं रही है और श्रीमन् और भी आप देखें कि कि यह बजट कब हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और किस तरह उस पर विचार हुआ। इसलिये कल हम उस पर अच्छी तरह से विचार करें गौर कल इसे पास करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक विषेश तथ्य की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के आडिटर और कंट्रोलर जनरल महोदय ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का एड्रेस करते हुए विशेष रूप से यह प्रार्थना सदन के सदस्यों से की थी कि वह एप्रोप्रियेशन बिल का एक फार्मेलिटी न बनायें। उनको शिकायत थी कि भारत के समस्त सदनों में विनियोग विधेयक को एक फार्मेलिटी के तरीके से पास कर दिया जाता है। इसलिए श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि विनियोग विधेयक को फार्मेलिटी की तरह पास कर दिया जाय ऐसा न हो कर एक वित्तीय दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिल होने के नाते हम इस पर जरा विशेष विचार करें तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जनाब वाला मुझे नहीं मालून कि आडिटर जनरल साहब ने क्या फरमाया लेकिन यह मुझको मालूम है कि इस भारत के लेजिस्लेचर्स में और बिलखसूस पार्लियामेंट में यह विधेयक किस तरह से पास होता है। वहां पर कोई डिस्कशन इस पर नहीं होता और हय विधेयक पास हो जाता है। जहां तक हमारा ताल्लुक है यह तमाम मेम्मबरों को इस सदन के मालूम हैं कि शुरू से जबसे प्रोग्राम पेश किया गया था उस वक्त से यह बात दिखलाई गई। प्रोग्राम में यह था कि सप्लीमेंट्री डिमांड पर जब वोटिंग खत्म होगा उसके बाद यह विधेयक पेश हो जायगा और यहां से पास होने के बाद चैम्बर में पहुंचेगा और वहां पर डिस्कशन की तारीख मुकर्र है और उस रॉज के लिये और कोई काम उस सदन को नहीं है इस लिये मैं तो जरूरी समझता हूं कि इन तमाम अंडरस्टेंडिंग के मुताबिक जो अब तक रहीं हैं और जो प्रोग्राम आगे के लिये रखा गया है उसको डिस्टर्ब किये बगैर हमें आज इस विधेयक को पास कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--ऐसी अवस्था में प्रथा अभी तक यही रही है। अगर कोई परिवर्तन प्रथा में करना है तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। किसी चली आई प्रथा के परवर्तन करने के लिये अध्यक्ष को कुछ समय दिया जाय कि उस पर वह विचार कर ले। बाई सरप्राइज अध्यक्ष से इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर फैसला नहीं लेना चाहिये। मैं तो वही प्रथा चलाऊंगा जो चालू रही हो और अगर आगे के लिये माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस विधेयक के संबंध में केवल फारमेलिटी न रहे तो वह मुझे से चरचा कर लें और आगे के लिये विचार कर लिया जायगा और उचित होगा तो उनका सुझाव स्वीकार किया जायगा और नहीं तो यही

तरीका कायम रहेगा। जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही होगा। लेकिन जो तत्काल कार्यक्रम में रखा है उसी के अनुसार कार्य करना मैं स्वीकार करता हूं और यह प्रथा के अनुसार भी है। इसलिये आज ही यह विधेयक ले लिया जायगा।

अब आपकी यह तो राय हो चुकी है कि यह सदन तब तक बैठेगा जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय। मैंने राय नहीं ली है लेकिन मैं अन्दाज से समझता हूं कि सबकी यही राय है ?

श्री राजनारायण––श्रीमन्, जब वह हठ कर रहे हैं तो यही है कि मैं उनकी हठ-वादिता के सामने झुकूंगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––अध्यक्ष महोदय मैं १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का प्रथम पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––मेरे पास अनुमति आ चुकी है, आप कृपा करके कह दें कि राज्यपाल की अनुमति से आप उसे पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मैं राज्यपाल की सिफारिश से १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मेरा एक संशोधन है और वह हमने आपके पास भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि अभी तो वह इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने के लिये अनुमति चाहते हैं ; मैं समझता हूं कि सब इसको स्वीकार करते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम––जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३८५–३८८ पर ।)

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम––जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

इसके मुताल्लिक मुझे अर्ज करने की जरूरत इसलिये नहीं है कि कल से और आज इस वक्त तक इन चीजों के ऊपर बहस होती रही है वही सब रकमें वही सब इसमें लिखी हुई है और उन्हीं को खर्च करने की इजाजत इस बिल के जरिये मांगी जाती है। इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। सब चीजों के मुताल्लिक काफी बहस हो चकी। मैं जरूरत नहीं समझता हूं कि कोई वक्त हाउस का लूं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, अभी तो जनरल डिस्कशन से पहले इस पर हमारा एक संशोधन है। उसके बाद ही जनरल डिस्कशन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष––पहले तो सामान्य विवाद के लिये यह उपस्थित है कि विचार किया जाय। उस पर आप बोलिये।

श्री राजनारायण––समय बचाने के लिये मैं कह रहा था श्रीमन्, सामान्य विवाद माननीय वित्तमंत्री जी को जैसा मालूम है, इसमें होना बड़ा आवश्यक है। इसलिये हमने पहले ही अर्ज किया। मैं कोशिश करूंगा कि हिन्दी को उर्दू का रूप दूं, लेकिन उर्दू की जानकारी मेरी कम है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आज इस पर माननीय वित्तमंत्री जोर न दें और कल उसको इस सदन में रखा जाय और अच्छी तरह से इस पर वाद-विवाद हो।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन् सन् १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ का विनियोग लेखा एप्रोप्रिएशन अकाउट जो है वह सदन में आया ही नहीं और सदन को इसके लिये तनिक भी जानकारी नहीं है कि जो हमने पहले अकाउन्ट सरकार के हाथ में सुपुर्द कर दिये थे उसको सरकार ने किस तरीके से खर्च किया। उसमें कितनी खामी, कितनी कमी थी, कितना उसका नाजायज इस्तेमाल हुआ था, जिन-जिन हेड्स को रुपया दिया था उन्होंने उसको कितने समय में खर्च किया कितना रुपया साल में खर्च हुआ और कितना अन्त तक नहीं खर्च हो पाया, इन तमाम बातों पर सदन में रोशनी पड़ने की आवश्यकता थी। पर इन पर रोशनी नहीं डाली गयी और माननीय वित्त मंत्री पुनः एक सप्लीमेंटरी बजट लाये और उसके लिये अप्रोप्रिएशन बिल भी ला दिये और चाहते हैं कि वह रुपया उनको सदन खर्च करने की इजाजत दे। तो मैं इस समय यह चाहूंगा कि जिस ढंग पर माननीय वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल को विचार करने के लिये रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--इसी भाषण में आप अपने मनोनीत संशोधन का जिक्र कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--इसलिये माननीय वित्त मंत्री को अवश्य विचार करना चाहिये। श्रीमन्, मैंने अपना एक संशोधन प्रस्तुत किया है और वह संशोधन हमारा यह है कि खंड २ के अन्त में नीचे लिखे हुये हिस्से जोड़ दिये जायं--आपकी जानकारी के लिये उसकी उर्दू किये दे रहा हूं। आप हिन्दी में ठीक से समझ नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष--यह आप मानकर न चलिये कि वह समझते नहीं है।

श्री राजनारायण--वह नाटक तो ऐसा ही करते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या कोई माननीय सदस्य सदन की भाषा हिन्दी होते हुये यहां पर किसी दूसरी भाषा का अनुवाद रख सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--मैं इसका फैसला कर चुका हूं। आपके कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण--खैर, जिस तरह से माननीय मंत्री के व्हिप की मनोवृत्ति है उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। माननीय सम्पूर्णानन्द ने बड़ा लम्बा सवाल कर दिया।

श्री अध्यक्ष--आप सवाल का जवाब न दीजिये, भाषण जारी रखिये।

श्री राजनारायण--मेरा संशोधन यह है कि खंड २ के अन्त में निम्नांकित अंश जोड़ दिये जायं--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कम से कम सन् १९५१-५२ व १९५२-५३ के विनियोग लेखे (अप्रोप्रिएशन अकाउन्ट) सदन में प्रस्तुत न हों तब तक कुछ भी रकम खर्च न की जाय।"

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री भी और इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे कि हमारा यह संशोधन.....

श्री अध्यक्ष--संशोधन पर न बोलिये वह तो मैंने इत्तला के लिये कहा था कि आप उसकी सदन को सूचना दे दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बिल हमारे सामने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह इसलिये कि जो भी रुपया यह सदन पास करता है खर्च करने के लिये उसके कुछ न कुछ आंकड़े साल के अन्त में हमारे पास होने ही चाहिये। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने अभी कहा कि हमारे सामने

एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स सन् १९५०-५१ और सन् १९५१-५२ के आंकड़े तो कम से कम आ ही जाने चाहिये। कल माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यह तो आडिटर ऐंड कम्पट्रोलर जनरल आफ इंडिया का काम है, वह जब पास करे तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ हद तक उनसे सहमत हूं कि यह काम आडिटर ऐंड कम्पट्रोलर जनरल का है कि वह एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स तैयार करके माननीय राज्यपाल को भेजता है और फिर राज्यपाल की ओर से इस सदन के सामने रखे जाते हैं और फिर सदन की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी विचार करती है। पर हम यह जानना चाहते हैं वित्त मंत्री जी से कि आडिटर ऐंड कम्पट्रोलर जनरल को क्या उन्होंने कभी कोई पत्र लिखा कि एकाउन्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी देर तो इसलिये होती है कि हमारे जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कम्पट्रोलर के आब्जेक्शन्स के जवाब जल्दी नहीं पहुंचते हैं और अडिटर ने इस बात की शिकायत की है और यही कारण है कि एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट को तैयार करने में देर लगती है। हिदायतें हर डिपार्टमेंट को भेजी गयीं कि ए० जी० के जो आब्जेक्शन्स आयें उनका फौरन जवाब डिपार्टमेंटल हेड्स दें लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जवाब माननीय वित्त मंत्री जी देते शायद मैं वही दे रहा हूं क्योंकि उनसे मैं यह नहीं सुनना चाहता हूं कि यह उनके बस की बात नहीं है आडिटर जनरल के बस की बात है। अगर हम सचमुच डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था करनी ही चाहिये। मुझे दुख हुआ जब कल माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यहां कहा कि विलायत की पार्लियामेंट के अन्दर सन् १९५०-५१ का एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट अभी तक पेश नहीं हुआ। मुझे बड़ी परेशानी हुई और मैंने कई किताबें देखीं और श्रीमन् मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कि सन् ५०-५१ और ५२-५३ तक के एकाउन्ट्स वहां डिसकस हो चुके हैं। कल वह एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि जैसे हम लोग फिनैन्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि एक समय आयेगा जब कि माननीय परिपूर्णानन्द जी जो स्टैटिस्टिक्स हाउस के सामने रखते हैं, मैं उनको चैलेंज कर दूंगा। अमरीका की किताबों की वह बात करते हैं। हमें अमरीका का क्या पता। हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। एक दिन वह बताते थे कि वेदिंग रेडियो ने ९ बजे ऐसा कहा। अध्यक्ष महोदय, यहां का फैसला होना चाहिये कि कितना रुपया बचा है। माननीय वित्त मंत्री करोड़ों रुपये मांगते हैं और हम देते हैं लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि दो लाख रुपये मंजूर हुए एक सड़क के लिये और खर्च हुए कुल १० हजार। इसी तरह से एक और मद में ८ लाख में से कुल ३० ही हजार खर्च हुये। क्या माननीय मंत्री जी सजा दे रहे हैं, उन्हें जिन्होंने खर्च नहीं किया? यह सदन रुपया पास करता है उसी पर हमारी सारी टैक्सेशन पालिसी निर्भर करती है। जब ८२ करोड़ का बजट बना और ८४ करोड़ का खर्च है तो टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से यह दो करोड़ रुपया पूरा किया जाय। अगर सरकारी विभाग रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं तो फिर ८२ और ८४ करोड़ का बजट बनाने की आवश्यकता ही क्या। इसलिये डेमोक्रेसी के अन्दर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की महत्ता बहुत बड़ी है। हमने माननीय वित्त मंत्री जी से कह दिया कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का चुनाव तो कराइये, उसको छोड़िये, । कुछ चिट्ठी लिखिये। हमारी कमेटी लिख सकती है, मैं लिख सकता हूं, आडिटर जनरल को लिख सकते हैं कि ऐप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स आ जाने चाहिये। हाल ही में हल्द्वानी में मुझे चन्दा साहब जो कि काम्पट्रोलर जनरल हैं उनसे ऐप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स के सिलसिले में बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अगर आपको गवर्नमेंट हमें लिखे तो जो कुछ भी हम आपके सामने भेजेंगे। मैं इसकी महत्ता को समझते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें और जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का महत्व है उसको समझते हुए उसकी इज्जत करें।

श्री अध्यक्ष--मैं इत्तला के लिये यह बताना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के विरोध में नहीं हूं, समर्थन में हूं। साथ ही साथ बहुत सी बातें हैं जो कि माननीय मदन मोहन जी ने कहां है उनकी तरफ मैं अवश्य माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का प्रश्न है मुझे जहां तक पता है बहुत दिनों से उसकी मीटिंग भी नहीं हुई है और साथ ही साथ अगर यह सरकार थोड़ी भी सतर्क होती तो जो आंकड़े माननीय राजनारायण जी चाहते थे वह आज सदन के सामने प्रस्तुत हो जाते। श्रीमन्, जहां तक माननीय राजनारायण के संशोधन का प्रश्न है मैं उसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि उनके लिये और भी अनेक मार्ग हैं। वैधानिक आपत्ति तो मैं नहीं उठाता लेकिन यदि वह संशोधन माना ही जाय तो वह उस पूरी चीज को ही निगेटिव बना देता है। श्रीमन्, जब तक वह आंकड़े न आ जायं उसके लिये नहीं कहा जा सकता कि उसको रोक दिया जाय। यह सदन चाहे तो इसको पारित न करे परन्तु अगर उन्होंने केवल विरोध ही किया होता तो अधिक अच्छा था। इस संशोधन को वह कहां तक उचित समझते हैं मैं यह उन पर छोड़ देता हूं। श्रीमन्, यह जो आर्थिक प्रश्न है उस पर मुझे अवश्य कहना है कि माननीय मंत्री महोदय जो कि अनुभवी हैं, साथ ही उनको इस बात का तजुर्बा आज से नहीं ३६ से है कि किस तरह से वह अपने फर्जों को अदा करते आये हैं और किस तरह से आज वह इस सदन में अपना फर्ज अदा करें। श्रीमन्, इसलिये कि उनको दिक्कत न हो, और इस तरफ भी किसी तरह का विरोध न हो मैं उनसे इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जो अकाउन्ट्स है या आडिटर जनरल या काम्पट्रोलर जनरल से जो संबंधित रिपोर्ट है उनको मंगवाने में वह अगर थोड़ा सा प्रयास कर दें तो कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती कि वह न आ सकें। रहा यह कि माननीय परिपूर्णानन्द जी आपत्ति कर रहे थे, जहां तक उनकी आपत्ति का प्रश्न है उसमें सार है, यह अवश्य है कि बहुत सी बातें वह ऐसी कहते हैं कि इधर के बैठने वालों को अरुचिकर प्रतीत हों लेकिन उसमें कुछ सार तो रहता ही है। कुछ बढावा चढ़ावा के लिये वह क्षम्य भी हैं। श्रीमन्, जब मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं तो आज हमें विधेयक के ऊपर कुछ भी कहना हो, जो हमें उसमें असंतोष या क्षोभ हो, हम कहें परन्तु जो कुछ उससे मांगा गया है मैं समझता हूं उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिसको सदन ठुकरा दे। माननीय मंत्री महोदय, यह अवश्य है कि गिलोटीन के कारण बहुत चीजों पर प्रकाश नहीं डाल सके और मैं यह पूरे मंत्रिमंडल से अनुरोध करूंगा कि उनका लक्ष्य जिलों में जाकर कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। श्रीमन्, मैं केवल उदाहरणार्थ एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले में फैजाबाद में स्वशासन मंत्री गये और वह जाकर अपने अधिकार क्षेत्र में एक आज्ञा जिलाधीश को देते हैं परन्तु दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री उसमें हस्तक्षेप करते हैं और टेलीफोन द्वारा जिलाधीश को आदेश देते हैं कि उस आदेश का पालन न करें।

श्रीमन्, मानी यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुताल्लिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से यह हुक्म गया लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने टेलीफोन से जिलाधीशों को दूसरा हुक्म दिया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो हुक्म गया है वह अमल में न आना चाहिये और लोगों पर जाहिर न होने पाये लेकिन मजबूरी यह थी वह पहले ही जाहिर हो चुका था? मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे भी मुहकमे हों जिनमें माननीय मुख्य मंत्री उतनी दस्तंदाजी न करते हों लेकिन बहुतों में करते भी हैं। जो आप रुपया जिलाधीशों को खर्च करने के लिये दे देते हैं, मुझे अधिक तो कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर वे उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं तो किस प्रकार से आप उसका सदुपयोग चाहते हैं वह भी नहीं हो पाता है। रुपया पड़ा हुआ है अगर तकावी ऐक्ट और अगर तकावी रूल्स में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय तो वे दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। मैं मानता हूं कि ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी केबिनेट की है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री का इस कदर हस्तक्षेप करना अनुचित है, आपका भी तो कोई स्थान है, इसे उनको न भूलना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)––माननीय, मुझे क्षमा कीजिये यदि मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करूं कि इंटेलेक्चुअल आनेस्टी नाम की कोई चीज होती है तो किसी पढ़े लिखे आदमी को शोभा नहीं देता कि इस सदन के सम्मुख इतनी गलत बातें कहना शुरू करे जिनका न कोई सर हो न पैर। मैंने श्रीमन्, इस सदन के सम्मुख कल इस प्रदेश की सरकार का सप्लीमेंटरी बजट और उसके भीतर से निकाले हुए आंकड़े पेश किये थे और किसमें इतनी हिम्मत और साहस है या कोई इतना पढ़ा लिखा होने का दावा करता है जो यह बतला सके कि उनमें से कोई भी आंकड़ा गलत है। बार-बार ऐसी बातें कही जाती है कि परिपूर्णानन्द जो आंकड़े पेश कहते हैं, वे गलत हैं। कोई भी सदस्य हिम्मत करके साबित करे कि उनमें से कोई भी आंकड़ा जो मैंने यहां पेश किया वह गलत है तो मैं मान लेता कि मैं सदन के सम्मुख गलतबयानी करने का दोषी हूं। जब एप्रोप्रियेशन बिल पेश होता है तो अमेरिका और इंग्लैन्ड के फीगर्स पेश नहीं किये जाते। जो लोग रूस और चीन के फीगर्स पेश करने के आदी हो गये हैं उनके सामने अगर अमेरिका और आस्ट्रेलिया के फिगर्स पेश कर दिये जायं तो कौन सा गुनाह हो गया। आपने सब भाषणों को सुना और आपने यह भी देखा होगा कि मैंने ही वास्तव में जितना सप्लीमेंटरी बजट पर बोलना चाहिये का उतना आपकी सेवा में अर्ज किया था और किसी ने मेरे दिये आंकड़ों को उलटने की हिम्मत न की। लेकिन जब एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ उस वक्त एप्रोप्रिएशन बिल पर किस तरह का विवाद हो रहा है, उसे देख कर आश्चर्य होता है। आपने स्वयं एक परिपाटी का जिक्र किया था, पार्लियामेंट में भी एप्रोप्रियेशन बिल पेश होता रहा है, और प्रदेशों में भी पेश होता रहा है, जहां समाजवादी सरकार है वहां भी पेश होता रहा है, मैं नहीं जानता कि कहां तक इस तरह से एप्रोप्रियेशन बिल पर विवाद होता है चाहे जो नया प्रजातंत्र हमारे राजनारायण जी की बुद्धि में घेरा डाले हो लेकिन किस प्रजातंत्र में ऐसा संशोधन पेश किया जा सकता है, यह मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष––अभी संशोधन पेश नहीं किया है, उसके बारे में राय नहीं दी जा सकती। मैं यदि राय दूंगा तब वह पेश हो सकेगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा––एक भी बात मैंने कल इंग्लैन्ड के आंकड़ों के बारे में नहीं कही। मैं नहीं जानता कि कौन से आंकड़े किस लायब्रेरी में जा कर उपाध्याय जी ने देखे, मैं भी वहां का सदस्य हूं। मैंने हंग हेंड के जिस प्रकाशन का जिक्र किया है वह एक नीली सी किताब है, दो वाल्यूम होते हैं, पूरा ब्यौरा उस किताब में छपता है और मैंने यह कहा था कि पूरे आंकड़ों के साथ तीन, चार साल में ही प्रकाशित होती है। इंटरनेशनल ईयर बुक जो निकलती है उसमें उपाध्यान जी देखें कि उसमें ५१-५२ का ही आंकड़ा मिलेगा। यह चीजें जरा उनके समझने की होती हैं। यदि किसी आदमी की गलती साबित करना हो तो उसके पहले कुछ सीखने की जरूरत होती है। मैं इस सदन की मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहता हूं और हवाई बातें भी करना चाहता हूं। मैं इस बात को अनुचित समझता हूं कि यदि गंभीरता पूर्वक कोई बात यहां पर कही जाय तो उसको आसानी से उडा दिया जाय। मैं इस अप्रोप्रियेशन बिल को सामने रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझता हूं कि हम लोग इस प्रकार का वादविवाद इसके संबंध में इस सदन की सेवा में उपस्थित करें।

श्री शिवनारायण––श्रीमन्, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से एक निवेदन कराना चाहता हूं। इसमें जो हमने ६ लाख २० हजार रुपया मांगा गया है वह हरिजन और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये खर्च करने के लिये दिया गया है। मैं सरकार को यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे हरिजन विद्यार्थी जो आज स्कूलों में पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति कम मिलती है। यदि वह रुपया उनको दे दिया जाय तो अति उत्तम होगा। उनके लिये पुस्तक का प्रबन्ध भी नहीं होता है उसमें कुछ देरी हो जाती है। तो उसके लिये भी वह रुपया दिया जाय अच्छा होगा। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि जैसा हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि देश के अन्दर इस किस्म का प्रकार नहीं होना चाहिये कि जिसकी वजह

[श्री शिवनारायण]

से दूसरे स्थानों पर भी उसका असर हो, हर आदमी को सजग रहना चाहिये। आप जानते हैं कि नैपाल में नाना प्रकार से प्रचार हो रहे हैं। हमारी भारत सरकार उसके लिये काफी सजग है। वहां पर अमेरिका की ओर से भी प्रचार हो रहा है और विरोधी दल भी वहां पर काम कर रहा है, सोशलिस्ट भी काम कर रहे हैं और कम्युनिस्ट भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सोशलिस्ट भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप तो हिन्दुस्तान के लायल हैं। आप लोग उस दिन को भूल गये कि कितनी मुसीबतों के बाद इस देश को स्वतंत्रता मिली है। हम लोग अगर लड़ना ही चाहते हैं तो अपने घर में लड़ें लेकिन देश में किसी प्रकार का उपद्रव न पैदा किया जाय नहीं तो दुश्मन लोग हमसे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ कहना हो वह घर में ही कहें, यह हम लोग मानते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे विदेशी ताकत को लाभ पहुंचे। मैं विरोध भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई हिसाब की बात है तो उसको ठीक किया जायगा और इसका ख्याल भी रखा जाता है लेकिन व्यर्थ में नुक्ताचीनी करना उचित नहीं है। मैं राजनारायण जी से पुनः निवेदन करूंगा कि हर जगह पर संशोधन देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपकी बातों को समझते हैं। मैं आपकी इजाजत से सब माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रांत शिक्षा में तत्पर रहे और बराबर हमारे यहां उन्नति होती रहे इसी में हमारा भला है और इसी में हमारा सहयोग भी बराबर रहेगा?

श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बहुत दिनों से बराबर विरोधी दल के नेता का यह भाषण सुनने का आदी हो गया हूं कि वह बारबार जनतांत्रिक प्रणाली की यहां पर दुहाई दिया करते हैं। हम लोगों को भी शिक्षा दिया करते हैं और हम लोगों को यह शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं कि हम लोग जनतांत्रिक प्रणाली की प्रथा पर चलने का प्रयत्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह संशोधन पेश किया गया उसको देखकर, पढ़कर और राजनारायण जी ने जो भाषण दिया उसको सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जब यह विधेयक यहां पर पेश किया गया तो उन्होंने उस में अपना एक संशोधन पेश किया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस विधेयक में इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित किये जा सकते हैं। बजट संबंधी जितना विवाद होता है वह तो उसी समय होता है जब कि बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है चाहे वह पूरक हो या वार्षिक हो। उस समय जो कुछ कहना होता है उसी पर कहा जाता है और उसी पर विवाद होता है। यह विधेयक जिस समय पेश किया जाता है उसको बिना किसी विवाद के पास किया जाता है और बिना विवाद के पास करना चाहिये। लेकिन उस फारमेलिटी को बरतते हुए उसमें विरोध तो कर सकते हैं और उस विरोध को हम समझ भी सकते है लेकिन विरोध न करते हुए इस प्रकार का संशोधन पेश करना मैं यह समझता हूं कि यह जनतांत्रिक प्रणाली के, जिसकी वह यहां बराबर दुहाई दिया करते हैं, विरुद्ध है। मैं आशा करूंगा और माननीय राजनारायण जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे जनतंत्र प्रणाली को स्थापित करने के लिये उसको ठीक तरह से चलाने के लिये और मुल्कों में जिस प्रकार होता है उसका अनुकरण करें। उसके लिये हमें ऐसी प्रथा कायम करनी चाहिये कि जिससे वह एक मखौल सिद्ध न हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब वाला, मैं कोई कड़वाहट पैदा नहीं करना चाहता और जो बातें यहां पर कहीं गयीं उनका जवाब देना भी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है मगर मैं भाइयों की इत्तला के लिए एक बात बतला देता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी जो इस साल के लिये इस सदन ने बनाई है उसके प्रेसीडेंट का चुनाव अभी तक इसलिये नहीं किया गया था कि कमेटी को बुलाकर उसके काम सुपुर्द करने के वास्ते कोई मेटीरियल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं था और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जहां से वह आते हैं वहां से वह नहीं आये। शायद यह कल सुना नहीं गया कि मैंने यह भी कहा था कि हमने उनको लिखा था, तकाजा भी किया था लेकिन उनकी भी अपनी मुश्किलात होती हैं जिनकी वजह से इस तरह की देर हुआ करती है। मैं उनको किसी तरह का दोष दिये बगैर इस बात को कहन चाहता हूं कि हम इस कमेटी के सामने मैटीरियल को पेश नहीं कर सके। अभी तक हमने उसका इंतजार किया क्योंकि हमको अभी तक यह बात ठीक तरह से महसूस नहीं हुई थी कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का प्रेसीडेंट अपोजीशन में से हुआ करता है इसलिये इस बात का उनको अंदेशा उसके दिल में हो सकता है कि अभी तक प्रेसीडेंट का चुनाव क्यों नहीं हुआ लेकिन दो तीन दिन हुए मैंने डिपार्टमेंट को यह कह दिया है कि उन कागजात का इन्तजार किये बगैर ही पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के प्रेसीडेंट का चुनाव करा दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बात उन सब बातों का जवाब है जो यहां कही गयीं।

मैं क्या कहूं। मैंने जानकर इस बात को छोड़ दिया था कि लेप्सेज हुए अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे लेप्सेज क्या हैं गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के अन्दर किसी कमेटी के डिसपोजल पर कोई रुपया रखती है। मिसाल के तौर पर मान लिया कि अल्मोड़ा की प्लानिंग कमेटी के डिसपोजल पर ५० हजार रुपया रक्खा गया, रक्खा गया या न रक्खा गया मैं फर्जी मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, अब उसने साल भर में उस ५० हजार रुपये के बजाय ३० हजार रुपया ही खर्च किया तो क्या लेप्स गवर्नमेंट का कहा जा सकता है। (श्री मदन मोहन उपाध्याय के यह कहने पर कि और किसका कहा जा सकता है) बस अब मालूम हो गया कि हकीकत इस एतराज की क्या है अब मैं इसके आगे जाने की जरूरत नहीं समझता। मैं इसे कोई लैप्स नहीं मानता। मैं ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इसको अपना लैप्स नहीं मानती। इस लैप्स की बात पहले भी उठायी गयी लेकिन मैंने इस मामले पर बात करना या उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा।

कुछ बातें मैंने अपने भाई श्री अवधेश प्रताप सिंह से सुनी लेकिन बात सिर्फ यह है कि मैंने अभी उसको समझा ही नहीं। "दैट मे बी ए न्यूज फार मी' मेरे लिये यह एक नयी बात होगी, मेरे इल्म में वह चीज नहीं है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे अलग से मुझको समझा दें और वाकये को बतला दें तो उसके मुताल्लिक जो कुछ भी बात होगी वह मैं कर दूंगा।

अब इसमें एक अमेंडमेंट पेश हुआ उस अमेंडमेंट का मकसद जो कुछ है वह तो जाहिर ही है उसके मुताल्लिक मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं जरा सा अर्ज करना चाहता हूं मैंने अपने दोस्तों को उस वक्त नहीं रोका और कोई एतराज नहीं उठाया लेकन जो भी अमेंडमेंट हो जो अमेंडमेंट किसी बिल के बाकी में करना हो तो वह उस वक्त तक पेश नहीं हो सकता जब तकउस पर विचार करने का मोशन पास न हो जाय। मैंने तो सिर्फ विचार करने के लिये मोशन उपस्थित किया था और वह सिर्फ यह था कि इस बिल के ऊपर विचार किया जाय लेकिन यहां पर उसके ऊपर बहस भी हो गयी। आपकी भी तकरीर हो गई, आपकी भी तकरीर हो गयी, एक शख्स ने विरोध किया तो एक ने उसकी ताईद में तकरीर कर दी। अमेंडमेंट का वक्त तो आयेगा बाद में लेकिन बहस पहले ही हो गयी तो अब तो बहस में जो कुछ कहना था वह तो बहस के जरिये कह ही दिया गया अब तो बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं जनाब के जरिये अर्ज करूं कि मेरा मकसद यह नहीं था कि आपका कहना न मानूं या आपके इरशाद या आपकी ख्वाहिश को ठुकरा दूं, कतई ऐसी कोई बात नहीं थी न गवर्नमेंड ही चाहती है और न मैं ही ऐसा चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि जहां तक मुमकिन हो सके माकूलियत के साथ आपके हुक्म की तामील करें और उनकी तामील करने के लिये हमेशा तैयार हैं और जो बात

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मानने की हो उसे माकूलियत के साथ मान लेनी चाहिये । अगर मैंने आपके किसी इरशाद को नहीं माना तो वह इस वजह से कि जो भी प्रोग्राम हाउस का है वह सब बदल जाता और अब हाउस खतम होने का वक्त आ रहा है, इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि आज भी इसको खतम कर दें। जहां तक तामील इरशाद की बात है अगर उसके न करने से आपका दिल दुखा हो तो मैं उसकी सफाई कर देना चाहता हूं और उसके ऊपर हाथ फेर देना चाहता हूं ताकि आपको आराम महसूस हो। इन अल्फाज के साथ मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ के प्रथम पूरक) विधेयक, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--मैंने विरोधी दल के माननीय नेता जी से पहिले ही कहा था कि दोनों ही बातों का यानी विधेयक के विरोध के बारे में तथा संशोधन के बारे में सामान्य विवाद में एक साथ ही जिक्र कर दें जिसमें सदन का समय बच जाय। विनियोग विधेयक में जो अनुपूरक बजट की सारी बातें आ ही गयी हैं उनके संशोधन की वैधानिकता के बारे में बाद में विचार करना था इसलिये मैंने उन्हें पहले ही से आगाह कर दिया कि वे सामान्य विवाद में अपने संशोधन का जिक्र कर दें क्योंकि यह संभव था कि खंडों के विचार के अवसर पर मैं उनके संशोधन को अवैध करार दूं और वे उसे उपस्थित भी न कर सकें या उसका जिक्र भी न हो सके ।

अब विचार करने के पश्चात् उनके इस संशोधन को मैं अवैधानिक करार देता हूं। इस संशोधन के जो शब्द हैं उनसे अर्थ यह निकलता है कि जब तक १९५१-५२ और ५२-५३ का विनियोग लेखा सदन में प्रस्तुत न हो जाय तब तक कुछ भी रकम न खर्च की जाय। इस तरह स वह पूरे विधेयक का विरोध करता है, यह एक खंड का संशोधन नहीं है इसलिये कि ...

श्री राजनारायण--मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन .....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं। मैं फैसला दे चुका हूं और अब उसके कारण बता रहा हूं कि कोई संशोधन इस तरह का जो पूरे विधेयक को "नेगेटिव" करता हो उसको संशोधन नहीं कहते बल्कि उसको विरोध कहते हैं और अब विरोध सामान्य विवाद के साथ समाप्त हो चुका है। माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने विधेयक पर विचार करने का स्पष्ट विरोध किया था और सदन उस पर विचार करने की राय दे दी । विरोध की शक्ल यही हो सकती है कि अगर कोई विधेयक नापसन्द हो तो उस पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध किया जाय यही पूरे विधेयक के विरोध की शक्ल है। तीसरे वाचन में भी इसी तरह की शक्ल हो सकती है लेकिन जहां तक संशोधन का सवाल है कांस्टीट्यूशन में विनियोग विधेयक के बारे में यह दिया है कि कोई संशोधन कैसा नहीं होना चाहिये। इस संबंध में धारा २०४ (२) इस प्रकार है :

"204(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final."

तो इसका मतलब यह है कि किसी संशोधन द्वारा विधेयक में अनूसूचित कोई भी रकम किसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी है उसका डेस्टीनेशन आल्टर या वेरी नहीं किया जा सकता है और ऐसा भी संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता जिससे कोई रकम बढाई या घटाई जाय यानी ऐसी कोई बात संशोधन में नहीं आनी चाहिये। जबकि यहां तक संविधान की धारा में प्रतिबन्ध है कि खर्चे की रकमों में कुछ भी परिवर्तन संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता तब खंड में संशोधन उपस्थित करके सारे खरचे का अवरोध कैसे किया जा सकता है? अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधेयक का विरोध करें तो वह विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध करके विधेयक को नामंजूर कर ही सकते थे। किसी खंड के एक संशोधन द्वारा उसको बेकार करना जो अब वे चाहते हैं (आवाज ··· रोक रहे हैं) उनका रोकने का इरादा हो यह बात भी हो सकती है। मेरी राय में न वे खंड के संशोधन से विधेयक को बेकार बना सकते हैं और न खर्चा रोक सकते हैं यह सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स इसीलिये आती है कि अगर ऐसे खर्च की आवश्यकता हो तो उसके लिये सदन की मंजूरी ले ली जाय। खर्च करने की इस आवश्यकता को किसी बाहरी अधिकारी के कर्म पर शरतिया आधारित अवैध है क्योंकि इस संशोधन का मंशा यह है कि आडिटर जनरल जिस वक्त तक अपनी रिपोर्ट न दें तब तक मंजूरशुदा खर्चा सरकार न करें सके और वह रिपोर्ट अगर साल के अन्त तक न आये तो क्या हो? यदि इस प्रकार खर्चे को रोकने की मंशा है तो आपको पूरा विरोध विधेयक का ही करना चाहिये था और यदि सदन आपकी बात मान लेता तो आपका मनशा पूरा हो जाता। यही सीधा रास्ता था जिसे उपाध्यय जी ने अपनाया था। लेकिन संशोधन के द्वारा यह रास्ता नहीं निकालना चाहिये कि पूरे विधेयक के विरोध का जो मतलब है वह खंड के संशोधन द्वारा टेढे रास्ते से हासिल किया जाय? इसलिये मैंने इसको अवैध करार दिया है। इस संशोधन का मतलब पूरे विधेयक का विरोध करना है और यह सदन यह बात स्वीकार कर चुका है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय इसचा परिणाम यह है कि अब इस स्टेज पर पूरे विधेयक का विरोध नहीं हो सकता और इसीलिये यह संशोधन अवैध है और उपस्थित किया नहीं जा सकता।

खंड २

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५४-५५ के लिये १,५९,५३,२०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सबका कुल योग १,५९,५३,२०० रु० (एक करोड़ उनसठ लाख, तिरपन हजार दो सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ३

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)—			
२	मालगुजारी ..	२९,८००	—	२९,८००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इर्रिगेशन) के निर्माण कार्य	९३,५००	—	९३,५००
१०	सिंचाई (इर्रिगेशन) स्थापना पर व्यय	२२,६००	—	२२,६००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	१७,५००	—	१७,५००
१६	जेल ..	३६,३००	—	३६,३००
१७	पुलिस ..	५००	—	५००
१८	शिक्षा ..	१५,१९,३००	—	१५,१९,३००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	२,१७,६००	—	२,१७,६००
२०	जन-स्वास्य (पब्लिक हेल्थ) ..	६५,४००	—	६५,४००
२१	कृषि संबंधी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट ऐंड रिसर्च)	४००	—	४००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन) ..	१००	—	१००
२३	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१००	—	१००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१००	—	१००
२७	उद्योग ..	५००	—	५००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	१८,०००	—	१८,०००
३०	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	८००	—	८००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)	१३,०९,४००	—	१३,०९,४००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ..	३००	—	३००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३३	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट्स इन एड आफ सिविल वर्क्स) ..	२०,००,०००	—	२०,००,०००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फेमीन रिलीफ)	५५,१००	—	५५,१००
३८	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज)	३,६२,२००	—	३,६२,२००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	६,२०,०००	—	६,२०,०००
४१	योजना और एकीकरण ..	४०,०९,६००	—	४०,०९,६००
	योग, क ..	१,०३,७९,१००	—	१,०३,७९,१००
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४२	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	६,००,२००	—	६,००,२००
४५	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	९००	—	९००
४६	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	१००		१००
	योग, ख	६,०१,२००	—	६,०१,२००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—			
५०	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण एडवांसेज ..	४९,७२,९००	—	४९,७२, ९००
	योग, ग	४९,७२,९००	—	४९,७२,९००
	कुल योग	१,५९,५३,२००	—	१,५९,५३,२००

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

१९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) विधेयक।

३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित-निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्षनाम। १---यह अधिनियम १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तवना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनिनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या गवर्नर साहब की सिफारिश है?

श्री अध्यक्ष---सिफारिश मौजूद है, यह पहले ही बता दिया था।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ सितम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१७ पर)

जिला बोर्डों को १९५२–५३ व १९५३–५४ में दिये गये अनुदान तथा ऋणों की सूची

नाम जिला बोर्ड	१९५२–५३ में दिये गये अनुदान	१९५२–५३ में दिये गये ऋण	१९५३–५४ में दिये गये अनुदान	१९५३–५४ में दिये गये ऋण
१	२	३	४	५
देहरादून	३,३७,३४३	५०,०००	५,६८,५१८	..
सहारनपुर	७,६०,६९६	..	११,६२,०८८	..
मुजफ्फरनगर	७,०१,५५९	..	९,७६,९७४	..
मेरठ	११,७०,२२४	..	१६,१४,३७९	..
बुलन्दशहर	७,७७,२९९	..	११,८५,६४१	..
अलीगढ़	८,४९,२२०	..	१२,०७,०७९	..
मथुरा	६,८८,७८७	..	९,१८,०६९	..
आगरा	९,१२,०१३	१,००,०००	१०,८८,६८२	..
मैनपुरी	७,५९,८२७	..	१०,५१,६४८	..
एटा	८,७०,८६६	..	११,००,०००	..
बरेली	६,७८,६२१	..	८,६३,१३२	..
बिजनौर	९,७१,५४२	..	११,८१,७९३	..
बदायूं	८,०६,५८०	..	९,७३,४१८	..
मुरादाबाद	९,००,५५१	..	१२,१७,२१८	..
शाहजहांपुर	७,५९,६२७	..	९,९५,५०४	..
पीलीभीत	५,७५,७५३	..	६,८८,४६८	..
फर्रुखाबाद	७,८१,२५१	५०,०००	१०,९०,९७०	..
इटावा	८,६३,२४३	..	१०,६४,६८१	..
कानपुर	९,६०,०००	१,००,०००	१६,५५,७१०	..
फतेहपुर	७,७४,६२५	..	९,२८,४४६	..
इलाहाबाद	११,४१,६६५	१,००,०००	१४,८७,२८९	..
बांदा	६,८१,००४	..	८,२७,६५३	..
हमीरपुर	८,०८,१३८	..	९,९८,१६७	..
झांसी	७,८३,१६५	..	१०,१४,०६९	..
जालौन	७,०३,८७५	..	८,६२,२४८	..
बनारस	१०,३७,९८३	५०,०००	१२,१६,३४६	..
मिर्जापुर	९,५८,८३४	१,००,०००	१२,३३,१५३	..
जौनपुर	१०,३५,६२५	५०,०००	१२,८९,७००	..
गाजीपुर	७,४२,३०९	..	९,४८,०१२	..
बलिया	१०,३३,५१३	..	१२,७२,८६६	..
भदोही (सब बोर्ड)	५२७	..	१,५७,५७१	..
नगर पंचायत चकिया	७,१२५	..	..	..
गोरखपुर	११,६२,३१७	५०,०००	१४,६०,२७४	..
बस्ती	१३,१७,०६१	..	१५,०८,३२२	..

१	२	३	४	५
आजमगढ़	११,३६,४५०	६०,०००	१४,५८,९०६	..
देवरिया	९,८२,९८१	..	१२,६१,१२३	..
नैनीताल	५,६१,०७४	४५,०००	७,८७,६९१	..
अल्मोड़ा	८,२५,९०८	१,००,०००	११,९९,११२	..
पौड़ी गढ़वाल	६,७८,६१५	१,००,०००	९,८१,९५७	..
लखनऊ	६,५६,०१२	..	७,९१,३९५	..
उन्नाव	८,३१,५८७	..	१०,४२,४४८	..
रायबरेली	८,६३,७८३	१,००,०००	११,२५,०४७	..
सीतापुर	९,१३,७५४	..	११,८५,९६५	..
हरदोई	८,९५,९६४	..	११,२६,५७५	..
खेरी	९,८२,०५४	..	११,४६,५६०	..
फैजाबाद	९,८०,२४२	..	१३,७७,५८४	..
गोंडा	१०,३६,८५४	..	१२,६४,४०१	..
बहराइच	१०,०४,५७४	..	११,७१,०६६	..
सुल्तानपुर	८,३२,०६४	६०,०००	१०,९०,६८०	..
प्रतापगढ़	७,९२,७११	१,००,०००	१२,१०,५८६	..
बाराबंकी	७,८७,३०२	..	१०,५६,२३२	..
योग	४,२०,७४,६८६	१२,१५,०००	५,५०,८५,२९९	..

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

१९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का प्रथम पूरक)

विधेयक

३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४-५५ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग १,५९,५३,२०० रु० (एक करोड़ उनसठ लाख तिरपन हजार दो सौ रुपये) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५४–५५ के लिये १,५९,-५३,२०० रु० का दिया जाना।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो उनकी अनुसूची में दिये हुए हैं। — विनियोग

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सरविसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)—			
२	मालगुजारी	२९,८००	—	२९,८००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	९३,५००	—	९३,५००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	२२,६००	—	२२,६००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	१७,५००	—	१७,५००
१६	जेल ..	३६,३००	—	३६,३००
१७	पुलिस ..	५००	—	५००
१८	शिक्षा ..	१५,१९,३००	—	१५,१९,३००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	२,१७,६००	—	२,१७,६००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हैल्थ) ..	६५,४००	—	६५,४००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रीकल्चर डेवेल्पमेंट ऐण्ड रिसर्च)	४००	—	४००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन) ..	१००	—	१००
२३	पशु-चिकित्सा (वेटेरीनरी)	१००	—	१००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	१००	—	१००
२७	उद्योग ..	५००	—	५००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	१८,०००	—	१८,०००
३०	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	८००	—	८००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेख से वित्तपोषित)	१३,०९,४००	—	१३,०९,४००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	३००	—	३००

१	२	३		
		निम्नलिखि धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सरविसेज ऐन्ड पर्पज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
३३	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान ग्रांट्स इन एड आफ सिविल वर्क्स	२०,००,०००	—	२०,००,०००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फेमीन रिलीफ)	५५,१००	—	५५,१००
३८	विविध व्यय (मिसलेनियस चारजेज)	३,६२,२००	—	३,६२,२००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान	६,२०,०००	—	६,२०,०००
४१	योजना और एकीकरण	४०,०९,६००	—	४०,०९,६००
	योग, क	१,०३,७९,१००	—	१,०३,७९,१००
	ख—राजस्वय लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४२	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	६,००,२००	—	६,००,२००
४५	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	९००	—	९००
४६	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की	१००	—	१००
	योग, ख	६,०१,२००	—	६,०१,२००
	ग—ऋणों और अग्रऋणों (लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—			
५०	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज)	४९,७२,९००	—	४९,७२,९००
	योग, ग	४९,७२,९००	—	४९,७२,९००
	कुल योग	१,५९,५३,२००	—	१,५९,५३,२००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मंडल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७३ एल० ए० १९५४—८५०